ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 06 | मार्च 2023 / Issue 02 | मूल्य: ₹ 55

dhyeyaias.com

प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों को दिशा देते भारत और फिजी के मजबूत संबंध

भारत के विकास के विविध क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका

जनजातीय समुदाय के उत्थान का सांस्कृतिक माध्यम है आदि महोत्सव

भारत में धारणीय पर्यटन मॉडल पर काम करने की आवश्यकता

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में आईसीटी की भूमिका

आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ की बढ़ती भूमिका और अन्य संस्थागत तंत्रों का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सूत्रधार बन सकती है जैविक कृषि

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: आर्थिकी

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका, नितिन
	:	ऋतु, प्रत्यूषा
	:	नीरज, अदनान
	:	सल्तनत, लोकेश
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षा सहयोग	:	शशांक शेखर त्रिपाठी
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्र
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन, तरून
तकनीकी सहायक	:	मो. वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू
	:	चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

....

समसामयिकी लेख 5-18

1. आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ की बढ़ती भूमिका और अन्य संस्थागत तंत्रों का महत्त्व
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सूत्रधार बन सकती है जैविक कृषि
3. प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों को दिशा देते भारत और फिजी के मजबूत संबंध
4. सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में आईसीटी की भूमिका
5. भारत के विकास के विविध क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका
6. भारत में धारणीय पर्यटन मॉडल पर काम करने की आवश्यकता
7. जनजातीय समुदाय के उत्थान का सांस्कृतिक माध्यम है आदि महोत्सव

राष्ट्रीय 20-23
अंतर्राष्ट्रीय 24-28
पर्यावरण 29-32
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 33-37
आर्थिकी 38-41
विविध 42-45
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 46-49
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 50

ब्रेन-बूस्टर 51-57

प्रीलिम्स स्पेशल 2023

- आर्थिकी 58-73
- प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 74-79

समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 80-81
व्यक्तित्व 82

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स व अन्य

आगामी अंक में

- सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली का भारत के हितों पर प्रभाव
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन पर आइपीसीसी बैठक के निष्कर्ष कैसे बनेंगे प्रभावी
- एलजीबीटी अधिकार: सामाजिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का द्वंद
- भारतीय फिल्म उद्योग का वैश्वीकरण और ऑस्कर अवॉर्ड की मान्यता
- भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति और कार्बन उत्सर्जन की कमी में योगदान
- सिलीकान वैली बैंक संकट तथा भारतीय स्टार्टअप पर प्रभाव
- भारत के आसूचना तंत्र को मजबूती देने में नैटग्रिड और अन्य आसूचना अभिकरणों की भूमिका

एनडीआरएफ की बढ़ती भूमिका और आपदा प्रबंधन में अन्य संस्थागत तंत्रों का महत्त्व

''यह आपदा नहीं है, बल्कि आपदा के लिए तैयारियों की कमी है जो मृत्यु देती है।''

हाल ही में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्किये और सीरिया के प्रमुख हिस्सों को तबाह कर दिया, जो दुनिया में सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह एक सदी के लिए यूरोपीय क्षेत्र में 'सबसे खराब प्राकृतिक आपदा' थी। आपदा से लगभग 14 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, यानी देश की आबादी का छठा हिस्सा। 33 लाख से अधिक लोगों को भूकंप से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऑपरेशन दोस्त:

- वसुधैव कुटुम्बकम की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्किये और सीरिया में खोज, बचाव और आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन दोस्त' शुरू किया। ऑपरेशन दोस्त के तहत, भारत ने खोज और बचाव दल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), सामग्री, दवाएं, चिकित्सा उपकरण तथा उपभोग्य सामग्री भेजी। इसके अलावा भारतीय सेना के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने भी एक फील्ड अस्पताल में घायलों को राहत प्रदान की।
- एनडीआरएफ की टीम ने मलबे के नीचे से जीवित पीड़ितों को निकालने में मदद की और घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके अपने प्रयासों के लिए वैश्विक सराहना प्राप्त की।

आपदा प्रबंधन:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 'आपदा' को प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना के रूप में परिभाषित करता है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान पहुंचाता है।
- आपदा प्रबंधन में तैयारी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, बचाव, राहत और पुनर्वास सहित सभी गतिविधियां शामिल हैं। आपदा शब्द में प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं (महामारी), औद्योगिक आपदाएं आदि शामिल हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा:

आपदा प्रतिक्रिया और शमन गतिविधियों को नियंत्रित तथा उन्हें विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा निम्नानुसार हैं:

- राज्य आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के विघटन से संबंधित घटनाओं को नियंत्रित करता है।
- सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय सरकारों से संबंधित राज्य कानून।
- राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न विनियम/संहिताएं/नियम जैसे तटीय क्षेत्र विनियम, भवन संहिता, अग्नि सुरक्षा नियम आदि।
- दंड प्रक्रिया संहिता, जो सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है।
- सेना अधिनियम, जो नागरिक प्रशासन को संकट के दौरान सेना की मदद लेने का अधिकार देता है।
- इन अधिनियमों के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 26 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है।
- इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) तैयार की गई है जिसमें रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया के माध्यम से समग्र, सक्रिय और प्रौद्योगिकी संचालित कार्यनीति विकसित करके एक सुरक्षित आपदारोधी भारत का निर्माण किया गया है। इस नीति में आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

भारत में आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली/संस्थान:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में देश में आपदा प्रबंधन की एकीकृत संरचना की परिकल्पना की गई है। इस अधिनियम में गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के सहयोग से केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के लिए नए संस्थानों के सृजन और विशिष्ट भूमिकाएं सौंपने का अधिदेश दिया गया है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की गई है और एनडीएमए को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) बनाई गई है।
- राज्य स्तर पर, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, जिसे राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की गई है।
- जिला स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए गए हैं।
- इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का भी प्रावधान है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय स्वशासनों और सिविल सोसाइटी सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए):

एनडीएमए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा बनाया गया था। एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ कार्यकारी कार्य भी हैं। कुछ पहल इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवाओं की परिकल्पना 2015-16 में आपदा के समय देश भर में आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) संचालन के लिए संचार बुनियादी ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
2. भूकंप क्षेत्र IV और V क्षेत्रों में 50 महत्त्वपूर्ण शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम अनुक्रमण (EDRI) शुरू किया गया था। इससे प्रशासनिक निकायों को उचित आपदा शमन उपायों को लागू करने के लिए बड़ी संख्या में शहरों में समग्र जोखिम की तुलना करने में मदद मिली है।
3. एनडीएमए ने भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के माध्यम से देश के लिए जिला स्तर तक उन्नत भूकंप जोखिम मानचित्र और एटलस तैयार किए हैं जिनमें 5 से अधिक तीव्रता के पिछले भूकंपों के प्रमुख दोष, भूकंप क्षेत्र, एपि-सेंटर दर्शाए गए हैं।
4. एनडीएमए ने आपदा तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया तथा राहत प्रबंधन प्रयासों को बढ़ाने के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करने के लिए जीआईएस सर्वर की स्थापना और डेटाबेस का निर्माण करके आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक परियोजना शुरू की है।
5. एनडीएमए की आपदा मित्र योजना में 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा प्रतिक्रिया में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान है।

आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की भूमिका:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाया गया एनडीआरएफ, प्राकृतिक आपदाओं तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु रक्षा (सीबीआरएन) आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए भारत का विशेष बल है। यह महानिदेशक के समग्र कमान, नियंत्रण और नेतृत्व के भीतर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करता है।
- एनडीआरएफ 12 बटालियनों (प्रत्येक में 1149 सैनिक) का एक बल है जो अर्ध-सैन्य लाइनों पर आयोजित किया जाता है। यह भारत के अर्ध-सैन्य बलों से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है।
- सितंबर 2014 में, एनडीआरएफ ने शहरी बाढ़ से निपटने के अपने पहले अनुभव में जम्मू-कश्मीर में बचाव और राहत अभियान चलाया था।
- अक्टूबर 2014 में, एनडीआरएफ कर्मियों ने पूर्वी तट पर चक्रवात हुद-हुद के कारण हुए विनाश के कारण कई लोगों की जान बचाई थी।
- अब तक एनडीआरएफ ने देश और विदेश में आपदा स्थितियों से लाखों फंसे हुए व्यक्तियों को निकाला है। जापान ट्रिपल आपदा -2011 और नेपाल भूकंप 2015 के दौरान एनडीआरएफ की प्रभावी प्रतिक्रिया को विश्व स्तर पर प्रशंसित किया गया था।

आपदा प्रबंधन में वैश्विक स्तर पर भारत का सहयोग:

- भारत आपदा प्रबंधन पर वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके अलावा, भारत आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआईएसडीआर) के साथ भाग लेने वाले देशों में से एक है।
- भारत ने सितंबर 2019 में नई दिल्ली में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) शुरू किया। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई बुनियादी ढांचे प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी की है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर), आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूसीडीआरआर), आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (जीपीडीआरआर) आदि।
- आपदा प्रबंधन योजना के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे एआरसी के कुछ अन्य सुझाव सबसे महत्त्वपूर्ण हैं:
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास का उपयोग आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किया जाना चाहिए।
  - आपदाओं से निपटने के लिए विशेष जनशक्ति और उपकरण भी आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
  - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणालियों को विकसित और तैनात करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में गतिविधियों की प्रकृति और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संबंधों के लिए एक तरफ केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों, जबकि दूसरी तरफ कई सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
- पिछली आपदाओं के अनुभव आपदाओं से निपटने के लिए एक समग्र और सक्रिय प्रणाली की मांग करते हैं। इसके लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने, खामियों को दूर करने, एक प्रभावी समन्वय तंत्र सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर प्रशासनिक संरचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- इसके लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'संकट प्रबंधन' में सिफारिश की थी कि आपदाओं और आपात स्थितियों का प्रबंधन, प्राकृतिक या मानव निर्मित को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल किया जा सकता है।
- आपदा के प्रबंधन के लिए सभी तैयारियों के बावजूद, इसके प्रभाव को कम करना हमेशा सार्थक होगा। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था कि 'तैयारी करने में विफल होना संकेत है, कि हम असफल होने की तैयारी कर रहे हैं।'

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सूत्रधार बन सकती है जैविक कृषि

एक राज्यसभा सांसद द्वारा घर की छत पर उगाए जा रहे सब्जियों की विभिन्न किस्मों को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर पर जैविक कृषि को अपनाने के लिए अनुरोध किया है।

एफएओ के अनुसार, जैविक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे बाह्य कृषि आदानों के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसमें प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों जैसे-फसल चक्रण, खाद और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग शामिल है। यह कृषि का एक स्थायी तरीका है जो मृदा के स्वास्थ्य को संरक्षित करने, जैव विविधता को बढ़ाने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

भारत में जैविक कृषि:

- भारत में कार्बनिक कृषि का एक लंबा इतिहास है, जो पारंपरिक कृषि प्रथाओं के साथ लगभग हजारों वर्षों से की जाती रही है। हरित क्रांति के कारण देश ने पारंपरिक कृषि प्रथाओं में गिरावट देखी है तथा देश आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने की ओर अग्रसर हुआ है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों और हाइब्रिड बीजों के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- हाल के दशकों में आधुनिक कृषि प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों के प्रति सचेत होने के कारण, जैविक कृषि को अपनाने की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। भारत सरकार ने जैविक कृषि के महत्त्व को मान्यता दिया है और इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।
- उत्पादकों की संख्या के अनुसार, भारत में दुनिया के सर्वाधिक जैविक उत्पादक है। पीआईबी 2020 के आंकड़ों के अनुसार जैविक कृषि के अंतर्गत कृषि भूमि के क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में नौवें स्थान पर है जबकि सिक्किम दुनिया का पहला घोषित जैविक राज्य है।
- यद्यपि, भारत में मात्र 2.78 मिलियन हेक्टेयर (शुद्ध क्षेत्र का लगभग 2% है) का उपयोग जैविक कृषि के लिए किया जा रहा है। भारत एशिया में जैविक उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन इसकी कुल निर्यात, वैश्विक व्यापार का लगभग 0.55% है। इससे पता चलता है कि जैविक कृषि भारत में एक अविकसित क्षेत्र बनी हुई है, जिसके लिए सभी हितधारकों से बड़े पैमाने पर सहयोग करने की आवश्यकता है।

भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने वाले कारक:

आपूर्ति पक्ष की ओर-

- रासायनिक आदानों की बढ़ती लागत, जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक।
- जैविक किसानों द्वारा प्राप्त प्रीमियम कीमतें छोटे और सीमांत किसानों के लाभ को बढ़ाने का एक वैकल्पिक साधन है।

मांग पक्ष की ओर-

- पिछले एक दशक के दौरान, जैविक उत्पादों की मांग 16% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है।
- गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (गैर-जीएमओ) की मांग में वृद्धि हुयी है।
- जैविक कृषि के पारिस्थितिक, किफायती और सामाजिक लाभों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक उत्प्रेरक होने की क्षमता है।

पारिस्थितिक लाभ:

स्वस्थ मृदा:

- यह मृदा के जीवित घटक यानी माइक्रोबियल निवासियों को पोषक तत्वों को जारी करने, बदलने और स्थानांतरित करने के लिए पोषित करता है। यह मृदा के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती है जो गुणवत्तापूर्ण मृदा की संरचना और नमी धारण करने की क्षमता में वृद्धि करती है।
- यह खरपतवार, कीड़े और रोग जीवों को प्रबंधित करने के लिए फसल चक्रण, मैकेनिकल किलिंग, हैंड-वेडिंग, फसलों को कवर करना, मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करता है।

स्वच्छ वातावरण का निर्माण:

- यह पर्यावरण के लिए बेहतर है क्योंकि रासायनिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि में ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है।
- यह कम इनपुट का उपयोग करता है और पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों से बचाता है जो मृदा, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं।
- यह अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है।

किफायती लाभ:

किसानों के लिए:

- यह बाहरी आदानों और महंगी तकनीकों पर निर्भरता को कम कर सकता है, जिससे किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा और असमानता को कम किया जा सकता है।
- इसे स्विच करके, किसान पारंपरिक कृषि की लागत की तुलना में वास्तव में इसकी उत्पादन लागत को 25% से अधिक कम कर सकते हैं।

लाभदायक और कुशल उत्पादन:

- प्राकृतिक चक्रों, नाइट्रोजन निर्धारण और कीट-पूर्ववर्ती संबंध जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया को शामिल करने से मृदा, जल, ऊर्जा तथा जैविक संसाधनों का प्रबंधन व संरक्षण होगा जिससे उत्पादन में सतत वृद्धि होगी।
- **बढ़े हुए निर्यात-** कई देशों में जैविक उत्पादों की उच्च मांग है। यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है।
- **रोजगार सृजन-** यह रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बेरोजगारी की समस्या अधिक है। यह गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने

में सहायता कर सकता है।

सामाजिक लाभ:

- **स्वस्थ आबादी-** जैविक भोजन, पारंपरिक रूप से उगाए गए भोजन की तुलना में स्वस्थ माना जाता है क्योंकि यह हानिकारक रसायनों से मुक्त है। इससे एक स्वस्थ आबादी का निर्माण हो सकता है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो सकती है।
- यह एक संस्कृति का पुनरुद्धार है जो स्वदेशी ज्ञान, विश्वास और मूल्य प्रणाली की पुन: संरक्षण करता है।

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल:

- **उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडी)-** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि संधारणीय कृषि के लिए नेशनल मिशन (एनएमएसए) के तहत एक उप-मिशन है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को जोड़ने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करने के लिए प्रमाणित कार्बनिक उत्पादन विकसित करना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)-** इसे 2015 में लॉन्च किया गया थो जो एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन में जैविक गांवों को अपनाने से जैविक कृषि को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम के तहत, 29,859 जैविक समूहों में 13.9 मिलियन प्रमाणित जैविक किसान थे, जो 0.59 मिलियन हेक्टेयर (भारत में फसली क्षेत्र का लगभग 0.4%) को कवर करते थे।
- **प्रमाणन योजनाएं-** फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) 'जैविक भारत' टैगलाइन और लोगो के अंतर्गत जैविक उत्पाद को प्रमाणन प्रदान करता है।
- **भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस)-** पीजीएस इंडिया केवल घरेलू बाजार के लिए एक स्व -प्रमाणन प्रणाली है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- **नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी)-** यह 2001 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक तृतीय पक्ष प्रमाणन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने जैविक भोजन के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और दिशानिर्देशों को निर्धारित किया है।
- **एग्री-एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018-** क्लस्टर्स तथा मार्केटिंग और 'भारत के उत्पाद' के विपणन पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में जैविक कृषि को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहन मिला है।
- **शून्य बजट प्राकृतिक कृषि-** शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, पारंपरिक भारतीय प्रथाओं द्वारा रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। बजट 2022-23 में, सरकार ने प्रस्ताव दिया कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे के भीतर खेतों के साथ शुरू होने वाले पूरे देश में रासायनिक-मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।
- बजट 2023-24 में, प्राकृतिक कृषि को व्यापक आंदोलन में बदलने के लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक कृषि में 1 करोड़ किसानों का समर्थन करने के लिए 10,000 जैव इनपुट अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **जैविक कृषि से संबंधित चिंताएं-** हालांकि नीति स्तर पर, विशाल आबादी की खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने में जैविक कृषि की प्रभावकारिता पर आशंकाएं उठाई गई हैं, विशेष रूप से घनी आबादी वाले देशों में, जहाँ जैविक कृषि के निम्न प्रभाव देखने को मिलें हैं -
    - उपज का नुकसान।
    - कृषि उत्पादों की प्रति यूनिट मात्रा में उत्पादन की उच्च लागत।
    - कृषि लाभप्रदत्ता।
- जैविक कृषि में बदलाव के कारण श्रीलंका में हालिया खाद्य सुरक्षा की कमी ने इस भय को और अधिक बढ़ाया है।
- भारत में कई अध्ययनों ने फसल की पैदावार में एक महत्त्वपूर्ण सीमा तक कमी की सूचना दी है, जबकि जैविक कृषि के कारण फसल की पैदावार में परिवर्तनशीलता में वृद्धि हुई है।
- कुछ अन्य अध्ययनों में बताया गया है कि जैविक कृषि में कम पैदावार के कारण, खाद्य मांग को पूरा करने के लिए वन भूमि को कृषि कार्य में लगाने के लिए, कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- यह पता लगाया गया है कि जैविक कृषि में संक्रमण के दौरान मुख्य समस्या प्रमाणन की कमी (57 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप कोई प्रीमियम मूल्य नहीं था।
- साथ ही, बुनियादी ढांचे की कमी एक अन्य प्रमुख समस्या है क्योंकि पूर्वोत्तर के जैविक उत्पादों को बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष:

हालांकि, कुछ अध्ययनों ने यह भी बताया है कि कृषि स्तर की जैव विविधता में वृद्धि, मृदा में कार्बनिक पदार्थ और कार्बन सामग्री के संदर्भ में जैविक कृषि का लाभ कम पैदावार के कारण होने वाले नुकसान की पूर्ति, स्थिरता में वृद्धि के माध्यम से करता है। इस प्रकार जैविक कृषि की लागत और लाभों के बारे में राय को लेकर विरोधाभास है। श्रीलंका में पारंपरिक कृषि से जैविक कृषि की ओर स्थानान्तरण की प्रक्रिया में, फसल की पैदावार में परिणामी कमी, खाद्य संकट का हालिया उदाहरण है जो जैविक कृषि को अनियोजित रूप से अपनाने के नकारात्मक परिणाम को उजागर करता है। भारत के समान एक बड़े देश में, एक अस्पष्ट (रैंडम) दृष्टिकोण को अपनाने से बड़ी आबादी के समक्ष भोजन का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में, भारत को पारंपरिक कृषि से जैविक कृषि में स्थानांतरित करने के लिए एक क्रमिक और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जैविक कृषि के संभावित प्रभावों और परिणामों का समग्र अध्ययन किया जाये। किसानों को जैविक कृषि के बारे में प्रशिक्षित करें, कौशल प्रदान करें और पारंपरिक कृषि से जैविक कृषि में स्थानांतरित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए तैयार करें।

प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों को दिशा देते भारत और फिजी के मजबूत संबंध

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-17 फरवरी तक फिजी की आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत के विदेश मंत्रालय तथा फिजी सरकार की सह-मेजबानी में हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और फिजी के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किया। फिजी की राजधानी सुवा (Suva) में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने अपने स्वयं के मील के पत्थर स्थापित किए हैं और वे दुनिया के जिस देश में रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी संपत्ति हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने फिजी के संदर्भ में कहा था कि जब भी हम इंडो-पैसिफिक को देखते हैं, तो हम फिजी को एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।

फिजी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील इलाका है और भारत हमेशा फिजी के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहा है। कोरोना जैसे समय में भारत ने फिजी की मदद की और वैक्सीन मैत्री के तहत फिजी को एक लाख वैक्सीन की डोज भेजी गई थी। भारत फिजी को अक्षय ऊर्जा और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को आईटी सपोर्ट मुहैया कराने पर भी योजना बना रहा है। भारत ने फिजी के लिए राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते की भी घोषणा की है। वीजा छूट के परिणामस्वरूप, भारत-फिजी में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक अब 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन तथा रहने में सक्षम होंगे।

फिजी के नव नियुक्त प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच जब चीन मुद्दे पर बात हुई तो फिजी का कहना था कि 'हमारे बहुत से पुराने मित्र हैं। इस क्षेत्र (हिंद-प्रशांत क्षेत्र) में वास्तव में कोई नया मित्र नहीं है। हम भारत के मित्र रहे हैं। हम चीन के साथ मित्र रहे हैं। हम अपने संबंध सकारात्मक रूप से जारी रखेंगे।' वहीं दूसरी तरफ फिजी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा और उसके संभावित प्रभावों को परख चुका है, यहीं कारण है कि पिछले कुछ समय में फिजी ने चीन के आर्थिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों समझौतों को नामंजूर कर दिया है।

चीन प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता था जिसे फिजी ने मना कर दिया था। हाल ही में फिजी ने चीन के साथ हुए एक और समझौते को खत्म कर दिया है। बीजिंग के साथ अपनी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए 2011 में हस्ताक्षरित एक समझौते को फिजी ने समाप्त कर दिया है। इस सौदे में फिजियन अधिकारियों को चीन में प्रशिक्षित किया जाना और चीनी अधिकारियों को फिजी में तीन से छह महीने के लिए तैनात किया जाना शामिल था। फिजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य देशों -ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पुलिस अधिकारी फिजी के पुलिस फोर्स में सेवाएं दे सकते हैं क्योंकि उनकी प्रणाली फिजी के समान है। फिजी के प्रधानमंत्री सितिबेनी रबुका ने साफ तौर पर कहा है कि हमें चीनी पुलिस कर्मियों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजी मानता है कि उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली चीन से बुनियादी रूप से भिन्न है, इसलिए उसे चीन के पुलिसकर्मियों के जरिए अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूती देने की जरूरत नहीं है।

फिजी और पैसिफिक क्षेत्र में भारत के हितों का संस्थागत प्रयास:

- फिजी की यात्रा के दौरान वहां भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इसी साल इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फोरम की तीसरी बैठक की सह मेजबानी करेगा। दरअसल इस फोरम को भारत के इंडो-पेसिफिक स्ट्रेटजी की सफलता के लिए काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यह भारत की आईलैंड डिप्लोमेसी, सागर विजन को साकार करने में मददगार फोरम है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (फिपिक) प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में भारत की संलग्नता बढ़ाने का एक प्रमुख मंच है। भारत क्षेत्रीय संगठनों के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता, क्षेत्रीय एकीकरण और सामूहिक क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखता है परन्तु कुछ क्षेत्रीय संगठनों से गठजोड़ कर भारत कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (फिपिक) इसी प्रकार का संगठन है जिसका गठन विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है।
- प्रशांत महासागर क्षेत्र में सागरीय अथवा नौ गमन की स्वतंत्रता या दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से द्वीपों के अस्तित्व पर बढ़ता खतरा, मत्स्य तथा अन्य खनिज संसाधनों की होड़, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव से समुद्री जैवविविधता का क्षरण, प्रवाल भित्ति से बने द्वीपों पर बढ़ रहे खतरों से निपटने के दृष्टिकोण से फिपिक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसका गठन भारत के नेतृत्व में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए नवंबर, 2014 में किया गया था।

फिपिक की संरचना:

- इसमें भारत तथा 14 सदस्य देश हैं जिसमें भारत को छोड़कर सभी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं। इसके सदस्यों में फिजी, कुक आइलैंड्स, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरू, निऊ, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालू और वानुअतु शामिल हैं। इसका पहला समिट नवंबर, 2014 में फिजी के सुआ में, जबकि दूसरा अगस्त, 2015 में भारत के जयपुर में आयोजित किया गया था।
- इस संगठन के देश यद्यपि सापेक्षिक रूप से छोटे भू-क्षेत्र वाले देश हैं लेकिन इनका अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है जिसके चलते भारत इनके साथ मिलकर महासागरीय अर्थव्यवस्था अथवा ब्लू इकोनामी

के विकास के लिए कार्य कर सकता है। भारत की प्रशांत क्षेत्र में संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए इसे भारतीय प्रधानमंत्री की महासागरीय कूटनीति के रूप में भी देखा गया है। 2014-15 में प्रशांत द्वीपीय देशों और भारत के मध्य वार्षिक स्तर पर कुल व्यापार 300 मिलियन डॉलर का था जिसमें से भारत का इन देशों में निर्यात 200 मिलियन डॉलर और आयात 100 मिलियन डॉलर का था।

- वर्ष 2014 में जब इस संगठन को लांच किया गया तो भारत ने इन देशों को कई परियोजनाओं में मदद के लिए प्रस्ताव दिया। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव था कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मिलियन डॉलर की राशि वाले विशेष कोष का गठन करना।
- प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु पैन पैसेफिक आईलैंड्स ई-नेटवर्क की शुरुआत की जाए और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाए। इन देशों और भारत के मध्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर सहयोग सुनिश्चित किया जाए। पेसिफिक आइलैंड के देशों के राजनयिकों को भारत द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। भारत में 14 प्रशांत द्वीपीय देशों में सामुदायिक परियोजनाओं को चलाने के लिए अपने अनुदान की सहायता राशि को इस संगठन के प्रत्येक देश के लिए वार्षिक स्तर पर 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख डॉलर किया गया था।
- शासनाध्यक्षों के स्तर पर दूसरे समिट में फीपिक सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधार और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता की उम्मीदवारी का मजबूत समर्थन किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हर संभव सहायता और तकनीकी मदद देने की घोषणा समिट के दौरान की। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस समिट में फिजी में एक मेडिकल सेंटर गठित करने के लिए फिजी द्वारा मांगे गए सहयोग का मुद्दा उठाया। भारत ने फिजी में इस सेंटर को स्थापित करने में सहयोग के साथ वहां एक फार्मास्युटिकल प्लांट गठित करने और फिजी के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा इस समिट के दौरान प्रकट की। फिजी और भारत ने इसके अलावा प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है।
- भारत ने समिट में पापुआ न्यू गिनी में अवसंरचात्मक क्षेत्र को विकसित करने, सड़कों, राजमार्गों, एयरपोर्ट्स बनाने में सहयोग की बात की। पापुआ न्यू गिनी ने एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से 100 मिलियन डॉलर के ऋण की अपेक्षा इस समिट के दौरान की। वहीं वानुअतु ने चक्रवात पाम से जूझने के क्रम में भारत द्वारा दिए गए 2.5 लाख डॉलर की नकद सहायता के लिए धन्यवाद दिया था। वहीं नौरू ने बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर से निपटने के लिए समुद्री दीवार के निर्माण में दी गई भारतीय सहायता की प्रशंसा की। भारत ने नौरू को आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण में सहयोग देने की बात की थी।
- मई, 2017 में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में किया गया। इस अधिवेशन में भारत ने फिजी में यूएनएफसीसीसी के कोप 23 आयोजन हेतु फिजी के ट्रस्ट फंड में 1 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। इस अधिवेशन में ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अनुकूलन कटौती उपायों, आपदा तैयारी, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (आईएनडीसी) पर भारत और फिपिक देशों के मध्य वार्ता हुई।

इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स लीडर्स मीटिंग, 2019:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के आयोजन के दौरान 24 सितंबर, 2019 को इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स लीडर्स मीटिंग का आयोजन न्यूयार्क में किया गया। भारत के प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ संबंधों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद मजबूती आई है। भारत ने पैसिफिक द्वीपों में अपने विकासात्मक एजेंडे को मजबूती दी है। इस बैठक में फीपिक देशों ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग को बढ़ावा देने, हाल ही में गठित ग्लोबल कोलिशन ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने और क्षमता निर्माण हेतु सहयोग करने पर चर्चा की। इसके अलावा यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि इस संगठन के कई देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता ले रखी है। आपदा प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और इन देशों में आपसी सहयोग अत्यंत जरूरी है। इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रशांत द्वीपीय देशों में हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक प्रशांत द्वीपीय देश को एक मिलियन डॉलर के अनुदान जो कि कुल मिलाकर 12 मिलियन डॉलर का अनुदान है, देने की घोषणा की है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रत्येक देश की आवश्यकता के अनुसार सौर और नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु आधारित परियोजनाओं को चलाने के लिए 150 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा भी भारत द्वारा की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री ने यहां इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत पैसिफिक क्षेत्रीय हब में जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिंब फिटमेंट कैंप को आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। प्रशांत द्वीपीय देशों और भारत के मध्य जनता से जनता का संपर्क बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस बैठक में डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स प्रोग्राम की घोषणा की गई जिसके तहत इन देशों के ख्यातिलब्ध व्यक्ति भारत की यात्रा कर सकेंगे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह प्रशांत द्वीपीय देशों से संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भारत भ्रमण का स्वागत करेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में तीसरा फीपिक समिट आयोजित किए जाने की बात की गई थी लेकिन कोविड महामारी के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। भारत ने अब तीसरे समिट को अभी से सफल बनाने का आवाहन इन देशों से करना शुरू कर दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में आईसीटी की भूमिका

भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत पहले जी-20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की बैठक 01 मार्च, 2023 को गुरुग्राम (हरियाणा) में हुई। बैठक के तहत, 'सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाने' विषय पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।

परिचयः

- राज्यसत्ता के आरम्भ से ही भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही है, परन्तु हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आईसीटी के महत्त्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है। अनेक देश अपने सिस्टम की दक्षता बढ़ाने तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगी। ध्यातव्य है कि आईसीटी न केवल सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों के सशक्तीकरण को सक्षम बनाता है, बल्कि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों के लूपहोल्स को भी कम करता है।

भ्रष्टाचार क्या होता है?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को कमजोर करता है। आज के समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा नहीं है। यह दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक सभी क्षेत्रों में प्रसारित हो चुका है। साथ ही यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता है, सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है और आर्थिक विकास को भी धीमा करता है।
- डी.एच.बेली के अनुसार निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरूपयोग भ्रष्टाचार है, संभव है कि वह धन से सम्बंधित न हो।

आईसीटी के विषय में:

- इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली विशेष रूप से सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन या समर्थन के प्रबंधन से है।
- इसके साथ ही इस डेटा को एक प्रेशक द्वारा किसी माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। अतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित डेटा के प्रबंधन व उसके संचार से संबंधित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में आईसीटी की भूमिका:

न्यूनतम सरकार अधिकतम शासनः

- आईसीटी के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से समावेशिता 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' मंत्र को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने आईसीटी के माध्यम से सार्वजनिक समीक्षा/विश्लेषण के लिए सरकारी डेटा को उजागर करने, बजट तथा आर्थिक समीक्षा के डिजिटल प्रस्तुतीकरण, सरकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने यथा उद्योग लगाने के प्रावधानों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, अधिकारियों के निर्णय को रोकने और प्रमुख सेवाओं तक पहुँचने के लिए अधिकारी आईसीटी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इससे लालफीताशाही तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था कमजोर हो रही है। ध्यातव्य है कि लालफीताशाही में भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक हैं, इसीलिए आईसीटी के ये अनुप्रयोग भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक हो रहे हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः

- सरकार अब लाभार्थियों के पैसे को प्रत्यक्ष रूप से उनके खाते में डाल रही है। मनरेगा सहित कई योजनाओं में लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप से पैसा पहुंचता है जिससे पैसे के अन्य लोगों में बंटने की सम्भावना कम हो रही है। जनधन, आधार तथा मोबाइल से इन्क्ल्यूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर तथा फर्जीवाड़े की सम्भावना कम हो रही है जो भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है।

डिजिटल पेमेंट्सः

- सरकार द्वारा उठाया गया एक अन्य अहम कदम भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) को लागू करना था जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। भीम एप्लीकेशन बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करता है जिसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है। इस प्रकार सामूहिक रूप से मिल कर जन धन योजना, आधार अधिनियम और भीम एप्लीकेशन ने एक स्मार्ट गवर्नमेंट उपलब्ध कराया है जहाँ सब्सिडी प्रवाह समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लाभार्थी तक पहुँच जाता है। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ने से काले धन पर भी लगाम लगी है।

प्रमुख पहलः

- गवर्नमेंट-ई-मार्केट (जीईएम) जैसे उपायों ने सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद की है। सीवीसी ने ई-संकल्प के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन उत्पन्न करने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही न्यायालयों की लाइव कार्यवाही से पारदर्शिता में वृद्धि हुई है जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है। शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को फंड के प्रवाह को देखते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण (सीएजी) ने उनके लेखा परीक्षण की एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सीएजी ने टैक्स फाइलिंग, आकलन तथा वसूली प्रक्रियाओं के बढ़ते ऑटोमेशन से उत्पन्न डिजिटल सूचना की बड़ी मात्रा पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। अब सीएजी अपने कार्यप्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

जागरूकताः

- जनजागरूकता के अभाव से भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। आईसीटी के बढ़ते प्रयोगों से जनजागरूकता तथा अधिकारों के प्रति सचेतना में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, डिजिलॉकर के 144.6 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और उमंग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3.36 अरब से अधिक का लेनदेन किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत भारत ने अपने यहां के निवासियों के लिए 1.35 अरब से अधिक डिजिटल पहचान बनाई है और नागरिकों के सीधे सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए 470 मिलियन से अधिक मूल खाते खोले गए हैं। लगभग 2.8 मिलियन सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां, 260 से अधिक सेवा श्रेणियां और सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर 2.5 लाख से अधिक सेवा पेशकश उपलब्ध हैं।
- इन आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जनजागरूकता में वृद्धि हुई है जिससे सरकार के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी जो अंततः भ्रष्टाचार को कम करेगी।

भ्रष्टाचार को पूर्णतया उन्मूलित करने में आईसीटी के सम्मुख चुनौतियाँ:

डिजिटल डिवाइड:

- एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 5 वर्ष से अधिक आयु के 20% भारतीयों में बुनियादी डिजिटल साक्षरता है, जबकि 15 से 29 वर्ष के महत्त्वपूर्ण आयु समूह में यह 40% है। जहां शहरों के कुल घरों में से 42% घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कुल घरों में से केवल 15% ही घर इंटरनेट से जुड़े हैं। इससे आईसीटी की पहुंच प्रभावित होती है, जिससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई भी प्रभावित होती है।

साइबर हमले:

- साइबर सिक्योरिटी फर्म इंडस्फेस (Indusface) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत साइबर हमलों के प्रति अत्यंत सुभेद्य है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक साइबर हमले भारत में हुए। साल 2022 में पूरी दुनिया में जितने साइबर अटैक हुए उनमें से लगभग 60 प्रतिशत हमले भारत के सिस्टम पर हुए। विगत 5 वर्षों में भारत में साइबर अटैक की घटनाएं 53 हजार से बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो गई हैं। अतः साइबर सुरक्षा के ये आकड़े आईसीटी के अनुप्रयोग को प्रभावित करते हैं।

बैंकिंग-नेता तथा ब्यूरोक्रेसी गठजोड़:

- कई बार अशिक्षित लोगों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से प्राप्त धन को बैंक कर्मचारी-नेता तथा ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ से प्रभावित किया जाता है। कई बार फर्जी आईडी से अकाउंट बनाकर तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में अपना हिस्सा लेने के लिए अशिक्षित लोगों या शिक्षित लोगों को गुमराह कर, यह गठजोड़ भ्रष्टाचार को अंजाम देता है।

भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति:

- भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिलना एक बड़ी चिंता का विषय है। आज लोग भ्रष्टाचार से अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले के समय में जहाँ गलत कार्य करने के लिए लोग रिश्वत लेते थे, वहीँ आज उचित कार्य को सही समय पर कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जनता, व्यवस्था में भ्रष्टाचार को अब स्वीकार कर चुकी है।

निष्कर्ष:

यह सत्य है कि अभी आईसीटी ने भ्रष्टाचार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु भ्रष्टाचारी नित नए मार्गो को खोज लेते हैं। इसके साथ ही साइबर हमले, डिजिटल असमानता तथा भ्रष्टाचार के लिए स्वीकार्यता आईसीटी के प्रभाव को कम कर रही हैं, परन्तु भारत के नेतृत्व में जी-20 देशों की यह पहल निश्चित ही भ्रष्टाचार उन्मूलन में आईसीटी की भूमिका को मजबूत करेगी।

भारत के विकास के विविध क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका

हाल ही में लखनऊ में हुई एससीओ की एक बैठक में भारत के कैग ने ऑडिटिंग प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग पर जोर दिया है।

परिचय:

- वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग प्राय: सभी क्षेत्रों में हो रहा है। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं। इस समय हमारे देश में लगभग 40-42 हजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। भारत में बैंगलोर शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस प्रकार भारत में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य मुख्य रूप से मशीनों में समझ विकसित करने से है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बड़ी भूमिका होगी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से भारत कृषि, डिजिटल शासन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सेना, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है।
- भारत में व्यापक डेटाबेस होने के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की पूरी संभावनाएं हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भारत के द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनामी तक पहुंचने के लक्ष्य में भी सहयोगी होगा।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए अनुप्रयोग:

शिक्षा में अनुप्रयोग:

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक रिपोर्ट भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2022: शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि एआई आधारित तकनीक जैसे कि 'इमेज रिकग्निशन' और 'कंप्यूटर विजन' से शिक्षकों को बड़ी कक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट ने बताया कि 2018 में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत में एआई शिक्षा के महत्त्व को समझा और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर देखा।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MTA) ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (EMRS) और आश्रम स्कूलों जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

रक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग:

- हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' द्वारा एक 'दक्ष' (Daksh) नामक रोबोट तैयार किया गया है। यह रोबोट मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध होने वाली वस्तुओं को नष्ट करने में सक्षम है। यह पहल संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य कर रहे सुरक्षाबलों के जीवन के रक्षण तथा उनकी कार्य क्षमता के विकास में सहयोगी सिद्ध होगी।
- इसके साथ ही भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सर्प नामक रोबोट का भी निर्माण किया है। यह रोबोट आपदाओं के दौरान बचाव दलों को सहायता प्रदान करने में सक्षम है।

पर्यावरण के क्षेत्र में:

- हाल ही में 'भारतीय विज्ञान संस्थान', बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने एक 'कृत्रिम पत्ती' (Artificial Leaf) का विकास किया है। ध्यातव्य है कि यह कृत्रिम पत्ती प्राकृतिक पत्ती की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक अवशोषण करने में सक्षम है। अत: यह हरित गृह प्रभाव को कम करने में सहायक होगी तथा भारत के ग्लास्गो लक्ष्यों की पूर्ति में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

रेलवे:

- 'इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन' (IRCTC) लिमिटेड ने एक 'आस्कदिशा' (ASKDISHA) नामक चैटबॉट का विकास किया है। इसके माध्यम से रेलवे से कोई सुविधा प्राप्त करने वाला ग्राहक बोल कर अथवा लिख कर अपने प्रश्न पूछ सकता है। यह चैटबॉट ग्राहक के प्रश्नो के उत्तर देने में भी सक्षम है।
- इसके साथ ही रेलवे ने सुरक्षा हेतु कवच नामक तकनीक का प्रयोग किया है।

सामाजिक सशक्तीकरण:

- 'सामाजिक सशक्तीकरण के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020' (RAISE 2020) नामक एक मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन, नीति आयोग तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक सशक्तीकरण की सुनिश्चितता हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

युवा सशक्तीकरण:

- इसके अलावा, भारत में 'युवाओं के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम' का भी शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ग्रामीण शहरी तथा सुदूर के क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त भारतीय युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा भारत की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के सुझाव देने हेतु अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार यह सामाजिक-आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- कोरोना महामारी से निदान हेतु लोगों से संचार सुनिश्चित करने में MyGov द्वारा AI-सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद विभिन्न परीक्षण और

नैदानिक सुविधाओं से संबंधित स्टाफ एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों के विशिष्ट प्रश्नों का जवाब देने के लिये अपने पोर्टल पर वाटसन असिस्टेंट का प्रयोग किया था।

- नाइटिंगेल-19 रोबोट स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता का एक बेहतर अनुप्रयोग है। यह भोजन और दवाएँ वितरित करने के साथ डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को रोगियों के साथ बातचीत करने के लिये वीडियो इंटरेक्टिव तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- FebriEye एक AI आधारित थर्मल स्क्रीनिंग प्रणाली है जो वास्तविक समय और स्वचालित निगरानी के द्वारा आने जाने वाले लोगों में बुखार की मात्रा का मापन कर अलर्ट करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में:

- भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर एक 'यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल' (USIAI) का शुभारंभ किया है। यह दोनों देशों के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही भारत 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी' (GPAI) में शामिल होकर इस समूह का संस्थापक सदस्य भी बना। इसके वर्तमान में 29 सदस्य देश हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग में चुनौतियाँ:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहीं न कहीं निजता को प्रभावित करेगी। ऐसे समय में जब भारत में निजी डाटा संरक्षण अधिनियम का अभाव है, तब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक कहीं न कहीं निर्माता अथवा अपने प्रोग्राम (जिस पर यह तकनीक आधारित है) के कारण पूर्वाग्रही हो सकती है जो असमानता को जन्म देगी।
- भारत की अधिकांश जनसँख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति अनभिज्ञ है। ऐसे में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की निहित संभावनाओं पर कार्य करना अपेक्षाकृत जटिल सिद्ध होगा।
- इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता अनुप्रयोग कहीं न कहीं रोजगार को प्रभावित करेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या के समक्ष रोजगार संकट एक बहुत बड़ी समस्या सिद्ध हो सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी निवेश से संबंधित भी है क्योंकि भारत में अभी निवेश की घरेलू परिस्थितियां बेहतर नहीं हैं। ऐसे में, इस क्षेत्र में विदेशी निवेश पर ही अभी हमारी निर्भरता बनी हुई है। इसलिए इस क्षेत्र में उपस्थित संभावनाओं का अनुकूल तरीके से दोहन करने के लिए हमें अत्यधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता होगी जो सम्प्रभुता को भी प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत सरकार तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है तथा भारत कृत्रिम बुद्धिमता के अनुप्रयोग वाले 5 शीर्ष देशों में है परन्तु देश में अभी भी इसके विकास की व्यापक संभावनाए हैं। भारत ने एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति का भी निर्धारण किया है जो भारत में कृत्रिम बुद्धिमता के अवसरों तथा क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोगी है। हालाँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों को पूर्ण रूप से लागू करने हेतु जनता को इससे परिचित कराने तथा निवेश के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि चुनौतियों का समाधान कर लिया जाता है तो निस्संदेह ही भारत कृत्रिम बुद्धिमता के सम्भावनाओं का दोहन करके चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा।

ध्येयIAS
most trusted since 2003
GORAKHPUR
GENERAL STUDIES
Science & Technology
Hindi & English Medium
starts from
29 MARCH
8:30 AM & 5:30 PM
2nd Floor Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, UP - 273001
Call: 0551-2200385/7080847474

भारत में धारणीय पर्यटन मॉडल पर काम करने की आवश्यकता

पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए पर्यटन क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर बल देना, आज भारत की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक हो गया है क्योंकि इसके बिना न तो सतत विकास पूरा हो सकता है न ही समावेशी विकास। पर्यटन क्षेत्र का धारणीय विकास कर अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय इस दिशा में सक्रिय हुए हैं। स्थायी और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हैदराबाद में स्थायी तथा विख्यात पर्यटन स्थलों के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा तेलंगाना के पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी देखी गई। स्थायी पर्यटन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ने प्रतिभागियों को भारत के लिए स्थायी पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) की मुख्य विशेषताओं की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने जिम्मेदारी से यात्रा करने की अपनी प्रतिबद्धता की तलाश करने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ प्रतिज्ञा भी ली।

सस्टेनेबल टूरिज्म एक यात्री को एक जिम्मेदार पर्यटक में बदलने की पहल है। यह पहल पर्यटकों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और यात्रा के दौरान विचारशील व्यवहार करने का आग्रह करती है। यह यात्री को याद दिलाता है कि उनका अवकाश गंतव्य किसी का घर है। सतत पर्यटन को पर्यटन के उस रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य के लिए अवसरों की रक्षा और वृद्धि करते हुए वर्तमान पर्यटकों तथा मेजबान क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। अवकाश, साहसिक कार्य, खेलकूद, एमआईसी से लेकर पर्यटक स्थल पर्यटन में योगदान दे सकते हैं। गो ग्रीन, शून्य कार्बन फुटप्रिंट, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने, जहां तक संभव हो पैदल चलने, विरासत स्थलों की देखभाल करने और सह यात्रियों के बीच स्थाई पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी पहलों को बढ़ावा देकर पर्यटकों के बीच जागरूकता पैदा करना स्थाई पर्यटन का उद्देश्य है। इस संदर्भ में 'स्वच्छ पर्यटन' नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का उल्लेख किया जा सकता है जो वर्ष 2016 में शुरू किया गया था जो नागरिकों को देश भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के किसी भी मुद्दों पर रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। सतत् पर्यटन रणनीति के लिये यूनेस्को द्वारा जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया हैं, उसमें शामिल हैं:

आपदा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटक प्रबंधन, पर्यटक यातायात प्रबंधन, संकट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी प्रबंधन, गुणवत्ता मानक/नियंत्रण तंत्र, पर्यटन उद्यम विकास प्रशासन, ऊर्जा, लैंगिक आधार, विपणन एवं ब्रांडिंग।

- वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2005 में 'पर्यटन को और अधिक सतत्/धारणीय' बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें पहली सबसे महत्त्वपूर्ण बात ये की गई थी कि स्थायी अथवा सतत् पर्यटन में पर्यटकों, उद्योग, पर्यावरण तथा मेजबान समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वर्तमान एवं भविष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह पर्यटन का कोई विशेष रूप नहीं है बल्कि, इसमें पर्यटन के सभी प्रकारों को और अधिक सतत् बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें पर्यावरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है जो पर्यटन विकास में एक प्रमुख तत्त्व है। इसमें आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखा जाता है तथा इससे प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव-विविधता के संरक्षण में मदद मिलती है।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टूरिज्म को प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। स्थायी पर्यटन के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं पर्यटन क्षेत्र में मुख्यधारा की स्थिरता के भारत के प्रयासों को मजबूत करती हैं। पर्यटन कार्य समूह स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वाहन के रूप में पर्यटन का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है।
- हैदराबाद में स्थायी तथा विख्यात पर्यटन स्थलों के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला की बैठक में स्थायी पर्यटन की अवधारणा को क्रियान्वित करने और इसे मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थायी पर्यटन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने की पहल स्थायी पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहलों से परिचित कराने का एक प्रयास है। इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म को मजबूती देने का आवाहन किया गया:
  - पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजना स्वदेश दर्शन 1.0 की सफलता की कहानियों को साझा किया गया।
  - पर्यटकों को संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार यात्रा की मांग पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत और पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के तरीके पर विमर्श किया गया।
  - इस बैठक में यूएनईपी की सुश्री कौशिक चंद्रशेखर ने जलवायु

परिवर्तन सीओपी-26 में शुरू किए गए वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल और पर्यटन में जलवायु कार्यों पर ग्लासगो घोषणापत्र जैसे कुछ ऐतिहासिक प्रयासों को साझा किया। राज्य स्तर पर हस्तक्षेप और पर्यटन क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने हितधारकों को इस तरह की पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

» दक्षिणी क्षेत्र के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें उनके श्रेष्ठ स्थायी पर्यटन कार्य प्रणालियों पर ध्यान आकर्षित किया गया। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने कार्यों के सकारात्मक आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों जैसे कई समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करना, धारण क्षमता को लागू करते हुए आर्थिक विकास और जिम्मेदार पर्यटन पहलों तथा ग्रामीण पर्यटन विकास को वैश्विक मान्यता के बारे में विस्तृत बातचीत की।

एनजीटी द्वारा मसूरी की वहन क्षमता का अध्ययन करने का निर्देश:

- सस्टेनेबल टूरिज्म की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाल ही में एनजीटी का कहना था कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मसूरी की वहन क्षमता का आंकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अध्ययन में इस बात पर गौर किए जाने की जरूरत है कि मसूरी में कितने निर्माण की अनुमति दी जा सकती है और इसके लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए? 31 जनवरी, 2023 को दिए इस आदेश में कोर्ट ने पूछा है कि मौजूदा इमारतों तथा वाहनों के आवागमन, स्वच्छता, मिट्टी की स्थिरता और वनस्पति/जीवों के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने सहित अन्य सभी प्रासंगिक व सम्बंधित पहलुओं के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए?
- ऐसे में इस समिति की भूमिका वहन क्षमता, जल-भूविज्ञान अध्ययन, भू-आकृति विज्ञान अध्ययन के साथ अन्य सम्बंधित और आकस्मिक मुद्दों को कवर करने के प्रकाश में पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए बचाव सम्बन्धी उपायों के बारे में सुझाव देना होगा। एनजीटी ने कमेटी को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था।
- गौरतलब है कि मीडिया में जोशीमठ आपदा और उसके कारण बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन तथा संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। वहां ऊपरी सतह के विस्थापन के चलते हुए भू-धंसाव की जानकारी मिली थी। इसके लिए क्षमता से अधिक और अनियोजित निर्माण को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखा जाए तो यह मसूरी के लिए भी एक चेतावनी है, जहां इस तरह का अनियोजित निर्माण तेजी से हो रहा है। इस मामले में अदालत को सूचित किया गया है कि मसूरी की वहन क्षमता का अध्ययन 2001 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा किया गया था। संस्थान का सुझाव था कि वहां आगे कोई निर्माण व्यवहार्य नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

पर्वतीय पर्यटन एक स्थाई पर्यटन के रूप में एसडीजी का भाग:

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या 8 एवं 12 पहाड़ों में पर्यटन को एक लक्ष्य के रूप में शामिल करता है। सतत् विकास लक्ष्य संख्या 8 में कहा गया है कि 'निरंतर, समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास' के प्रसार पर केंद्रित है ताकि वर्ष 2030 तक स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार और कार्यान्वित किया जा सके। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- वहीं सतत् विकास लक्ष्य संख्या 12 'स्थायी उत्पादन एवं खपत पैटर्न' को सुनिश्चित करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य सतत् पर्यटन के लिये सतत् विकास प्रभावों की निगरानी हेतु उपकरण विकसित करना एवं उनका उपयोग करना है ताकि रोजगार का सृजन हो तथा स्थानीय संस्कृति एवं उत्पादों को बढ़ावा मिले।

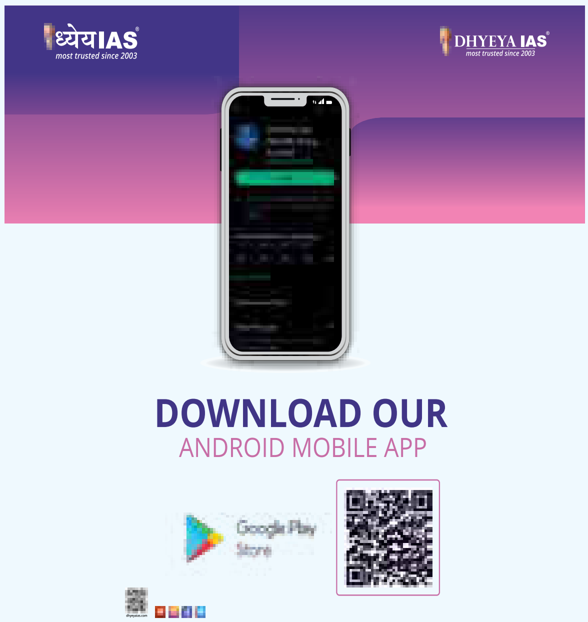

जनजातीय समुदाय के उत्थान का सांस्कृतिक माध्यम है आदि महोत्सव

जनजातीय समुदाय की विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता, धर्म, प्रथा, परंपरा, वेशभूषा, भाषा, खानपान, जीवनशैली, सामुदायिक विशेषताओं का संरक्षण भारत के विविधता में एकता की परंपरा को सुरक्षित करने के लिए अति आवश्यक है। यहीं कारण है कि भारत सरकार समय-समय पर आदिवासी समुदाय के जीवन के बहुआयामी पक्षों से देश-समाज को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आदि महोत्सव इसी शृंखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। आदिवासी संस्कृति साक्षरता को बढ़ावा देने में आदि महोत्सव का अभूतपूर्व योगदान है। आदिवासी समुदाय को एक भारत-श्रेष्ठ भारत तथा अतुल्य भारत की परंपरा से जोड़ने का कार्य लगातार किया जा रहा है जिससे आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो, जिसे आदि महोत्सव ने नई धार दी है। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की एक वार्षिक पहल है। इस साल आदि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक स्टालों में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया गया। आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला-संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से लोगों को सीधे रूबरू होने का मौका मिलता है। हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि इसमें आकर्षण के केंद्र थे। आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए वन धन मिशन के बारे में विस्तार से बताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभिन्न राज्यों में 3000 से अधिक वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं। लगभग 90 लघु वन उत्पादों को एमएसपी के दायरे में लाया गया है, जो 2014 की संख्या से 7 गुना अधिक है। इसी तरह, देश में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बढ़ते नेटवर्क से आदिवासी समाज को लाभ मिल रहा है। देश में कार्यरत 80 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 1.25 करोड़ आदिवासी सदस्य हैं।

आदिवासी खाद्य संस्कृति को बढ़ावा:

- 11 दिवसीय आदि महोत्सव मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकारों ने हिस्सा लिया। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइयों ने मिलेट्स में जायके का तड़का लगाया, जिसमें रागी हलवा, कोदो की खीर, मांडिया सूप, रागी बड़ा, बाजरा की रोटी, बाजरा का चुरमा, मडुआ की रोटी, भेल, कश्मीरी रायता, कबाब रोगन खास तौर पर शामिल था। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर के आदिवासी जायके का लुत्फ भी इस महोत्सव में मिला।
- अनुसूचित जनजातियां (एसटी) भारत की जनसंख्या के लगभग 8.6 प्रतिशत हैं जिनकी संख्या लगभग 10.4 करोड़ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। इन अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय की सुलभता एक संवैधानिक दायित्व है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास तथा उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण पर प्राथमिकता के रूप में ध्यान केंद्रित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 8451 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय में 12.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की थी।

जनजातीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार सक्रियः

- आदि महोत्सव के दौरान आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के विषय पर भी बात हुई। आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि, 'आदिवासी बच्चे, चाहे वे देश के किसी भी कोने में हों, उनकी शिक्षा और उनका भविष्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।' एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की संख्या 2004 से 2014 के बीच 80 स्कूलों से 5 गुना बढ़कर 2014 से 2022 तक 500 स्कूल हो गई है। 400 से अधिक स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिनमें लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय एवं राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 20 ईएमआरएस के लिए आधारशिला रखी गई। इन विद्यालयों की स्थापना 6 राज्यों के 14 जिलों में की जा रही है। 20 विद्यालय में से 11 नागालैंड में, 5 ओडिशा में तथा एक-एक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में है। ये विद्यालय देश के सबसे सुदूर पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में इन स्कूलों के लिए 38 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों की घोषणा की गई है। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है। पीएम मोदी ने नई शैक्षिक नीति (एनईपी) के बारे में भी आदि महोत्सव के दौरान बात की थी, जिसके माध्यम से युवा अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देश के हजारों गांव जो पहले वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित थे उन्हें 4G

कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यहां के युवा अब इंटरनेट के जरिए मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं।

आदिवासियों के समग्र विकास के लिए बनाई गई 3 योजनाएं इस प्रकार हैं:

- **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना:** आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए एससीए से टीएसएस (स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम) की मौजूदा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के तहत 36,428 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इन गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन गांवों में आदिवासियों की आबादी 500 से अधिक और कुल संख्या की 50% तक है। जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को उनकी संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 87,524 करोड़ रुपये के एसटीसी घटक के अलावा गैप फिलिंग व्यवस्था के रूप में किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के लिए 7276 करोड़ रूपये की धनराशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन:** इस मिशन का लक्ष्य वन धन समूहों के गठन के माध्यम से अगले पांच वर्षों में आजीविका संचालित आदिवासी विकास हासिल करना है। इन वन धन समूहों को वन धन केंद्रों के रूप में संगठित किया गया है। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएफपी को इन केंद्रों में संसाधित किया जाएगा और वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यम से इनका विपणन किया जाएगा। 'आत्म-निर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में नए हाट बाजार और माल गोदाम विकसित किए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड नोडल एजेंसी होगी। वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के तहत अगले पांच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- **एसटी के लिए वेंचर कैपिटल फंड:** अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-एसटी)' की नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वीसीएफ-एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसटी युवाओं द्वारा स्टार्ट-अप की सोच को विकसित करने तथा उनका समर्थन करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की एक पहल होगी।

संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत अनुदान :

- संविधान के अनुच्छेद-275(1) के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 26 राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम है जिसमें राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना कार्यकलापों में अंतरालों को कम करने के लिए एसटी जनसंख्या की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर फंड जारी किए जाते हैं।

जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा:

- डिजिटल उद्यमिता के माध्यम से जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जीओएएल कार्यक्रम का दूसरा चरण 28 जून, 2022 को लांच किया गया था। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री ने गोईंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (जीओएएल) कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ किया था। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा मेटा (फेसबुक) की एक संयुक्त पहल है। जीओएएल 2.0 पहल का लक्ष्य देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के जरिये 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से कौशल प्रदान करना है तथा उनके लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अवसरों को खोलना है।

जनजातियों के लिए आश्वासन अभियान की शुरुआत:

- जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टीबी प्रभाग ने 24 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई), नई दिल्ली में 'जनजातीय टीबी पहल' के तहत 100 दिवसीय आश्वासन अभियान की विशेषताओं का प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। 'जनजातीय टीबी पहल' जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग की एक संयुक्त पहल है, जिसे यूएसएआईडी द्वारा एक तकनीकी भागीदार और पीरामल स्वास्थ्य द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में समर्थन प्राप्त है। जनजातीय टीबी पहल के दायरे में भारत के 174 जनजातीय जिलों में टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए आश्वासन अभियान इस वर्ष 7 जनवरी को शुरू किया गया था। इसे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में झंडी दिखाकर शुरू किया गया था। इस पहल के तहत 68,019 गांवों में टीबी की घर-घर जाकर जांच की गई। 1,03,07,200 व्यक्तियों की मौखिक जांच के आधार पर 3,82,811 लोगों में टीबी होने की पहचान की गई थी। इनमें से 2,79,329 (73 प्रतिशत) नमूनों की टीबी के लिए जांच की गई और 9,971 लोग टीबी के लिए पॉजिटिव पाए गए जिनका भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया गया।
- इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में आदिवासी कल्याण और सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, साक्षरता दर में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार, सांस्कृतिक तथा वन अधिकारों का संरक्षण, पेसा कानून, 1996 और वन अधिकार संरक्षण कानून, 2006 के प्रावधानों को मजबूत करते हुए आदिवासी समुदाय के लिए समाज व अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition
4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR
Offline / Online Courses
GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

Available Optional Subjects
- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PSC PRELIMS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: 9289580074/75 • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: 9205212500/9205962002 • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: 9205336037/38 • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: 9506256789/7570009002 • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: 7234000501/ 7234000502 • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: 7518373333/7518573333 • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: 0551-2200385/7080847474

1 बच्चों को अपनी आनुवंशिक जानकारी की रक्षा करने का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चों को उनकी सहमति के बिना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) टेस्ट में उनकी आनुवंशिक जानकारी को प्रकट होने से बचाने का अधिकार है। यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आया जिसने अपनी पत्नी पर व्यभिचारी (Adulterous) संबंध का आरोप लगाते हुए अपने दूसरे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु:

- आनुवंशिक जानकारी व्यक्तिगत और अंतरंग होती है।
- बच्चों को निजता और शारीरिक अखंडता का अधिकार है।
- बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं समझा जाना चाहिए।
- बच्चे माता-पिता के बीच लड़ाई का केंद्र बिंदु नहीं बनने चाहिए।
- डीएनए टेस्ट की अनुमति देने से मां की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा।
- बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तहत बच्चों की निजता, स्वायत्तता और पहचान के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

डीएनए पितृत्व परीक्षण क्या है?

- डीएनए आनुवंशिक सामग्री है जो बच्चे अपने माता-पिता से प्राप्त करते हैं। डीएनए पितृत्व परीक्षण डीएनए प्रोफाइल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक माता-पिता है या नहीं। जैविक माता-पिता की पहचान करने के लिए माता-पिता और बच्चे के 24-मार्कर डीएनए प्रोफाइल की तुलना की जाती है।

भारत में आनुवंशिक गोपनीयता की स्थिति:

- वर्ष 2018 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आनुवंशिक परीक्षण के अभाव में लोगों के खिलाफ उनके आनुवंशिक मूल के आधार पर स्वास्थ्य बीमा में भेदभाव असंवैधानिक है।
- आनुवंशिक भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ मामले में SC ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन:

- यूएनसीआरसी एक बाध्यकारी मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है।
- इसे 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था जो 1990 में लागू हुआ। भारत सरकार ने 11 दिसंबर, 1992 को इसकी पुष्टि की।
- बाल अधिकारों पर समिति (CRC) विशेषज्ञों का एक निकाय है जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन की निगरानी और रिपोर्ट करता है।

आगे की राह:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत दूरगामी प्रभाव वाला होगा जिसमें बच्चों को केवल बच्चे होने के कारण अपने स्वयं के भाव को प्रभावित करने और समझने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

2 न्यूट्रल साइटेशन (Neutral Citation)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए 'तटस्थ उद्धरण प्रणाली' अपनाएगा। सीजेआई ने आशा व्यक्त की कि उच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण का पालन करेंगे। दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही इस सम्बन्ध में कार्य करना आरंभ कर दिया है।

'तटस्थ उद्धरण (Neutral Citation) के बारे में:

- एक तटस्थ उद्धरण का अर्थ यह होगा कि पारंपरिक लॉ रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए उद्धरण से अलग अदालत अपना स्वयं का उद्धरण प्रदान करेगी। लॉ रिपोर्टर आवधिक या वार्षिक डाइजेस्ट (Periodicals or annual digests) होते हैं जो निर्णय प्रकाशित करते हैं तथा अक्सर एक संपादकीय नोट के साथ वकीलों के लिए उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए इसे सुलभ बनाते हैं।
- एक मामला उद्धरण, अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग है। आमतौर पर, इसमें एक संदर्भ संख्या, निर्णय का वर्ष, न्यायालय का नाम जिसने निर्णय दिया था, और निर्णय प्रकाशित करने वाले जर्नल के लिए एक आशुलिपि शामिल होगी। जैसे- ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले के लिए ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'सुप्रीम कोर्ट केस' में उद्धरण (1973) 4 SCC 225 है। ऑल इंडिया रिपोर्टर (AIR) में, उद्धरण AIR 1973 SC 1461 है।

मानक उद्धरण प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता:

- इससे सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज की पहचान करने हेतु उनका उल्लेख देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्य प्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन किया जा सकता है।
- अदालत द्वारा फैसलों को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करना जिसके तहत अब तक सुप्रीम कोर्ट के 2,900 फैसलों का अनुवाद पूर्ण होना। लगभग 30,000 दस्तावेज तटस्थ उद्धरण में शामिल होंगे।
- जिला न्यायाधीशों और कानून शोधकर्ताओं की एक टीम निर्णयों के अनुवादित संस्करणों की जांच करने में सहायता करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (e-SCR) परियोजना:

- सीजेआई द्वारा 2 जनवरी, 2023 को शुरू की गई e-SCR परियोजना का उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को लगभग 34000 फैसलों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। ई-एससीआर

परियोजनाओं का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का एक डिजिटल संस्करण प्रदान करना है।

आगे की राह:

कभी-कभी न्यायालय द्वारा दिए गये फैसलों का अनुवाद करना कठिन होता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के भविष्यवादी निर्णयों से लोगों में कानून के प्रति विश्वास बढेगा। इससे कानून की समझ आम जनमानस को भी क्षेत्रीय भाषा में आसानी से हो सकेगी।

3 धारा-153A का प्रयोग या दुरूपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा -153A, 295A और 505 के अंतर्गत असम पुलिस द्वारा कथित अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने हेतु इन धाराओं के प्रयोग की अक्सर आलोचना की जाती रही है।

भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के बारे में:

- धारा-153A के तहत, 'धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना' दंडनीय अपराध है, जबकि धारा 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान देना अपराध मानती है।
- धारा-295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, पर रोक लगाती है।

अभद्र भाषा (Hate Speech) क्या है?

- 'अभद्र भाषा' की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, परन्तु यदि किसी के भाषण, लेखनकार्य, संकेत आदि के माध्यम से हिंसा होती है या समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य प्रसारित होता है, तो उसे घृणास्पद भाषण के रूप में समझा जाता है।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण आम तौर पर नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को उकसाता है।

अभद्र भाषा पर न्यायिक समीक्षा:

- सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के फैसले में गैर-कानूनी गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया था, जिसके अनुसार सात साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए, पुलिस जांच से पहले किसी आरोपी को स्वत: गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
- अरुप भुइयां बनाम असम राज्य 2011 के मामले में कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा नहीं लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है, उसे दंडित नहीं किया जा सकता।

आगे की राह:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि धारा-153A के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। वर्ष 2020 में पंजीकृत की गयी रिपोर्ट में दोषसिद्धि की दर 20.2% यह बताती है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

4 महिला आरक्षण बिल

चर्चा में क्यों?

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेत्री के. कविता ने महिला आरक्षण विधेयक (डब्ल्यूआरबी) को पारित करने की मांग को लेकर नई दिल्ली में एक दिवसीय भूख हड़ताल रखी। विधेयक महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं और संसद में कुल सीटों की एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास:

- WRB को पहली बार 1996 में HD देवेगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था। लोक सभा में विधेयक के अनुमोदन में विफल होने के बाद, इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, लोक सभा के भंग होने के साथ ही विधेयक व्यपगत (Lapse) हो गया।
- 2004 में, यूपीए सरकार ने इसे अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया और फिर से व्यपगत होने से रोकने के लिए इस बार राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च, 2010 को विधेयक राज्यसभा में पास हुआ। बिल, तब लोकसभा में पहुंचा, जहां उस पर वोटिंग ही नहीं हुई। 2014 में जब सदन को भंग किया गया तो यह एक बार फिर से लैप्स हो गया।

विधेयक की आवश्यकता:

- आईपीयू, जिसका भारत एक सदस्य है, द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं लोकसभा के कुल सदस्यों में से 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारत के नवीनतम चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2021 तक, महिलाएं संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारत में सभी राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों के लिए परिदृश्य और भी बदतर है, राष्ट्रीय औसत 9% दयनीय है।
- आजादी के 75 वर्षों के बाद भी लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी भागीदारी के बराबर नहीं रहा है।
- चुनावी प्रतिनिधित्व में, एक अंतर-संसदीय संघ अध्ययन के अनुसार, भारत संसद के निचले या एकल सदन में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में 193 देशों में से 149वें स्थान पर है।

आगे की राह:

पीआरएस के आंकड़ों के अनुसार, रवांडा (61 फीसदी), दक्षिण अफ्रीका (43 फीसदी) और यहां तक कि बांग्लादेश (21 फीसदी) इस मामले में भारत से आगे हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 'राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी वाले देशों में लैंगिक संवेदनशील कानूनों को पारित करने और लागू करने की अधिक संभावना है।' हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा 2010 के एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण परिषदों में महिला प्रतिनिधित्व ने महिलाओं की भागीदारी और पीने के पानी, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता तथा सड़कों जैसी चिंताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाई है।

5 मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राजा अन्नामलाईपुरम (चेन्नई) के ICAR-CIBA परिसर में मत्स्य पालन पर तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इनमें भारतीय सफेद झींगा (पेनियस इंडिकस) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, एक्वाकल्चर बीमा उत्पाद और आनुवंशिक सुधार पर कार्यक्रम आयोजित हुए।

जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) चरण-II:

- भारत सरकार ने रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2013 से जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) लागू किया है।
- तीव्रता के साथ प्रयासों को जारी रखने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत NSPAAD: चरण-II को मंजूरी दी है।
- चरण-द्वितीय को पूरे भारत में लागू किया जाएगा और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के साथ-साथ सभी राज्य मत्स्य विभागों से इस कार्यक्रम के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

पेनिअस इंडिकस (Penaeus indicus): चरण-I का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम:

- यह भारत के समुद्री भोजन निर्यात का लगभग 70% योगदान करता है, लेकिन पूरा क्षेत्र ज्यादातर प्रशांत सफेद झींगा (पेनियस वन्नामेई) प्रजातियों के एक विदेशी रोगजनक मुक्त स्टॉक पर निर्भर करता है ।
- इस एकल प्रजाति निर्भरता को कम करने और स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारतीय सफेद झींगा (पी. इंडिकस) के आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लिया है।
- इस कार्यक्रम से झींगा स्टॉक के लिए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा, जो वर्तमान में अन्य देशों से आयात किया जाता है।

झींगा फसल बीमा उत्पाद:

- झींगा पालन को एक 'जोखिम भरे उद्यम' के रूप में लेबल किया गया है, इस तथ्य के विपरीत कि भारत ने पिछले एक दशक के दौरान झींगा उत्पादन में लगभग 430% की वृद्धि हासिल किया है।
- अधिकांश जलीय कृषि किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2-3 तालाब हैं और संस्थागत ऋण तथा बीमा तक पहुंच की कमी के कारण फसल के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- ICAR-CIBA ने झींगा फसल बीमा उत्पाद विकसित किया है जो स्थान और व्यक्तिगत किसान की आवश्यकताओं के आधार पर इनपुट लागत के 3.7 से 7.7% के प्रीमियम के आधार पर बीमा प्रदान करेगा, अर्थात प्रीमियम एक समान सभी के लिए नहीं होगा।
- बीमा के तहत कुल फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को लागत के 80% नुकसान की भरपाई की जाएगी।

आगे की राह:

भारत 14.73 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसके अलावा, यह लगभग 7 लाख टन के फार्म्ड झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। पिछले पांच वर्षों में 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ मत्स्य पालन देश का सबसे बड़ा कृषि निर्यात है। जबकि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र की विकास दर करीब 2.5 फीसदी रही है। दूसरी ओर बीमारियों से देश को प्रति वर्ष लगभग 7,200 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। ये तीन कार्यक्रम भारत में मत्स्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

6 नैनो डाय-अमोनियम फॉस्फेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने नैनो डाय-अमोनियम फॉस्फेट (नैनो-डीएपी) के वाणिज्यिक रिलीज को मंजूरी दे दी है, जिससे उर्वरक पर सब्सिडी और आयात निर्भरता कम होने की उम्मीद है। नैनो-डीएपी का निर्माण इन्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा किया जाएगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश अधिनियम भारत में उर्वरकों की बिक्री, मूल्य निर्धारण, वितरण और अन्य औपचारिकताओं को नियंत्रित करता है। उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2021 से भारत में नैनो-यूरिया का वाणिज्यिक प्रयोग हो रहा है।

नैनो डाय-अमोनियम फॉस्फेट से सम्बंधित प्रमुख तथ्य:

- डाय-अमोनियम फॉस्फेट जिसे डीएपी के रूप में भी जाना जाता है, भारत में कृषि हेतु महत्त्वपूर्ण उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं जो प्राथमिक मैक्रो-पोषक तत्व हैं तथा 18 आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों का हिस्सा हैं।
- डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस (P2O5) होता है। डीएपी का निर्माण उर्वरक संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थितियों में फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया पर प्रतिक्रिया करके किया जाता है।
- प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, नैनो डीएपी की 500 मिली की बोतल की कीमत लगभग 600 रुपये होने की उम्मीद है, जो डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग के बराबर है, जिसकी कीमत किसान को लगभग 1,350-1,400 रुपये देनी पड़ती है।
- डीएपी यूरिया (जिसकी खपत लगभग 35 मिलियन टन है,

जबकि भारत में उत्पादन लगभग 26 मिलियन टन है) के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक खपत होने वाला उर्वरक है जिसकी वार्षिक खपत लगभग 10-12.5 मिलियन टन है जिसमें से लगभग 4-5 मिलियन टन का उत्पादन भारत में होता है जबकि शेष आयात करना पड़ता है।

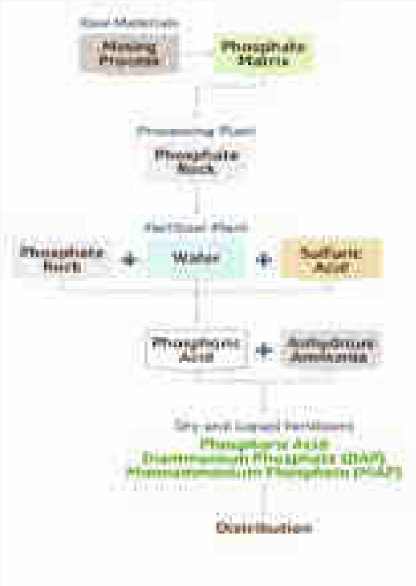

- गैर-यूरिया उत्पादों पर उर्वरक सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा डीएपी का है क्योंकि इसका व्यापक स्तर पर उपयोग होता है तथा रबी बुवाई के मौसम के दौरान खपत होने वाले मुख्य पादप रसायनों में से एक है।
- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपये की कुल उर्वरक सब्सिडी का बजट रखा है, जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए है।

नैनो-उर्वरक की सीमाएं:

- नैनो-उर्वरक के जोखिम प्रबंधन प्रणाली का अभाव।
- आवश्यक मात्रा में नैनो उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता में कमी जो पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में नैनो-उर्वरक के व्यापक पैमाने को सीमित करता है।
- नैनो उर्वरकों की उच्च लागत।
- निर्माण प्रक्रिया में मानकीकरण का अभाव।

आगे की राह:

नैनो-डीएपी के प्रयोग से बहुत हदतक डीएपी के शोर्टेज को पूरा किया जा सकता है। इससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा, उर्वरकों के आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा भंडारण को लाभ होगा तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

7 बीबीसी के कार्यालय पर कर अनियमितता को लेकर आयकर विभाग की जांच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयकर विभाग ने नई दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के कार्यालयों पर 'सर्वेक्षण कार्यवाही' की। इस सर्वेक्षण को तीन दिनों तक जारी रखने के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें प्रेषण पर करों की कथित चोरी और बीबीसी के ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र में विसंगतियों का हवाला दिया था।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:

- **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।
- **अनुच्छेद-19 के तहत मौलिक अधिकार:** भारतीय संविधान अनुच्छेद-19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदि के बारे में कुछ के संरक्षण' से संबंधित है।
- **निहित अधिकार:** प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है।

प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है:

एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, यह अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, जो निम्नानुसार है:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता।
- राज्य की सुरक्षा।
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता।
- अदालत की अवमानना।
- मानहानि।
- अपराध के लिए उकसाना।

प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य:

- **प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सिद्धांत:** पहले क्लस्टर में, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तैयार किए गए निजता के मौलिक अधिकार को लागू करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल इंडिया के लिए प्रासंगिक के. बसु दिशानिर्देश भी एक रास्ता हो सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट को कार्यकारी कार्यों के व्यापक कैनवास पर विचार करने के लिए 'प्रभाव और परिणाम' के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जो हमारी आपराधिक अदालतों की प्रथाओं को आकार देगा।

आगे की राह:

एक समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता निहितार्थ रूप से आवश्यक है, परन्तु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि प्रेस कानूनी प्रक्रिया से ऊपर है। किसी भी न्यायिक व्यवस्था में सकारात्मक प्रतिबंध आवश्यक होता है। यदि बीबीसी ने कर चोरी व किसी लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए व्यक्ति के बारे में इरादतन आलोचना किया है तो उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करना जरूरी है।

1 एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता निलंबित की

चर्चा में क्यों?

वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक वैश्विक संगठन है जो वित्तीय अपराध पर नजर रखता है, यह पता लगाने के बाद कि यूक्रेन में मास्को संघर्ष ने एफएटीएफ के सिद्धांतों का उल्लंघन है, ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।

रूस की निलंबित सदस्यता के कारण:

- एफएटीएफ ने यूक्रेन के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, जिन्होंने रूस के आक्रामक युद्ध से बहुत नुकसान उठाया है।
- इस संबंध में, रूसी सदस्यता का निलंबन स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एफएटीएफ सदस्यों के बीच आपसी सहमति के प्रति प्रतिबद्धता है।
- एफएटीएफ ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरों के प्रति सतर्क रहने के लिए सभी से आह्वान किया है।
- इससे पहले 2018 में, इसने आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित कार्यों के लिए पाकिस्तान को ग्रे-सूची में डाल दिया था।
- हालांकि, 2022 में एफएटीएफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है जिससे वह बढ़ी हुई निगरानी के अधीन नहीं है।

एफएटीएफ क्या है?

- FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसका गठन G7 देशों द्वारा वैश्विक मानक निर्धारित करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से निपटने के लिए किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग और वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली की नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे 39 सदस्य देश हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, एफएटीएफ ने 40 सिफारिशों की पहचान की है जो धन शोधन निवारण और आतंकवादी वित्तपोषण उपायों का मुकाबला करने के लिए बुनियादी ढांचे को निर्धारित करती हैं।
- एफएटीएफ के पास उन देशों के खिलाफ चेतावनी और कार्यवाही करने का अधिकार है जो इसके मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं जैसे कि सदस्यता का निलंबन और काली सूची में डालना।

एफएटीएफ की सूची:

काली सूची:

- ऐसे असहयोगी देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट में प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से संशोधन करता रहता है।

ग्रे सूची:

- जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह काली सूची में प्रवेश कर सकता है।
- 2022 तक एफएटीएफ ने आतंक के वित्तपोषण पर उत्तर कोरिया और ईरान को काली सूची में डाल दिया है और 12 देश ग्रे सूची में हैं।

आगे की राह:

अत: कहा जा सकता है कि जो देश वित्तीय विरोधी कार्य में सम्मिलित होते हैं, आतकवादी फंडिंग करते हैं तथा वित्तीय जोखिम को नदरअंदाज करते हैं, एफएटीएफ उन्हें कार्यों के अनुसार अपने लिस्ट में सम्मिलित करके कार्यवाही करता है।

2 जर्मन चांसलर का भारत दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज दो दिवसीय दौरे पर भारत आये। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया।

बैठक के मुख्य केंद्र बिंदु:

- विजन स्टेटमेंट में कहा गया है कि मई, 1974 में हस्ताक्षरित 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' के तहत दोनों देश संस्थागत रूप से विज्ञान-प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व नवाचार में सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं।
- दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग करने पर सहमत हुए। इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन सितंबर 2022 में किया गया था जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जर्मनी इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) में भी शामिल हो गया है।
- दोनों देशों ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप (जीएसडीपी) की प्रगति पर चर्चा की। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने मई, 2022 में छठे आईजीसी (अंतर-सरकारी परामर्श) के दौरान बर्लिन लॉन्च में किया था।
- ग्लासगो में COP-26 के दौरान भारत और जर्मनी द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्य 2030 में समाप्त हो जाएंगे। अत: ये संयुक्त घोषणा दोनों देशों को अपने संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।
- जर्मनी, भारत में अपने विकास सहयोग पोर्टफोलियो के तहत 10 बिलियन यूरो की नई अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं भी प्रदान करेगा।
- भारत ने हिन्द महासागर में बढ़ते चीनी प्रभुत्व को देखते हुए नौसेना के लिए छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के साथ चर्चा की।

- 'त्रिकोणीय विकास सहयोग' के तहत भारत और जर्मनी तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं पर काम करने पर सहमत हुए जिनमें से चार परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:
  - **कैमरून:** रूटेड एपिकल कटिंग्स (Rooted Apical Cuttings) तकनीक के जरिए आलू के बीज का उत्पादन।
  - **मलावी:** कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के लिए कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर मॉडल।
  - **घाना:** घाना में सतत आजीविका और आय सृजन के लिए बांस आधारित उद्यमों का विकास।
  - **पेरू:** पेरू के विकास और सामाजिक समावेश मंत्रालय (MIDIS) के हस्तक्षेप और सामाजिक कार्यक्रम की योजना, निगरानी व मूल्यांकन के लिए एक भू-स्थानिक पोर्टल प्रोटोटाइप का विकास।

दोनों देशों के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति:

- 2020-21 में 21.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो यूरोपीय बाजार में 17.4% हिस्सेदारी रखता है। हालांकि यह चीन के साथ कुल व्यापार का 10% से भी कम है।
- जर्मनी अप्रैल 2000 से भारत में 7वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। 2000 से 2019 तक भारत में जर्मनी का कुल एफडीआई 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जर्मनी का यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) है।

आगे की राह:

भारत-जर्मनी के बीच वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में काम करने के लिए एक अच्छा अवसर हैं क्योंकि दोनों देश लोकतान्त्रिक मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों का जुड़ाव स्वाभाविक हो जाता है। इन सभी लाभों का प्रयोग जनहित में करने के लिए दोनों देशों को भविष्य की बेहतर योजना पर मिलकर कार्य करना होगा।

3 विंडसर फ्रेमवर्क (Windsor Framework)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ उत्तरी आयरलैंड में नए व्यापार नियमों पर जटिल मुद्दे को हल करने के प्रयास में एक समझौते पर पहुंचे हैं जिसने यूरोप और आयरलैंड के द्वीप पर ब्रेग्जिट के बाद के तनाव को बढ़ावा दिया है। यह समझौता संभावित रूप से उत्तरी आयरलैंड में आयात और सीमा की जांच के मुद्दे को हल कर सकता है, जो कि यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम के विभाजन के सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद पहलुओं में से एक है।

विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में:

- यह नया मसौदा जिसे 'विंडसर फ्रेमवर्क' कहा जाता है, यूके के भीतर सुचारू प्रवाहित व्यापार प्रदान करेगा और यूके में उत्तरी आयरलैंड की संप्रभुता की सुरक्षा करेगा।
- इसका उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल द्वारा बनाए गए मुद्दों को ठीक करना है, जो 2019 में बोरिस जॉनसन और यूरोपीय संघ द्वारा सहमत ब्रेग्जिट मसौदे का एक परिशिष्ट है।
- उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के साथ संरेखित करके आयरलैंड द्वीप पर एक सुलभ व्यापारिक मार्ग प्रदान के लिए उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि आयरलैंड गणतंत्र और उत्तरी आयरलैंड प्रांत के बीच वस्तुओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। विंडसर फ्रेमवर्क उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा।

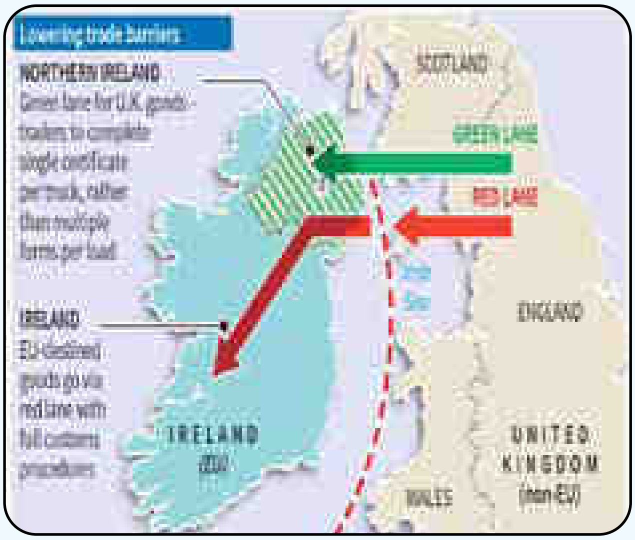

मामला क्या है?

- जब से 1921 की एंग्लो-आयरिश संधि ने आयरिश मुक्त राज्य की स्थापना की, तब से उत्तरी आयरलैंड सहित द्वीप के काउंटी यूके का हिस्सा बने रहे। यूनियनिस्ट (जो उत्तरी आयरलैंड में थे तथा ब्रिटेन के पक्षधर थे) और रिपब्लिकन (जो आयरलैंड गणराज्य के एकीकरण के पक्षधर थे) के बीच हिंसात्मक झड़प हुई जिसे द ट्रबल के रूप में जाना जाता है। इसमें 3,500 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों घायल हुए। वर्ष 1998 में विवादों का निपटारा करने के लिए 'बेलफास्ट समझौते' पर हस्ताक्षर हुआ था जिसे गुड फ्राइडे समझौता भी कहा जाता है।

विंडसर फ्रेमवर्क द्वारा पेश किए गए परिवर्तन क्या हैं?

- इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ राजनीतिक कारकों के बारे में जानने की जरूरत है। ग्रेट ब्रिटेन मुख्य द्वीप है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन शामिल हैं। अब आयरलैंड में प्रवेश करने से पहले सभी सामान की उत्तरी आयरलैंड में जांच आवश्यक नहीं होगी अर्थात अब कुछ सामानों को चेकिंग से छूट मिलेगी।

आगे की राह:

विंडसर फ्रेमवर्क के माध्यम से वस्तुओं के अबाध आवागमन को बढ़ावा मिलेगा जिसका लाभ आयरलैंड तथा यूके के साथ ही सम्पूर्ण यूरोपीय देशों को प्राप्त होगा। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करने में मदद होगी।

4 फ्रिंजेक्स (FRINJEX)-23

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स (FRINJEX)-23 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- यह पहली बार है जब दोनों देश अपनी सेनाओं को इस प्रारूप में शामिल कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दल में एक कंपनी समूह शामिल है।
- यह अभ्यास 'एक विवादित वातावरण में मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन' विषय पर आधारित है।
- सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच समन्वय, अंतरसंक्रियता और सहयोग को बढ़ाना इस अभ्यास का उद्देश्य है।
- इसमें तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिक और फ्रांस की 6वीं लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड के सदस्य शामिल थे।
- समग्र भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख पहलू फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है, जो इस संयुक्त अभ्यास के माध्यम से किया जाएगा।

अभ्यास का कार्यक्षेत्र:

- एक आंतरिक रूप से विस्थापित जनसंख्या शिविर की स्थापना तथा आपदा राहत सामग्री की आवाजाही से संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए परिकल्पित क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना व संचालन किया जाना।

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी:

- भारत और फ्रांस ने 1998 में एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसने 2023 में अपने 25 साल पूरे किए, जो प्रमुख क्षेत्रों में उनके बीच सहयोग के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है।
- यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की एक श्रृंखला पर उनके विचारों के अभिसरण का प्रतीक है।
- पिछले 25 वर्षों में, भारत-फ्रांस ने सुरक्षा, सतत विकास और शांति को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता के आधार पर गहन तथा बढ़ते संबंध विकसित किए हैं।
- वरुण (Naval), गरुड़ (Air force) और शक्ति (Army) जैसे द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच नियमित रूप से होते रहे हैं।

दोनों देशों के बीच चल रही प्रमुख रक्षा संबंधी परियोजनाएं:

- राफेल जेट के लिए भारत और फ्रांस ने 2016 में लगभग 59000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।
- 2005 में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक महत्त्व के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राहः

भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा उत्पादन में सहयोग प्रमुख है। अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले में अभिसरण, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में फ्रांस का उभरना, स्टार्ट अप इंडिया के तहत फ्रांस के साथ डिजिटल साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता, दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता का संकेत देते हैं, जिसे आने वाले वर्षों में मजबूत करने की आवश्यकता है।

5 प्रथम भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया। इस यात्रा का आधार गहरे व्यापार, निवेश और रक्षा संबंधों के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों में नई गति को मजबूत करना है।

संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

- पिछले कुछ वर्षों में, दोनों ने साझा मूल्यों और हितों पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध विकसित किया है। दोनों देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासित हैं, जिनकी विविधतापूर्ण जनसंख्या बहुपक्षवाद और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। उन्होंने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग किया है।
- जून 2020 में भारत-ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व, वर्चुअल शिखर सम्मेलन, द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक बढ़ गया है।
- मार्च 2022 में दूसरे भारत - ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में, कई प्रमुख घोषणाएं की गई, जिनमें कौशल के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता के लिए व्यवस्था पत्र शामिल हैं।

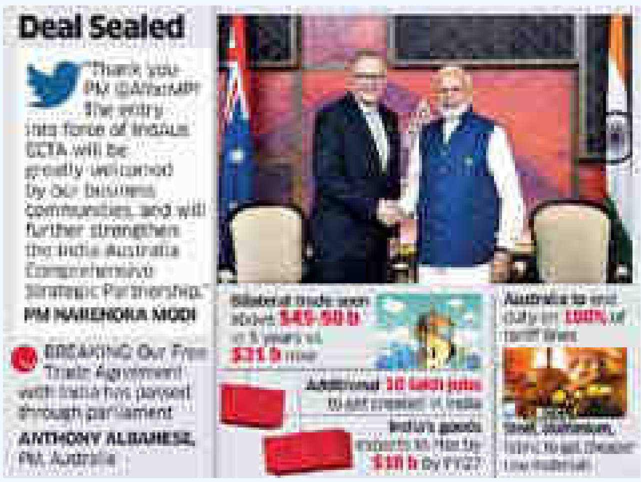

द्विपक्षीय बैठक के परिणाम:

- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को जल्द पूरा करना।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) ईसीटीए का एक उन्नत संस्करण है जिसका उद्देश्य दो देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए बाधाओं को खत्म करना है।

- आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता (ईसीटीए) दिसंबर 2022 में लागू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में ऑस्ट्रेलिया को 96% भारतीय निर्यात और भारत को मूल्य में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के 85% पर शून्य शुल्क लगाया गया है।
- द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ईसीटीए के साथ, पांच वर्षों में इसके लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- भारत ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदायों और हिन्दू मंदिरों पर हो रही हिंसा की घटनाओं पर कड़ी चिंता व्यक्त की तथा खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रवों पर चर्चा की।
- दोनों देश साझा चुनौतियों से निपटने और खुले तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत की दिशा में काम करने के लिए रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- **स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग**- दोनों देशों ने फरवरी 2022 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कम लागत वाले सौर तथा स्वच्छ हाइड्रोजन की लागत को कम करने की दिशा में सहयोग प्रदान करता है।

आगे की राह:

दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण साझेदार हैं और विभिन्न क्षेत्रों में करीबी सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती पहुंच के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आपस में 'क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और करी' से 'चीन, क्लाइमेट और क्रिटिकल टेक' के लिए मिलकर काम कर सकते है।

6 अमेरिका-चीन संबंधों में गिरावट

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त शी जिनपिंग ने 6 मार्च को एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को बताया कि चीन 'देश के विकास के लिए अभूतपूर्व गंभीर चुनौतियों' का सामना कर रहा है क्योंकि 'अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश, चीन के चौतरफा नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे है।' इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि शी की टिप्पणी सबसे अधिक स्पष्ट सार्वजनिक और प्रत्यक्ष आलोचना है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 'विश्व स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व के लिए प्रमुख खतरा है।'

तनावपूर्ण संबंधों का कारण:

- अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की चोरी के चीनी प्रयासों पर अमेरिका का आरोप।
- डेटा सुरक्षा और निगरानी से संबंधित चीनी स्वामित्व वाले वीडियो-शेयरिंग ऐप टिकटॉक द्वारा उत्पन्न खतरे।
- ताइवान पर चीन की आक्रामक नीति और मुख्य भूमि चीन में ताइवान एकीकरण के लिए बार-बार आह्वान।
- चीन ने दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण किया और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया।
- फेंटेनल के प्रारंभिक उत्पादन में चीन की भूमिका, जो हर साल हजारों अमेरिकियों को मारती है।
- भारत, जापान जैसे अपने पड़ोसियों और दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों के प्रति चीन की आक्रामकता।
- चीन द्वारा हांगकांग, उइगर मुसलमानों और असहमतियों में मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन।

तनाव को बढ़ावा देने वाली हालिया घटनाएं:

- अमेरिकी सेना ने कथित चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया, जिस पर चीन ने चिंता जताई थी कि यह शीत युद्ध की मानसिकता से निर्देशित था।
- इस घटना के कारण विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा रद्द कर दी गई, जिसका उद्देश्य बिडेन-शी शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना था।

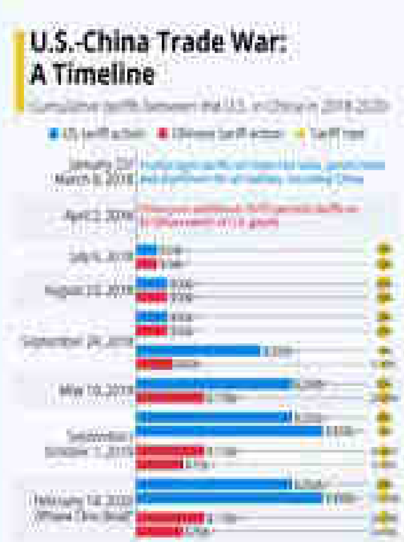

- ऊर्जा विभाग और एफबीआई के आकलन से पता चलता है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला लीक से हुई थी।
- अमरीका ने ईरानी ड्रोन के लिए एयरोस्पेस पुर्जों की आपूर्ति करने के आरोप में पांच चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया।
- बाइडन प्रशासन ने एक बजट प्रस्ताव की घोषणा की जिसमें एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के अनुरोध शामिल थे और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां बेचने की योजना बनाई थी।
- चीन पर यूक्रेन हमले में रूस का समर्थन करने का आरोप लगाया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीदरलैंड को चीन को सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

आगे की राह:

अमेरिका-चीन संबंध नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह नए शीत युद्ध की शुरूआत हो सकती है। क्वाड पर बीजिंग की बढ़ती मुखर आपत्तियों का मतलब है कि उसे भूमि सीमाओं पर निरंतर दबाव के लिए तैयार रहना होगा।

7 भारत तथा इटली ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उम्मीद जताई कि जी-20 की अध्यक्षता में भारत, यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने के लिए वार्ता प्रक्रिया को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका निभायेगा। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास को समाप्त करते हुए विदेश सचिव विनय एम. क्वात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की।

समझौते और सम्बन्ध के निहितार्थ:

- दोनों देशों ने उद्योगों के लिए विशेष रूप से विनिर्माण, सह-उत्पादन, सह-डिजाइन और सह-नवाचार के क्षेत्र में अधिक दृढ़ता से सहयोग करने के लिए समझौता किया है। सैन्य अभ्यास को सशस्त्र बलों और समुद्री सहयोग के सभी स्तरों तक विस्तारित करने पर सहमति बनी।
- इटली ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने का फैसला किया है जिससे 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र' में सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक आशय पत्र (डीओआई) भी पूरा किया जो एक बार आपसी समझौते अस्तित्व में आने के बाद, यह कई क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा में आपसी सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगा।
- सुश्री मेलोनी ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता के साथ भारत वैश्विक दक्षिण के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जी-20 की अध्यक्षता में भारत एक न्यायसंगत शांति के लिए शत्रुता को समाप्त करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र:

- पीएम मोदी ने इटली को 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने पर सहमत हुए।
- दोनों देशों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बारे में भी बात की जो पिछले साल 15 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

आगे की राह:

दोनों देशों ने रक्षा के अलावा, सहयोग के लिए विशिष्ट रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में अंतरिक्ष, साइबर और समुद्र की पहचान की है। एक अन्य क्षेत्र मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) है जिसके तहत दुनिया में आने वाली ऐसी चुनौतियों का जवाब देने हेतु हमारी प्रणालियों को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए दोनों देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास किये जा रहे हैं। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो अब कुछ वर्षों से काम कर रहा है। इसमें अंतर-सरकारी समझौतों को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा के अनुरूप कार्य होना चाहिए।

ध्येयIAS® most trusted since 2003
DHYEYA IAS® most trusted since 2003
DHYEYA EPFO EO/AO
TEST SERIES 2023
Offline & Online
starts from
26 MARCH
Total Tests 10 (7 Sectional + 3 Full Length)
Fee Structure
Non-Dhyeya Students: Rs. 4499/- (Including GST)
Dhyeya Students: Rs.3999/- (Including GST)
Online Mode: Rs 2999/- (Including GST)
The first 50 students will get a 25% discount
The next 50 students will get a 20% discount
DISCOUNT OFFER ONLY FOR OFFLINE STUDENT
Call: 9205274741/42, 9289580074

पर्यावरणीय मुद्दे

1 पर्यावरण मंत्रालय ने काजीरंगा में गैंडों के आंकलन पर मांगी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की आबादी की गणना पर 'तथ्यात्मक रिपोर्ट' देने का निर्देश दिया है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान:

- असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है।
- इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है जो ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे के कुल विश्व आबादी का तीसरा हिस्सा है।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अंडिस (Enedis) पक्षी क्षेत्र है।
- असम में अनुमानित 2645 गैंडे हैं जो 434 वर्ग किलोमीटर के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक आबादी वाला जानवर हैं।
- मानस राष्ट्रीय उद्यान और पवित्रा में से प्रत्येक में लगभग 100 गैंडे हैं, जबकि औरंगाबाद राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 30 गैंडे हैं।
- विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद हर वर्ष विशेष रूप से काजीरंगा में कई गैंडे शिकार की भेंट चढ़ जाते हैं और अन्य वार्षिक बाढ़ में मर जाते हैं।

एक सींग वाला गैंडा:

- एक सींग वाला गैंडा, जिसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, गैंडों की प्रजातियों में सबसे बड़ा है।
- इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरोस यूनिकोरनेस है।
- एशिया में गैंडों की तीन प्रजातियां पाई जाती हैं। एक सींग वाले गैंडे जावा और सुमात्रा में भी पाये जाते हैं।
- सभी तीन प्रजातियों को CITES के परिशिष्ट एक के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- यह आईयूसीएन लाल सूची में भी चिह्नित है।
- जावा और सुमात्रा गैंडे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
- एक सींग वाले गैंडे (भारतीय गैंडे) असुरक्षित हैं।
- एक सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

रिपोर्ट के बारे में:

- राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों में विसंगतियों को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी से 27 जनवरी को प्राप्त एक प्रतिनिधित्व के आधार पर सूचना का अनुरोध किया गया था।
- उद्यान का कुल क्षेत्रफल 889.51 वर्ग किमी में है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक सींग वाले गैंडों का हिस्सा है। उन्होंने सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि काजीरंगा में गैंडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

2 भारत का लौह-इस्पात उद्योग कम उत्सर्जन और अधिक उत्पादन करने में सक्षमः सीएसई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा जारी एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि भारत का लौह और इस्पात क्षेत्र अपना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कम कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना, स्टील स्क्रैप का उपयोग बढ़ाना, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) को लागू करना और नए ईंधन तथा प्रौद्योगिकियों के स्विचओवर के लिए वित्त की व्यवस्था करनी होगी।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- लौह और इस्पात क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना कठिन (Hard-to-abate) वाला क्षेत्र है तथा देश के आर्थिक विकास में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- विश्व स्तर पर, इस क्षेत्र का कुल जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 7 प्रतिशत योगदान है। UNFCCC को प्रस्तुत नवीनतम द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है।
- भारत के लौह और इस्पात उद्योग ने 104 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 2020-21 में 267.48 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन किया।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार, भारत की अपेक्षित इस्पात उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन होगी। भारत स्पंज आयरन या डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका लगभग 82% उत्पादन कोयला आधारित लघु-स्तरीय इकाइयों से होता है।
- लौह और इस्पात उद्योग एक उत्सर्जन-गहन उद्योग है। नए विश्लेषण से पता चलता है कि 2030 तक हमारे लौह और इस्पात क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करना संभव है, जबकि भारत के स्टील के उत्पादन को दोगुना से भी अधिक करना संभव है।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और संग्रहण (CCUS):

- इस तकनीक को जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले CO_2 उत्सर्जन को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो वातावरण में 85-95% CO_2 उत्सर्जन को अवशोषित कर सकता है। कैप्चर किए गए CO_2 को बाइकार्बोनेट जैसी अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- सीसीयू प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कैप्चर की गई CO_2 को ईंधन (मीथेन और मेथनॉल), रेफ्रिजरेंट और निर्माण सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। कैप्चर की गई गैस का उपयोग सीधे आग बुझाने वाले यंत्रों, फार्मा, खाद्य और पेय उद्योगों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है।

आगे की राह:

भारत को अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा, इस्पात के अधिकतम स्क्रैप पर लिमिट लगाना होगा, विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी हस्तांतरण और फंड को जुटाना होगा ताकि ऊर्जा का प्रयोग, इसके उत्पादन व उत्सर्जन संतुलित रूप से बना रहे।

3 'इंडियन स्टेट्स' एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (IEEFA) और EMBER ने 'इंडियन स्टेट्स' एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की।

इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट क्या है?

- इसे IEEFA (भारतीय ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान) द्वारा EMBER के साथ मिलकर जारी किया गया है।
- 2023 के लिए, इस रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है जो देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा है।
- इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन (SET) नामक एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई है।
- इस विश्लेषण के तहत चार आयामों को ट्रैक किया गया है- पावर सिस्टम का प्रदर्शन, डीकार्बोनाइजेशन, पावर इकोसिस्टम की तैयारी तथा नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धता।
- इन आयामों के आधार पर किसी राज्य की जीवाश्म-ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से स्थानांतरित करने की क्षमता, हरित बाजार को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता, बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइजेशन के लिए सरकार की नीति को ट्रैक किया जाता है।

ऊर्जा संक्रमण (एनर्जी ट्रांजिशन) क्या है?

- ऊर्जा संक्रमण सौर, पवन, साथ ही लिथियम-आयन बैटरी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक बदलाव है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं।
- ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी चार आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एकमात्र राज्य कर्नाटक है। यह मुख्य रूप से अपनी अनुकूल नीतियों और एक सहज परिवर्तन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अच्छा कर रहा है।
- बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के मामले में कर्नाटक के बाद गुजरात का स्थान है।
- कर्नाटक के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा कुल बिजली मिश्रण का 29% आपूर्ति करती है जिससे यह अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाला राज्य बन गया।
- जहां पंजाब और हरियाणा ने ऊर्जा परिवर्तन में बड़े कदम उठाए हैं, वहीं सबसे अधिक बिजली की मांग वाले महाराष्ट्र को बहुत धीमी अक्षय ऊर्जा अपनाने का सामना करना पड़ रहा है।

IEEFA (ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान):

- IEEFA एक यूएस आधारित गैर-लाभकारी संगठन है। यह ऊर्जा बाजारों, प्रवृत्तियों और नीतियों से संबंधित वित्तीय तथा आर्थिक समस्याओं से संबंधित है।
- इस संगठन का मिशन एक विविध, टिकाऊ और लाभदायक ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को बढ़ाना है।

EMBER:

- EMBER (पूर्व में सैंडबैग) ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था।
- आजकल, यह ईयू ईटीएस और ईयू जलवायु नीति पर अनुसंधान और अभियान आयोजित करता है, जिसमें कोयला बिजली संयंत्र शामिल हैं, उद्योग में उत्सर्जन को कम करते हैं और प्रयास साझाकरण विनियमन तथा यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में सुधार करते हैं।

आगे की राह:

अपनी अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर, कर्नाटक के पास हरित बाजार तंत्र के माध्यम से पड़ोसी राज्यों को बिजली प्रदान करने का एक उत्पादक अवसर है। एनडीसी लक्ष्यों को संशोधित करके केंद्र सरकार को अब अपने स्वच्छ बिजली परिवर्तन में तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। अधिक अनुकूल नीतियों जैसे हरित ऊर्जा की खुली पहुंच और बिजली की बैंकिंग के माध्यम से उन्नत हरित बाजार प्रक्रिया भागीदारी की आवश्यकता है।

4 ग्रेट सीहॉर्स (Great Seahorse) के माइग्रेशन का खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि कोरोमंडल तट पर व्यापक रूप से मछली को पकड़ने से बड़े समुद्री घोड़े को ओडिशा की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

ग्रेट सीहॉर्स (Great Seahorse) के बारे में:

- इसे महान समुद्री घोड़ा भी कहते हैं क्योंकि इनके सिर का आकार घोड़े के सिर की तरह दिखता है। उन्हें जीनस हिप्पोकैम्पस में मछली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये मध्य अक्षांश में उथले उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण तटीय जल में पाए जाते हैं।

इनका वितरण:

- दुनिया भर में इनकी 46 प्रजातियां बताई गई हैं। भारत के तटीय पारिस्थितिक तंत्र में, इंडो-पैसिफिक में पाई जाने वाली 12 में से 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में सीहॉर्स की आबादी विविध पारिस्थितिक तंत्रों जैसे कि सीग्रास, मैंग्रोव, मैक्रोगल और कोरल रीफ में वितरित है।
- भारत में पाई जाने वाली 9 प्रजातियाँ लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा गुजरात से ओडिशा तक 8 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेशों के तटों पर वितरित हैं। अपने नाम के विपरीत ये अच्छे तैराक नहीं होते हैं लेकिन राफ्टिंग द्वारा माइग्रेट करते हैं। फ्लोटिंग सब्सट्रेट जैसे कि मैक्रोलेगा या प्लास्टिक मलबे

से समुद्र की धाराओं द्वारा नए आवासों में प्रवेश करते हैं।

अद्वितीय प्रजनन आवास:

- नर बच्चे को जन्म देता है क्योंकि मादा अपने अंडों को नर की पूंछ के आधार पर स्थित एक व्यापक थैली में रखने के लिए एक अंडाकार (अंड नलिका) नलिका का उपयोग करती है जहां अंडे बाद में निषेचित होते हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- 2001 में भारत में पाए जाने वाले सभी समुद्री घोड़ों की प्रजातियों को डब्ल्यूएलपीए, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया था। तब से भारत में समुद्री घोड़ों पर मछली पकड़ने और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा है।
- उन्हें IUCN की लाल सूची में वर्गीकृत किया गया है, जबकि CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है।

सीहॉर्स के लिए खतरा:

- महान समुद्री घोड़े ओडिशा तट रेखा (पाक खाड़ी से मन्नार की खाड़ी से ओडिशा तक) से बंगाल की खाड़ी में कम तीव्र मछली पकड़ने वाले क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन इसका उथला पानी उनके लिए आरामदायक क्षेत्र नहीं हो सकता है।
- पारंपरिक चीनी चिकित्सा, सजावटी मछली और सामान्य विनाशकारी मछली पकड़ने के लिए इनकी आबादी घट रही है।

आगे की राह:

महान समुद्री घोड़ों की आबादी के पास अद्वितीय निवास स्थान है, इसलिए मिष्टी जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव क्षेत्र का संरक्षण फायदेमंद हो सकता है। तटीय पारिस्थितिक तंत्र की पर्याप्त निगरानी समय की आवश्यकता है। जैव विविधता संरक्षण उपायों और तटीय पर्यटन गतिविधियों पर इसके बहुआयामी सकारात्मक परिणाम होंगे।

5 2022 में CO2 उत्सर्जन की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में '2022 में CO2 उत्सर्जन' नाम से रिपोर्ट IAE द्वारा प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन 0.9% या 321 Mt बढ़ा, जो 36.8 Gt से अधिक के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालाँकि यह 2022 में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि 2021 में 6% से अधिक की असाधारण वृद्धि से बहुत कम थी।
- 321 Mt CO2 वृद्धि में, 60 Mt कूलिंग और हीटिंग की मांग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि अन्य 55 Mt CO2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कारण है।

2022 में बेहतर नतीजों की वजहें:

- नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हीट पंप जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती ने CO2 उत्सर्जन में अतिरिक्त 550 Mt को रोकने में मदद की।
- औद्योगिक उत्पादन कटौती, विशेष रूप से चीन और यूरोप में, अतिरिक्त उत्सर्जन को भी रोका।
- 2022 में CO2 की वृद्धि 3.2% की वैश्विक जीडीपी वृद्धि से काफी नीचे थी जो आर्थिक विकास से उत्सर्जन को कम प्रदर्शित कर रहा है।

'2022 में CO2 उत्सर्जन' रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट IEA (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) की नई श्रृंखला, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक में पहली है।
- रिपोर्ट में सभी ऊर्जा दहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं से CO2 उत्सर्जन को शामिल किया गया है।
- इसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की जानकारी भी शामिल है, जो 2022 में ऊर्जा से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में:

- यह एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जो एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य की ऊर्जा नीतियों को आकार देने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ काम करता है।
- इसकी स्थापना 1973-1974 के तेल संकट के मद्देनजर की गई थी, ताकि इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों को कम करने में मदद मिल सके।
- यह मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। इन नीतियों को आईईए के 3 ई के रूप में भी जाना जाता है।
- **महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट:** विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी और भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट।

आगे की राह:

CO2 उत्सर्जन में कमी के पीछे मुख्य कारण सीमेंट उत्पादन में 10% की कमी और इस्पात उत्पादन में 2% की कमी थी। ऊर्जा की समग्र कीमत में वृद्धि होना ईंधन व्यापार बाधित होना और मुद्रास्फीति चरम पर पहुंचना, कुल उत्सर्जन में कमी का कारण रहा है।

6 एंटीबायोटिक दवाओं का जलवायु पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज (CES), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जंगली शाकाहारी जानवरों द्वारा चराई की तुलना में पशुओं द्वारा चरने से मिट्टी में कार्बन का भंडारण कम होता है। पशुधन क्षेत्रों में मिट्टी में 19% कम कार्बन उपयोग क्षमता होती है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जैसे जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को प्रभावित कर रहे हैं।

अध्ययन के बारे में:

- मृदा कार्बन स्टॉक पर उनके संबंधित प्रभाव के संदर्भ में भेड़ और मवेशियों जैसे जंगली जानवर (याक और आइबेक्स) के साथ

पशुधन की विशेषताओं की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया गया था।

- शोधकर्ताओं ने पाया कि जंगली शाकाहारियों द्वारा चराई की तुलना में पशुओं द्वारा चरने से मिट्टी में कार्बन भंडारण कम होता है।
- यह अंतर पशुओं पर टेट्रासाइक्लिन जैसे पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक्स के उपयोग के कारण प्रतीत होता है।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि जब गोबर और मूत्र मिट्टी में छोड़ा जाता है, तो ये एंटीबायोटिक्स मिट्टी में माइक्रोबियल समुदायों को इस तरह से बदल देते हैं जो कार्बन को अलग करने के लिए हानिकारक होते हैं।
- नवीनतम अध्ययन के अनुसार, जंगली और पशुधन क्षेत्रों की मिट्टी में कई समानताएं होने के बावजूद, वे कार्बन उपयोग दक्षता (सीयूई) पैरामीटर में मुख्य रूप से भिन्न हैं।

कार्बन उपयोग दक्षता के बारे में:

- कार्बन उपयोग दक्षता (सीयूई) वायुमंडल से स्थलीय बायोमास में कार्बन (सी) हस्तांतरण का एक प्रमुख उपाय है और अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि वनस्पति से वायुमंडल में ऑटोट्रोफिक श्वसन के माध्यम से कितना कार्बन जारी किया जाता है? कार्बन उपयोग दक्षता (सीयूई), एक अवधि में सकल कार्बन आत्मसात करने के लिए शुद्ध कार्बन लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

एंटीबायोटिक्स के बारे में:

- एंटीबायोटिक्स उल्लेखनीय दवाएं हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी के शरीर में जैविक जीवों को मारने में सक्षम होती हैं।
- जानवरों के भोजन में एंटीबायोटिक का उपयोग जानवरों में जीवाणु रोगों के उपचार, नियंत्रण और रोकथाम में मदद करता है।
- पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक दवाओं के कुछ सामान्य वर्ग हैं। कुछ बैक्टीरिया (व्यापक स्पेक्ट्रम) की एक विस्तृत शृंखला के खिलाफ प्रभावी होते हैं, जबकि अन्य केवल बैक्टीरिया (संकीर्ण स्पेक्ट्रम) के एक छोटे समूह को लक्षित कर सकते हैं।

आगे की राह:

भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग बैक्टीरिया के भीतर उत्परिवर्तन का कारण बन रहा है। बैक्टीरिया में उत्परिवर्तन कई बीमारियों को जन्म देता है और माइक्रोबियल समुदाय के क्रिया विधि को बदल देता है। यह अध्ययन मानव भूमि उपयोग, एंटीबायोटिक्स, रोगाणुओं, मिट्टी और

7 प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation)

प्रतिपूरक वनीकरण क्या है?

- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि औद्योगिक या बुनियादी ढांचे के विकास जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को 'डायवर्ट' किए जाने पर, अनिवार्य रूप से भूमि के कम से कम समान क्षेत्र पर वनीकरण किया जाए।

इसके लिए कानूनी आधार क्या हैं?

- **प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016-** इसके तहत, परियोजना डेवलपर्स सार्वजनिक या निजी, को भूमि प्रदान करने और इन नई भूमि पर संपूर्ण वनीकरण गतिविधि को निधि देने की आवश्यकता होती है।
- साथ ही, डेवलपर्स को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तय की गई गणना के आधार पर, जंगलों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु भुगतान करने के लिए भी कहा जाता है।
- यह धनराशि इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरों पर प्रतिपूरक वनीकरण निधि में सृजित विशेष निधियों में रखी जाती है।
- पैसा पहले केंद्रीय कोष में जमा किया जाता है, जहां से इसे उन राज्यों में वितरित किया जाता है जहां परियोजनाएं स्थित हैं।

इसकी जरूरत क्यों है?

- पिछले 10 वर्षों में, 1,611 वर्ग किमी से अधिक वन भूमि को बुनियादी ढांचे या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें से लगभग एक तिहाई या 529 वर्ग किलोमीटर पिछले तीन वर्षों में ही समाप्त हो गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित समस्याएं क्या हैं?

- इसने जंगलों की सफाई को वैध बना दिया है, और विशेषज्ञ इसे 'ग्रीनवॉशिंग' के उदाहरण के रूप में देखते हैं।
- **निधियों का उपयोग-** सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य सरकारों द्वारा वनीकरण के लिए बनाई गई वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) ने अपने निपटान में धन का पूरा उपयोग नहीं किया है, यहां तक कि इस एपीओ के लिए अनुमोदित धन भी पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया है।
- इन निधियों के दुरुपयोग या विपथन के भी आरोप लगे हैं और कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं।

उपयुक्त भूमि की उपलब्धता का अभाव:

- वनीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि अक्सर खराब गुणवत्ता की होती है और अक्सर बढ़ते वृक्षारोपण के लिए बेहद अनुपयुक्त होती है।
- शायद ही कभी इस उद्देश्य के लिए भूमि का एक सन्निहित खंड उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि, भूमि का कुल क्षेत्र अक्सर बीस या अधिक विभिन्न स्थानों पर वितरित किया जाता है।

वृक्षारोपण से संबंधित समस्या:

- उनकी तुलना कभी भी उस तरह के जंगलों से नहीं की जा सकती है जो अक्सर डायवर्ट हो जाते हैं।
- ये मोनोकल्चर हैं इसलिए बीमारी और कीट के हमलों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
- उन्हें अक्सर आसपास की मानव बस्तियों और मवेशियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

चूंकि, किसी न किसी उद्देश्य के लिए वनों की सफाई को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रतिपूरक वनीकरण कुछ हद तक इन नुकसानों की भरपाई करने के प्रयास के लिए एक अच्छा तंत्र है। इसलिए, कार्यक्रम में सभी कमियों को उचित प्राधिकारी द्वारा उठाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण संरक्षण विकास के साथ-साथ चलना चाहिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 बोर थेकेरा (Bor Thekera) नामक औषधीय पौधे में कार्डियोप्रोटेक्टिव क्षमता

चर्चा में क्यों?

गार्सिनिया पेडुनकुलाटा, असमिया भाषा में प्रायः बोर थेकेरा कहा जाने वाला एक ऐसा औषधीय पौधा है, जिसे पारंपरिक रूप से कच्चा खाने से मना किया जाता है, को हृदय रोगों से बचाव करने में सक्षम पाया गया है।

इसके औषधीय गुणः

- इस औषधीय पौधे के पके हुए फल के सूखे गूदे का औषधि के रूप में प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के अनुसार हृदय का आकार बढने के (कार्डियक हाइपरट्रॉफी) संकेतक एवं शरीर में फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हृदय की सूजन को कम करता है।
- पके फल के धूप में सुखाए गए टुकड़ों का उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसे एंटी-इंफ्लेमेटरी, कृमिनाशक, जीवाणुरोधी, कवकरोधी, मधुमेहनाशी, हाइपरलिपीडेमिया, नेफ्रोप्रोटेक्टिव और यहां तक कि न्यूरोप्रोटेक्टिव गतिविधि जैसे चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। इन दावों के साक्ष्य मांगने वाले वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के साथ, कई अध्ययनों से पता चला है कि जी. पेडुनकुलाटा स्वयं ही एंटीऑक्सिडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। हालाँकि, इसकी हृदयरोगों से बचाव की क्षमता का अभी तक पता लगाया जाना बाकी है।

शोधः

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी) के वैज्ञानिकों ने हृदय रोगों को रोकने के लिए इस औषधीय पौधे की क्षमता का पता लगाया। एक प्रयोग में 28 दिनों के लिए 24 घंटे के अंतराल (85 मिलीग्राम/किग्रा) में शरीर के भार (बीडब्ल्यू) पर विस्टर चूहों को इस जड़ी-बूटी के बायोएक्टिव क्लोरोफॉर्म अंश (जीसी) की दोहरी खुराक दी गई।
- फिर इसके चिकित्सीय प्रभाव का आकलन करने के लिए आइसोप्रोटेरेनॉल-प्रेरित दिल के दौरे के मॉडल के बाद आइसोप्रोटेरेनॉल का इंजेक्शन लगाया गया। सभी जानवरों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि ऐसे रोग समूह में महत्त्वपूर्ण वह एसटी लहर थी जो रोग की गम्भीरता, मायोकार्डियल रोधगलन का संकेत देती है। यह हृदय के वेंट्रिकल्स के डिपोलेराइजेशन और रीपोलेराइजेशन के बीच के अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे एटेनोलोल और जीसी उपचार के साथ सामान्य किया गया था। कार्डिएक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक ट्रोपोनिन-I, टिश्यू लिपिड पेरोक्सीडेशन और सीरम इंफ्लेमेटरी मार्कर सभी इस रोग समूह में महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए थे जिन्हें जीसी प्रीट्रीटेड समूहों में लगभग सामान्य स्तर पर बनाए रखा गया था। जीसी-उपचारित समूहों में अंतर्जात एंटीऑक्सिडेंट को भी नया रूप दिया गया।

आगे की राहः

इस अध्ययन में सूचित किए गए चिकित्सीय प्रभाव भी इन सभी यौगिकों की उपस्थिति के कारण होने की संभावना है। ये सभी परिणाम पूर्वोत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जी. पेडुनकुलाटा के फल की हृदय रोग से बचाव की क्षमता का दृढ़ता से अनुमान लगाते हैं।

2 आनुवंशिक दवाओं को सम्पूर्ण शरीर में पहुंचाना होगा आसान-शोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एरा थेरेप्यूटिक्स नामक एक निजी बायोटेक कंपनी ने एक प्रकार के प्रोटीन नैनोपार्टिकल की खोज की, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसका उपयोग शरीर के चारों ओर सभी प्रकार की आनुवंशिक दवाओं को पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। वर्षों से आनुवंशिक रोगों को क्रिस्पर जैसी तकनीकों से ठीक किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियां केवल शरीर के पहुंच योग्य हिस्सों में जीनोम को ठीक कर सकती हैं। आनुवंशिक चिकित्सा के आयाम- क्रिस्पर, एमआरएनए, सीआरएनए या डीएनए में एक ही समस्या है कि इनके द्वारा यकृत, आंखें और रक्त वे मुख्य स्थान हैं जहां इलाज संभव हो सकता है।

चुनौतीः

- आनुवंशिक दवाओं के साथ मौलिक मुद्दा यह है कि हमारे शरीर में घातक चीजों को हमारी कोशिकाओं से बाहर रखने के लिए विकसित हुए हैं। यह वायरस या अन्य रोगजनकों को रोकने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह एक दवा को अंदर प्रवेश कराना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाता है।
- वास्तव में, यह इतना कठिन है कि वैज्ञानिक एमआरएनए या क्रिस्पर या डीएनए जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए उसी प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग कर रहे हैं। वे काफी हद तक वायरल वैक्टर पर भरोसा करते हैं, जो मूल रूप से वायरस के खोखले कोश होते हैं और लिपिड नैनोकणों, जिन्हें फैटी बुलबुले के रूप में जाना जाता है, आनुवंशिक सामग्री को घेरते हैं। लेकिन वे केवल कुछ जिप कोड (Zip Code) को कुशलतापूर्वक वितरित कर सकते हैं। कुछ अपवादों के साथ, लिपिड नैनोकणों के मार्ग काफी हद तक यकृत और आंखों तक सीमित हैं, जहां वे यात्रा कर सकते हैं।
- कुछ जीन जिन्हें वैज्ञानिक ठीक करना चाहते हैं, वे वायरस के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं और इसी तरह, क्रिस्पर टूल को एक उपयोग करने योग्य लिपिड नैनोपार्टिकल बनाने के निर्देशों का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है।

अन्य प्रक्रियाएंः

- कुछ तरीके कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालकर, उन्हें एक प्रयोगशाला में संशोधित करके और उन्हें रोगी में वापस डालकर वितरण की समस्या से परे होकर कार्य किए जाते हैं। लेकिन यह रणनीति लंबी, महंगी और रोगियों पर जटिल प्रक्रिया के अनुरूप होती है।

आगे की राहः

यही कारण है कि एक पूरी तरह से नई वितरण प्रणाली, अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है फिर भी यह स्वागत योग्य है। शोध कर्ताओं ने पाया कि इनमें से एक प्रोटीन कैप्सिड सुरक्षात्मक कोश में इकट्ठा होता है, जो आरएनए को स्वयं की अधिक प्रतियां बनाने के लिए आवश्यक संग्रहीत करता है।

3 डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन

चर्चा में क्यों है?

डेंगू के लिए भारत के पहले और एकमात्र डीएनए वैक्सीन ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। चूहों पर किये गये प्रारंभिक परीक्षणों में, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की और बीमारी के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने की दर में सुधार किया है।

डीएनए टीका क्या है?

- डीएनए टीका एक प्रकार का टीका है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए आनुवंशिक सामग्री, विशेष रूप से डीएनए के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करता है।
- डीएनए सेल न्यूक्लियस में प्रवेश करता है और मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) बनाने के लिए कॉपी किया जाता है, जो फिर सेल के साइटोप्लाज्म तक जाता है। एमआरएनए को तब प्रोटीन बनाने के लिए कॉपी किया जाता है जब एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करता है।

डीएनए वैक्सीन के फायदे:

- यह संपूर्ण-वायरस टीकों की तुलना में स्थिर, लागत प्रभावी और सुरक्षित है।
- संपूर्ण विषाणु टीकों में, विषाणु के कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि टीके से प्रेरित संक्रमण।
- हालांकि, एक डीएनए प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं को कुछ क्षेत्रों को चुनने की अनुमति देता है जो एक प्रभावी प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं और नुकसान पहुंचाने की संभावना को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा, इस टीके को अन्य विषाणुओं को लक्षित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

दुनिया भर में डीएनए टीके:

- जाइडस कैडिला द्वारा विकसित दुनिया की पहली DNA वैक्सीन- ZyCoV-D को 2021 में COVID-19 के खिलाफ आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था।
- विश्व स्तर पर, तपेदिक और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए डीएनए टीके विकसित किए जा रहे हैं।
- कुछ 19 डीएनए डेंगू टीकों का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अभी अंतिम नैदानिक परीक्षणों तक पहुंचना बाकी है।

डेंगू के बारे में:

- डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेविवायरस) के कारण होती है, जो एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलती है।
- यह मच्छर चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है।
- डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ के रूप में है। 2021 में, भारत में 110,473 डेंगू के मामलें दर्ज किये गये, जो सबसे अधिक प्रभावित देशों में चौथे स्थान पर है।
- डेंगू के खिलाफ एक प्रभावी टीका विकसित करना मुश्किल है क्योंकि यह चार परस्पर सम्बन्धी वायरस डेन-1, डेन -2, डेन-3 और डेन-4 के कारण होता है जिसे सीरोटाइप कहा जाता है।
- इनमें से प्रत्येक मानव रक्त में एंटीबॉडी के साथ अलग-अलग संक्रिया करता है।
- इसके अलावा, डेंगू वायरस के साथ एक और चिंता एंटीबॉडी-निर्भर वृद्धि (एडीई) है यानी टीकों द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी वायरस को दोहराने और गंभीर बीमारी का कारण बनने में मदद करते हैं।

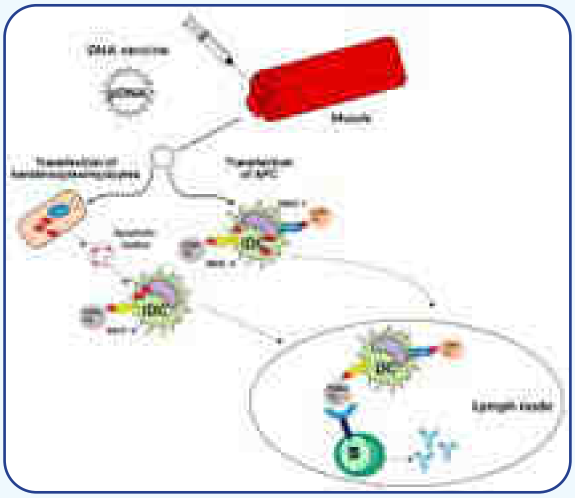

डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन:

- भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ता दल ने भारत, अफ्रीका और अमेरिका के नौ अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के लिए भारत का पहला तथा एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित किया है।
- वैक्सीन को डिजाइन करने के लिए शोधकर्ताओं ने दो डीएनए को लक्षित किया जिसमें सभी चार सीरोटाइप की आनुवंशिक सामग्री का एक हिस्सा है और दूसरा डेन-2 से है।

डेंगू के लिए अन्य टीका:

- डेंगवैक्सिया पहला और एकमात्र अनुमोदित डेंगू टीका है जिसमें सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित एक जीवित क्षीण (कमजोर) वायरस होता है।
- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन नौ साल से अधिक उम्र के बच्चों और पूर्व संक्रमण वाले बच्चों के लिए डेंगवैक्सिया टीका लेने का सुझाव देता है। हालांकि, भारत ने इसे मंजूरी नहीं दी है।

आगे की राह:

डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट से संबंधित अध्ययनों से पता चला है कि डिजाइन का पहले से हिस्सा प्रोटीन में से एक चूहों में एडीई को खत्म कर सकता है। इसलिए, इसकी वास्तविक प्रभावकारिता जानने के लिए पारदर्शी नैदानिक परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

4 प्रोटॉन बीम थेरेपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विकिरण चिकित्सा के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रोटॉन बीम थेरेपी ने भारत में अपनी कम पहुंच और निषेधात्मक रूप से महंगी सुविधाओं के कारण चर्चा में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में एक भी सरकारी सुविधा नहीं है जो इस प्रभावी कैंसर उपचार की चिकित्सा प्रदान कर सके।

प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है?

- यह एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक उच्च ऊर्जा प्रोटॉन बीम का उपयोग करता है। इसे ठोस ट्यूमर, विशेष रूप से सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए एक्स-रे पर आधारित पारंपरिक रेडियोथेरेपी की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानक विकिरण चिकित्सा एक्स-रे (फोटॉन) का उपयोग करती है जो न केवल लक्षित ट्यूमर को विकिरण प्रदान करती है, बल्कि स्वस्थ ऊतकों को भी विकिरण प्रदान करती है।
- एक प्रोटॉन सकारात्मक रूप से चार्ज प्राथमिक कण है जो सभी नाभिकों का मौलिक घटक है।
- प्रोटॉन बीम थेरेपी को साइक्लोट्रॉन नामक एक बड़ी, जटिल मशीन के माध्यम से वितरित किया जाता है जो प्रोटॉन को उच्च गति में तेज करता है और उन्हें ट्यूमर साइट पर पहुंचाता है।

प्रोटॉन बीम थेरेपी के साथ एक्स-रे थेरेपी की तुलना:

- ट्यूमर को लक्षित करने वाला एक्स-रे विकिरण प्रवेश करते समय उच्च स्तर पर होता है और मस्तिष्क के माध्यम से जाने के साथ कम हो जाता है। यह ट्यूमर से पहले और बाद में स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है।
- प्रोटॉन प्रकाश की गति के 70% तक त्वरित होते हैं। वे लक्ष्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही धीमे हो जाते हैं और ट्यूमर में अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं, लेकिन ट्यूमर से आगे नहीं जाते हैं।

प्रोटॉन बीम थेरेपी (पीबीटी) से जुड़ी चुनौतियां:

- पीबीटी की स्थापना काफी महंगा और कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए बुनियादी ढांचे और नियामक इनपुट की विशाल प्रकृति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीनों की मांग-आपूर्ति में काफी अंतर है, इसके लिए देश में केवल कुछ मशीनें उपलब्ध हैं।
- नियामक चुनौती परमाणु ऊर्जा विभाग से सुरक्षा चिंताओं से उभरती है। सुरक्षा के बारे में चिंताएं हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक अस्थिर तत्व है और रिसाव को रोकने के लिए दैनिक जांच की आवश्यकता होती है। पीबीटी मशीन की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि अधिक से अधिक रोगियों में कैंसर का निदान किया जा रहा है।
- एक बड़ी बाधा पीबीटी की स्थापना में शामिल उच्च लागत है क्योंकि मशीन अत्यधिक जटिल है, तीन मंजिला तक ऊंची है और इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। इसके अलावा इसके रखरखाव और संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की भी कमी है, जो उनकी उपलब्धता को और सीमित करता है।

आगे की राह:

चेन्नई में अपोलो अस्पताल दक्षिण और पश्चिम एशिया में एकमात्र केंद्र है जो पीबीटी प्रदान करता है। इसलिए भारत में पीबीटी उपचार तक पहुंच की भारी आवश्यकता है। चूंकि उपचार के इस तरीके से संवेदनशील क्षेत्र के ट्यूमर में आशाजनक परिणाम आये हैं, इसलिए भारत सरकार को पीबीटी केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्हें निजी सहायता से पीपीपी और बीओटी आधारित निवेश दृष्टिकोण पर भी स्थापित किया जा सकता है।

5 शहरी नालों में प्लास्टिक कचरा मच्छरों की संख्या बढ़ाने में जिम्मेदार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तिरुवनंतपुरम (केरल) में किए गए एक अध्ययन से जानकारी प्राप्त हुई है कि बिस्फेनॉल ए या बीपीए अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों और जानवरों में वेक्टर-हड्डी रोगों के प्रसार का कारण हो सकता है।

रिपोर्ट के बारे में:

- अध्ययन से पता चलता है कि मानव निर्मित रसायन, मच्छरों (क्यूलेक्स, क्विनक्यूफासिआटस) के प्रजनन समय को कम कर सकता है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में सबसे अच्छा नील वायरस, रिफ्ट वैली बुखार वायरस और एवियन बॉक्स का एक प्रमुख कारण है।
- यह चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश शहरी अपशिष्ट जल नहरें, जो मच्छरों के प्रजनन के रूप में काम करती हैं, बीपीए से लदे प्लास्टिक कचरे से पैदा हो जाती हैं। घर का मच्छर यौगिक की उपस्थिति में पनपता है, मच्छर का लार्वा 5 mg/l की सांद्रता तक घातक प्रभाव के बिना BPA को सहन कर सकता है, जो सामान्य रूप से पर्यावरण में पाए जाने वाले स्तर से बहुत अधिक है।
- अध्ययन पर दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है क्योंकि बीपीए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता में निर्मित होता है जिसका औद्योगिक निर्वहन एक ज्ञात सतही पानी प्रदूषक है।

बिस्फेनॉल ए (बीपीए):

- बिस्फेनॉल ए (बीपीए) एक रासायनिक यौगिक है जो सबसे प्रसिद्ध बिस्फेनॉल्स में से एक है।
- यह 2015 में दुनिया भर में फिनोल और एसीटोन के संघनन द्वारा 4 मिलियन टन उत्पादित किया गया था।
- यह एक रंगहीन ठोस है जो कार्बनिक विलायक में घुलनशील है लेकिन पानी में खतरनाक घुलनशील है। बिस्फेनॉल (BPA) पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में प्राथमिक रूप से उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादित एक रसायन है।
- यह विभिन्न उत्पादों में पाया जाता है जिसमें शटर प्रूफ, विंडोज, आईवियर, पानी की बोतलें और एपॉक्सी रेजिन शामिल हैं जो कुछ धातु के खाने के डिब्बे, बोतल के ढक्कन और पानी की आपूर्ति

काले पाइप में पाए जाते हैं।

- बिस्फेनॉल ए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की सुरक्षात्मक आंतरिक एपॉक्सी रॉल कोटिंग और उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि पॉलीकार्बोनेट टेबल वेयर, खाद्य भंडारण कंटेनरों, पानी की बोतलों और शिशु बोतलों से भोजन में जा सकता है।
- बीपीए मां के दूध में भी पाया जा सकता है।
- BPA एक ज्ञात अंत:स्रावी व्यवधान है।

प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016:

- इसका उद्देश्य प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रोन करना है।
- नगर निगम क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोज्यता की विस्तार से विस्लेषण करना क्योंकि प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियम:

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में उत्पादक तथा जनरेटर दोनों की जिम्मेदारी लाना और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुसार उत्पादक ब्रांड मालिकों द्वारा प्लास्टिक वेस्ट की कलेक्ट बैक प्रणाली शुरू करना है।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग मल्टी लेयर, पैकेजिंग और विक्रेताओं के आयातक के तीन पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक ढ़ोने वाले प्रबंधन फीड का संग्रह शुरू किया जाये।
- भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देना या ऊर्जा की प्राप्ति या अपशिष्ट से तेल आदि को बढ़ावा देना, पूर्ण उपयोग के लिए अपशिष्ट निपटान का मुद्दा हो सकता है।
- पुनर्चक्रण एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है। यह संसाधनों का संरक्षण करती है, कच्चे माल को इकट्ठा करने की हमारी आवश्यकता को कम करती है और उपयोग योग्य सामग्री को लैंडफिल से बाहर रखती है।

6 स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus)

चर्चा में क्यों है?

हाल ही में तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि एक एंटीबायोटिक कॉम्बो, गंभीर स्क्रब टाइफस के लिए सबसे अच्छा है।

स्क्रब टाइफस क्या है?

- स्क्रब टाइफस, जिसे बुश टाइफस के रूप में भी जाना जाता है, ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी (Orientia Tsutsugamushi) नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है।
- **संचरण:** स्क्रब टाइफस संक्रमित चिग्गर (Larval Mites) के काटने के माध्यम से लोगों में फैलता है।
- **लक्षण:** स्क्रब टाइफस के सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने शामिल हैं।
- **स्क्रब टाइफस के मामले:** यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। अनुमान के अनुसार, लगभग दस लाख मामले दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया से सामने आए हैं, जिनमें 10% मृत्यु दर है। भारत कम से कम 25% बीमारी के बोझ के साथ प्रमुख हॉटस्पॉट्स में से एक है।
- **उपचार:** स्क्रब टाइफस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाना चाहिए। स्क्रब टाइफस को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

कारण:

- स्क्रब टाइफस ट्रॉम्बिक्युलिड (Trombiculid) माइट्स की कुछ प्रजातियों द्वारा प्रेषित होता है, जो भारी झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माइट्स संक्रमित कृंतक होस्ट (Hosts) को खिलाते हैं, बाद में परजीवी को अन्य कृन्तकों और मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। यह माइट एक विशिष्ट काला निशान छोड़ता है जो निदान करने के लिए डॉक्टर के लिए उपयोगी होता है।

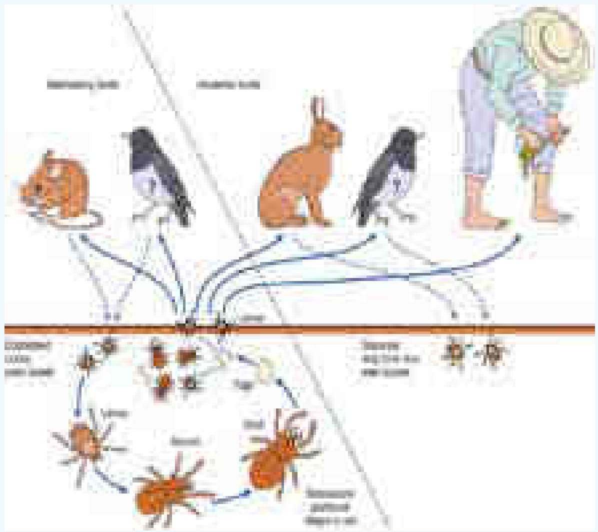

टीका:

- कोई लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं हैं।
- 1937 में यूनाइटेड किंगडम में स्क्रब टाइफस वैक्सीन बनाने का एक प्रारंभिक प्रयास हुआ ('ऑपरेशन टायबर्न' नामक एक वर्गीकृत परियोजना में वेलकम फाउंडेशन ने लगभग 300,000 कपास चूहों को संक्रमित किया), लेकिन वैक्सीन का उपयोग नहीं किया गया था। जून 1945 में एलाइड लैंड फोर्सेज, साउथ-ईस्ट एशिया कमांड द्वारा उपयोग के लिए वास्तव में मानव विषयों को टीका लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रब टाइफस वैक्सीन का पहला ज्ञात बैच भारत भेजा गया था। एली ग्रेंज, फ्रैंट, ससेक्स में वेलकम की प्रयोगशाला में टीका का उत्पादन किया गया था। तुलना के लिए एक प्लेसीबो समूह का उपयोग करके वैक्सीन की प्रभावकारिता को सत्यापित करने का प्रयास सैन्य कमांडरों द्वारा वीटो कर दिया

गया, जिन्होंने प्रयोग पर आपत्ति जताई।

स्क्रब टाइफस के खिलाफ उपचार के बारे में शोधकर्ताओं ने क्या पाया?

- शोधकर्ताओं ने पाया कि एंटीबायोटिक उपचार का एक संयोजन (अंत:शिरा डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन के साथ) एकल-दवा उपचारों की तुलना में गंभीर स्क्रब टाइफस के इलाज के लिए अधिक प्रभावी है।

7 जीन संपादन प्रौद्योगिकी की चिंता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक नए अध्ययन में जीन एडिटिंग तकनीक के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी गई है, जिसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है।

अध्ययन के मुख्य बिन्दु:

- हानिकारक बीमारी पैदा करने वाले म्यूटेशन को हटाने के लिए क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट (CRISPR) का उपयोग करने से और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
- CRISPR एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता में व्यापक जीन की प्रतिलिपि बना सकता है, जिसमें संभावित रूप से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
- CRISPR द्वारा प्रेरित डीएनए क्षति की सीमा और कोशिकाएं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, यह अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है?
- जीन-संपादित भ्रूण का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक आनुवंशिक परीक्षण की सटीकता को कम कर सकती है, जिससे भ्रूण का गलत निदान हो सकता है।
- शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जीन संपादन तकनीक का उपयोग करने से पहले ऐसी सीमाओं को संबोधित किया जाना चाहिए।

जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में:

- जीनोम एडिटिंग (जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है) तकनीकों का एक समूह है जो जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देता है।
- जीन-संपादन के लिए अधिकतर उपयोग की जाने वाली तीन तकनीकें CRISPR-जुड़े प्रोटीन 9 (Cas9), ट्रांसक्रिप्शन एक्टीवेटर-लाइक इफेक्ट न्यूक्लीज (TALENs) और जिंक-फिंगर न्यूक्लीज (ZFNs) हैं।

CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में:

- यह जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति है जिसमें आनुवंशिक जीनों को जोड़ा, हटाया या बदला जा सकता है। इस प्रणाली में मुख्यत: दो अणु सम्मिलित होते हैं जो डीएनए में परिवर्तन के कारक होते हैं। इस पद्धति में प्रयुक्त Cas 9 एक एंजाइम तथा गाइड RNA का उपयोग किया जाता है। CRISPR-Cas9 प्रणाली ने वैज्ञानिक समुदाय में बहुत उत्साह पैदा किया है क्योंकि यह अन्य जीनोम संपादन विधियों की तुलना में तेज, सस्ता, अधिक सटीक और अधिक कुशल है।

टैलेन (TALEN) के बारे में:

- ट्रांसक्रिप्शन एक्टीवेटर-जैसे इफेक्ट न्यूक्लीज प्रतिबंध एंजाइम हैं जिन्हें डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को काटने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। वे डीएनए क्लीवेज डोमेन में एक टीएएल प्रभावक डीएनए-बाध्यकारी डोमेन को फ्यूज करके बनाए जाते हैं।

जिंक-फिंगर न्यूक्लीज (ZFNs) तकनीक:

- जिंक-फिंगर न्यूक्लीज (ZFNs) लक्षित डीएनए विखंडन अभिकर्मक हैं जिन्हें जीन-लक्ष्यीकरण उपकरण के रूप में अपनाया गया है। जेडएफएन-प्रेरित डबल-स्ट्रैंड ब्रेक सेलुलर डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं के अधीन हैं जो लक्षित उत्परिवर्तन और लक्षित जीन प्रतिस्थापन दोनों को उल्लेखनीय रूप से उच्च आवृत्तियों पर ले जाते हैं।

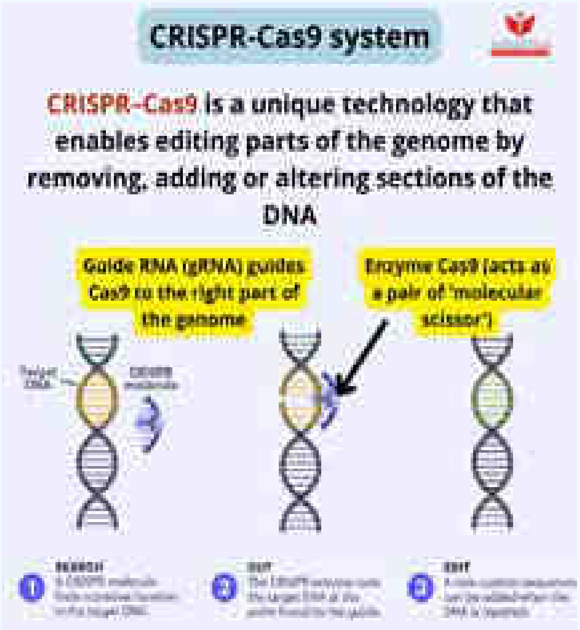

आगे की राह:

हालांकि जीन एडिटिंग तकनीक ने हाल के दिनों में लक्षित दवा, जैव ईंधन, वायरस प्रतिरोधी फसलों जैसे कई उपयोगों के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। 2018 में जीन-संपादित जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा करने वाले चीनी वैज्ञानिकों ने भ्रूण को मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (HIV) के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए CRISPR का उपयोग किया था। हालांकि इसे व्यापक आधार पर अपनाने से पहले उनकी चिंता जैसे सुरक्षा चिंता, नैतिक चिंता और नियामक चिंता का समाधान किया जाना चाहिए।

आर्थिक मुद्दे

1 निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) की एक शाखा एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स पेश किया। यह नया निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स भारतीय नगर निगमों द्वारा परिपक्वता और निवेश क्रेडिट रेटिंग वाले नगरपालिका बांड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा।

म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या हैं?

- नगरपालिका बांड या मुनि बांड भारत में स्थानीय सरकारों या उनके सहयोगी निकायों द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए जारी की जाने वाली एक सुरक्षा है। परियोजनाओं का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को प्राप्त करना है।
- 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद 1997 में भारत में पहली बार नगरपालिका बांड जारी किए गए थे, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत किया था। मुनि बांड मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं-
  - सामान्य दायित्व बांड।
  - राजस्व बांड।

नया म्यूनिसिपल बॉन्ड सूचकांक:

- निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जिसे एनएसई इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य देश में जारी सभी नगरपालिका बॉन्ड के प्रदर्शन पर नजर रखना था।
- इंडेक्स में 10 अलग-अलग जारीकर्ताओं के 28 म्युनिसिपल बॉन्ड शामिल थे, जो ।। क्रेडिट रेटिंग श्रेणी के अन्तर्गत थे। सूचकांक घटकों को उनकी बकाया राशि के आधार पर भार (Weightage) दिया जाता है।

मुनि बांड से जुड़े लाभ और चिंताएं:

- पूंजी बाजार से धन जुटाना नगर निगमों को नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- मुनि बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग विकास संचालित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से नगरपालिका सेवाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है और इस तरह भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण अंतर को पाटने में योगदान दिया जा सकता है। वे निवेशित धन के बारे में जनता का विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के साधन भी हैं क्योंकि मुनि बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट किया जाता है।
- वित्त पोषण के इस मॉडल ने स्थानीय निकायों को शासन उन्मुख होने के साथ-साथ वित्तीय रूप से स्वतंत्र और अनुशासित बनने की अनुमति दी है।
- लेकिन नगरपालिका बांड के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं जैसे मुद्रास्फीति को मात देने की कम क्षमता क्योंकि वे आम तौर पर कम उपज वाले होते हैं और बॉन्ड के लिए राज्य गारंटी की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से जटिल हो सकती है।
- इस प्रकार नगरपालिका बांड के प्रदर्शन की लगातार ट्रैकिंग निवेशकों के लिए पारदर्शिता को बढ़ाएगी ताकि बॉन्ड के साथ संबंधित जोखिमों को कम किया जा सके।

आगे की राह:

कायाकल्प और शहरीकरण परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) तथा स्मार्ट सिटी मिशन दो परियोजनाएं हैं जिन्हें मुनि बॉन्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित इन कई महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को भी मुनि बॉन्ड की आय के साथ वित्तपोषित किया जा सकता है। नया सूचकांक उन्हें निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनायेगा।

2 हिंदू विकास दर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि निजी क्षेत्र के खराब निवेश, उच्च ब्याज दरों और धीमी वैश्विक विकास के कारण, भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के 'खतरनाक रूप से निकट' है।

प्रमुख बिंदु:

- रघुराम राजन ने कहा कि पिछले महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि तिमाही वृद्धि में क्रमिक मंदी चिंताजनक थी।
- 2022 की दिसंबर तिमाही में वृद्धि 4.4 प्रतिशत थी जो सितंबर तिमाही में 6.3 प्रतिशत और मार्च तिमाही में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि से उल्लेखनीय गिरावट दिखाती थी।

हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है?

- हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1950 से 1980 के दशक तक कम भारतीय आर्थिक विकास दर का वर्णन करने वाला एक शब्द है, जो औसतन लगभग 4% थी।
- अगर विकास की दर लगातार धीमी है और कम कैपिटा जीडीपी के साथ है, तो इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे जनसंख्या वृद्धि में भी कारक होना चाहिए।
- यह शब्द राज कृष्ण, एक भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा 1978 में धीमी वृद्धि का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। उन्होंने इस कम वृद्धि की स्थिति का जिम्मेदार राज्य नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन की समाजवादी नीति को ठहराया।
- राजकृष्ण न्यूनतर (Minimalistic), गैर-प्रतिस्पर्धी और संतुष्ट होने के हिंदू दर्शन को विकास दर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

आलोचना:

- भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने इस तरह के तर्क को बचत और

निवेश पर उपलब्ध आंकड़ों के खिलाफ हाल के सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन को गलत, पक्षपाती और अपरिपक्व माना।

- अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि त्रैमासिक जीडीपी विकास संख्या अस्थिर होती है और विकास को लेबल करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। 2022-23 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी तिमाही की संख्या में संशोधन के कारण कम वृद्धि दर्ज की गई।
- इसके अलावा, राजन इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए तिमाही जीडीपी ग्रोथ नंबरों पर टिप्पणी कर रहे थे, जबकि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब सालाना ग्रोथ था।

आगे की राह:

हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाक्यांश एक निश्चित दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक आनंदमय गैर-प्रतिस्पर्धी देश को अन्य देशों के साथ पूर्ण सद्भाव से सहयोग करके विकास गति बढ़ा रहा है। भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है।

3 विश्व बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को देगा $1 बिलियन का ऋण

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारियों के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत को $1 बिलियन का ऋण देगा। इस ऋण को 500 मिलियन डॉलर के दो पूरक ऋणों में विभाजित किया जाएगा। विश्व बैंक का कहना है कि यह ऋण देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा।

विश्व बैंक के इस ऋण का प्रयोग:

- इसके माध्यम से, बैंक देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए भारत के प्रमुख पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीआईएम) को समर्थन करेगा।
- इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता दिया जायेगा।

ऋण के घटक:

महामारी तैयारी कार्यक्रम (पीएचएसपीपी) के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली-

- 500 मिलियन डॉलर का ऋण, संभावित महामारियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए भारत की निगरानी प्रणाली तैयार करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा।

स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम (ईएचएसडीपी) को उन्नत बनाना-

- ऋण का दूसरा भाग, $500 मिलियन, पुनः डिजाइन किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल के माध्यम से सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा।

ऋण की विशिष्टता क्या है?

- पीएचएसपीपी और ईएचएसडीपी दोनों प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट वित्तपोषण साधन का उपयोग करते हैं जो इनपुट के बजाय परिणामों की उपलब्धि पर केंद्रित है।
- वे दोनों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से संबंधित हैं, जिनकी अंतिम परिपक्वता अवधि 18.5 साल है, जिसमें पांच साल की छूट अवधि भी शामिल है।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का परिदृश्य:

समय के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58 से बढ़कर 2020 में 69.8 हो गई है। यह देश के आय स्तर के लिए औसत से अधिक है।

- पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 36 है।
- शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 है।
- मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 103 है।
- वे सभी भारत के आय स्तर के औसत के करीब हैं, जो कुशल जन्म टीकाकरण और अन्य प्राथमिकता सेवाओं तक पहुंच में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दे:

- **अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, भारत में प्रति 1000 आबादी पर केवल 0.9 बेड हैं जिनमें से केवल 30% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
- **डॉक्टर-पेशेंट रेशियो में गैप-** इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक, भारत को 2030 तक 20 लाख डॉक्टरों की जरूरत है।

आगे की राह:

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में, दोनों कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण होंगे, मजबूत रोग प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे और भविष्य के रोग प्रकोपों के लिए तैयारी तथा प्रतिक्रिया में सुधार करेंगे।

4 पुरानी पेंशन योजना पुनः शुरू करने पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला निश्चित रूप से एक प्रतिगामी कदम होगा जिससे बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना:

- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत, कर्मचारियों को एक परिभाषित पेंशन मिलती थी। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि का हकदार होता था। एनडीए सरकार ने 2003 में ओपीएस को बंद करने का फैसला लिया जो एक अप्रैल 2004 से प्रभावी हो गया।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने से उत्पन्न होने वाली चिंताए:

- राजकोषीय जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और व्यापक रूप से हमारे सुधारों की विश्वसनीयता के लिए यह निश्चित रूप से प्रतिगामी कदम होगा। नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत, कर्मचारी पेंशन के लिए अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं जबकि सरकार 14% योगदान देती है।
- एक ऐसे देश में जहां अधिकांश लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं है, सुनिश्चित पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं।
- यदि राज्य सरकारें 'पे एज यू गो' पेंशन योजना पर वापस लौटती हैं, तो पेंशन का बोझ वर्तमान राजस्व पर पड़ेगा, जिसका अर्थ है स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई के खर्च में कटौती करना।

अन्य राज्य:

- राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार/पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है।
- पंजाब सरकार ने 18 नवंबर, 2022 को एनपीएस के तहत कवर किए जा रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के बारे में एक अधिसूचना जारी की।

आगे की राह:

विगत वर्षो के अनुभव बताते हैं कि चालू खाते के घाटे को सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखना हमारी वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। इस कारण हमें अपने राजस्व पर अतिरिक्त भार देने से बचना चाहिए। हालांकि इस मांग के समाधान के लिए कुछ व्यवस्था बनाकर इस मुद्दे का पटाक्षेप करना आवश्यक है।

5 5वां आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 5वें आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के बारे में:

- 5वां आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आसियान-भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में भारत और 10 सदस्यीय आसियान देशों के बीच तीन दशक से अधिक लंबे जुड़ाव की स्मृति में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गहन आसियान-भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाना है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के बारे में:

- यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह अगस्त 1967 में बैंकाक (थाईलैंड) में आसियान संस्थापकों, अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था।
- आसियान देशों की कुल आबादी 664 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सदस्य:

- आसियान दस दक्षिण-पूर्व एशियाई जैसे-ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देशों का संगठन है।

भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र:

- भारत और आसियान देशों ने हाल ही में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी (comprehensive strategic partnership) स्थापित करके अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है।
- भारत इस क्षेत्र में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (IMT) राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तुओं पर और वर्ष 2014 में सेवाओं एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement- FTA) पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों पक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने के महत्त्व की पुष्टि करते हैं।
- भारत आसियान-भारत सहयोग कोष (ASEAN&India Cooperation Fund) और आसियान-भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आगे की राह:

भारत व आसियान के मध्य डिजिटल प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास की प्रमुख चालक रही हैं, विशेष रूप से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मीडिया और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में। भारतीय आईटी कंपनियों ने मलेशिया और अन्य आसियान देशों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। भारत और सिंगापुर के बीच वास्तविक समय भुगतान लिंकेज प्रणाली की हालिया घोषणा के बाद, भारत मलेशिया तथा अन्य आसियान देशों के साथ काम कर रहा है ताकि इसे और अधिक देशों के लिए संचालित किया जा सके।

6 रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से अस्थिरता का जोखिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में देश के आगे बढ़ने पर विदेशी मुद्रा बाजार में उभरने वाली अपरिहार्य अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए सकारात्मक उपाय करने की जरूरत है।

मुद्रा या रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में:

एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वह है जो गैर-निवासियों के लिए स्वतंत्र रूप से

उपलब्ध है। अनिवार्य रूप से सीमा पार लेनदेन को निपटाने के लिए और रुपये के मामले में, यह बिना किसी सीमा के आयात-निर्यात के लिए मुद्रा को बढ़ावा देकर हासिल किया जाता है। इससे रुपया वैश्विक घटनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगा जिससे बहिर्वाह व अस्थिरता बढ़ेगी।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां:

- भारत में पर्याप्त पूंजी का अभाव है, इसलिए भारत के आर्थिक विस्तार के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपये में आयोजित किया जाता है, तो अनिवासियों के पास भारत में रुपया शेष होगा, जिसका उपयोग वे वहां संपत्ति खरीदने के लिए कर सकते हैं। इन वित्तीय संपत्तियों की बड़ी होल्डिंग किसी देश को विदेशी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है और उस संवेदनशीलता को दूर करने के लिए अधिक कुशल नीतिगत उपायों की आवश्यकता होगी।
- बाहरी लेन-देन में परिवर्तनीय मुद्राओं की कम भूमिका से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है।
- देश की अपनी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप मौद्रिक रणनीति विकसित करने की क्षमता रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से बाधित होगी। इसका परिणाम एक खुली अर्थव्यवस्था के त्रि-आयामी में होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी देश एक ही समय में अप्रतिबंधित पूंजी प्रवाह, स्थिर विनिमय दर और बाहरी वित्तीय प्रभाव से स्वतंत्रता के उद्देश्यों का पालन नहीं कर सकता है।
- स्थानीय मुद्रास्फीति से अधिक वैश्विक मुद्रास्फीति या अनियंत्रित पूंजी प्रवाह के परिणामस्वरूप रुपये की विनिमय दर (मूल्य) की अस्थिरता बढ़ सकती है।

आगे की राह:

डॉलर वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार का 88.3% हिस्सा है, जिसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान है। चूंकि रुपये का हिस्सा केवल 1.7% है, इसलिए यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही इसके कई लाभ भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौदों में रुपये का उपयोग करने पर भारतीय उद्यमों के लिए मुद्रा जोखिम कम हो जायेगा। विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता घट जाएगी। विदेशी धन पर अपनी निर्भरता कम करने से भारत बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा। बेहतर रुपये की स्वीकार्यता और वाणिज्य भारतीय कंपनियों को अधिक अवसर लाभ देगा, जो दुनिया भर में भारत की स्थिति और सम्मान को बढ़ाएगा। इससे वैश्विक व्यापार में रुपये की मांग बढ़ेगी।

7 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रिप्टो ट्रेड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) और क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार को, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

अधिसूचना में क्या है?

- गजट अधिसूचना में कहा गया है कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच विनिमय, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना या प्रशासन करना और यहां तक कि वीडीए से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी भी पीएमएलए के तहत कवर की जाएगी।
- धन शोधन विरोधी कानून 2002 में पारित किया गया था और 2005 में लागू हुआ, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर वियना कन्वेंशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। इसमें नशीली दवाओं की तस्करी और आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करना भी शामिल है। इस अधिनियम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने, अवैध संपत्तियों को जब्त करने और अपराधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया है।

क्रिप्टो व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा?

- इस अधिसूचना के बाद, वीडीए से निपटने वाले सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों, वॉलेट प्रदाताओं, संरक्षकों और अन्य मध्यस्थों को अब अपने उपयोगकर्ताओं पर केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा। इसके अलावा, उन्हें वीडीए और क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार के बारे में किसी भी संदिग्धता की रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को करनी होगी।
- एफआईयू-आईएनडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण तथा प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- अधिसूचना में वीडीए में कारोबार करने वाली इकाइयों को पीएमएलए के तहत 'रिपोर्टिंग इकाई' माना गया है। ये बैंक या वित्तीय संस्थान व फर्म हैं, जो कैसीनो सहित रियल एस्टेट और आभूषण जैसे क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को कम से कम 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक के सभी नकद लेनदेन के रिकॉर्ड सहित सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
- इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि अवैध गतिविधियों और क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही, यह भारत के बाहर क्रिप्टो ट्रांसफर को ट्रैक करने के लिए सरकार को बेहतर स्थिति में रखता है। इस प्रकार, यह क्षेत्र की वैधता को बढ़ाएगा।

आगे की राह:

यह कदम जापान, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे वैश्विक क्रिप्टो नियमों के अनुरूप है, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियामक ढांचा है। नवाचार को बढ़ावा देते हुए, यह सुरक्षित और मजबूत वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

विविध मुद्दे

1 भूल जाने का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' की संवैधानिकता पर सवाल फिर से सामने आया है, क्योंकि दिल्ली के एक डॉक्टर ने अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी 'गलत गिरफ्तारी' से संबंधित समाचारों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को हटाना शामिल है।

भूल जाने का अधिकार क्या है?

- यह अधिकार किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर प्रकाशित सार्वजनिक रिकॉर्ड, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन और अन्य वेबसाइटों से अपनी निजी जानकारी को हटाने/हटाने की मांग करने की अनुमति देता है। इस अवधारणा को यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना और अन्य देशों में मान्यता मिली है।
- इस अधिकार को व्यक्तियों के लिए अपनी गोपनीयता की रक्षा करने और अवांछित पहुंच से अपने डेटा को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। लोगों को यह नियंत्रित करने का एक तरीका भी प्रदान करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा इंटरनेट पर कितना सुलभ है?

निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार के बीच अंतर:

- 'के.एस.पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ' मामले (2017) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अनुच्छेद-21 के तहत किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार में अंतर्निहित घोषित किया गया है। गोपनीयता का अधिकार उस जानकारी की रक्षा करता है जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन भूल जाने का अधिकार सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी की रक्षा करता है और तीसरे पक्ष को इसे प्राप्त करने से रोकता है।

भारत में इस अधिकार की कानूनी स्थिति:

- हालांकि यह अधिकार भारत में किसी कानून या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के दायरे में आता है, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा शासित होता है जिसे अभी तक संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है।

इस अधिकार का महत्त्व:

- हाल के वर्षों में ऑनलाइन प्रकाशित होने वाले डेटा की विशाल मात्रा और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग करने की संभावना के कारण अधिकार महत्त्वपूर्ण हो गया है। यह समग्र रूप से डिजिटल गोपनीयता को बढ़ावा देने में मदद करता है क्योंकि यह कंपनियों और संगठनों को व्यक्तिगत जानकारी को संभालने के तरीके के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- हालांकि मुक्त भाषण का समर्थन करने वाले संगठनों और समर्थकों ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन भूल जाने का अधिकार वैश्विक सेंसरशिप के उपकरण में बदलने के खतरे में है।
- गूगल ने यह भी तर्क दिया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने इरादों के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि इस अधिकार का प्रवर्तन जनता के सूचना के अधिकार को कम कर सकता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है।

आगे की राह:

इंटरनेट आज इतना प्रभावशाली है कि यह जीवन और विचारों को इस तरह से आकार दे सकता है कि किसी व्यक्ति को अपने अतीत का कैदी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ मेल खाते हुए संतुलित दृष्टिकोण के साथ इस अधिकार को लागू करना समय की मांग है। यह किसी की ऑनलाइन उपस्थिति के आत्मनिर्णय को अवसर प्रदान कर सकता है। जैसा कि न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने ठीक ही दोहराया है, संतुलन परीक्षण अधिनिर्णायकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि खोज इंजनों द्वारा।

2 प्राचीन शहर शिशुपालगढ़ की किलाबंदी

चर्चा में क्यों?

भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में 2,600 से अधिक वर्षों से अस्तित्व बनाए रखने वाले प्राचीन शहर शिशुपालगढ़ की शानदार पुरातात्विक विरासत को लैंड शार्क द्वारा पृथ्वी-चालित मशीनरी का उपयोग करने के कारण तबाही का सामना करना पड़ा है।

खबर से जुड़ी मुख्य बातें:

- विनाश का कार्य उस समय हुआ जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और ओडिशा का राजस्व प्रशासन भूमि का अधिग्रहण करने तथा अमूल्य विरासत की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए थे।

शिशुपालगढ़ किले के बारे में:

- शिशुपालगढ़ स्थल की खुदाई पहली बार 1948 में की गई थी, जब इसे 1904 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।
- इसमें 562.681 एकड़ का क्षेत्र शामिल था जिसमें 1950 में सिसुपालगढ़, बड़ाधनपु, लिंगीपुर, रघुनाथपुर और महाभोइसासन सहित पांच गाँव शामिल थे।
- 2600 साल पुरानी विरासत, शिशुपालगढ़ भारत में आठ प्रवेश द्वारों वाला एकमात्र किलाबंद स्थल है।
- शिशुपालगढ़ किले का निर्माण 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यह कलिंग साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था जो प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था।
- शिशुपालगढ़ किले के शहरी केंद्र का क्षेत्रफल 1.2 किमी x 1 किमी था, जो एक खाई से घिरा हुआ था। इसके अलावा, शहर में एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली थी।

- 2,100 साल पहले जब राजा खारवेल ने शहर की मरम्मत शुरू की थी, तब चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किलेबंदी की गई थी।

एएसआई के बारे में:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसकी स्थापना 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को 'भारतीय पुरातत्व के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातन अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।

3 वन नेशन-वन चालान पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में वर्चुअल ट्रैफिक अदालतों की स्थापना की मांग वाली एक जनहित याचिका सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह पहले से ही वन नेशन, वन चालान पहल को लागू करने की प्रक्रिया में है।

वन नेशन वन चालान (ओएनओसी) पहल:

- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जैसी सभी संबंधित एजेंसियों को एक मंच पर लाना है, ताकि चालान के निर्बाध संग्रह, यानी यातायात जुर्माना के साथ-साथ डेटा ट्रांसफर भी किया जा सके। यह एकीकृत प्रणाली यातायात उल्लंघन का पता लगाने, वाहन और सारथी जैसे अनुप्रयोगों से आपत्तिजनक वाहन की पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए सीसीटीवी नेटवर्क का उपयोग करती है।
- इसके बाद संबंधित जुर्माना राशि के साथ एक ई-चालान उत्पन्न किया जाता है जो वाहन से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह आभासी यातायात अदालतें बनाने का भी प्रयास करता है जो अदालत में वादियों की उपस्थिति को समाप्त करते हैं।
- वाहन पंजीकरण, कराधान, परमिट और प्रवर्तन में आरटीओ की सहायता के लिए राष्ट्रीय परिवहन परियोजना वाहन ऐप बनाया गया है। सारथी ऐप को डिजिटल इंडिया के तहत बनाया गया है जो लोगों को लाइसेंस से जुड़े काम डिजिटल तरीके से पूरा करने में मदद करता है।

पहल से जुड़े महत्त्व:

- एनआईसी सर्वर के समर्थन से सभी राज्यों के आरटीओ डेटा और यातायात पुलिस डेटा के एकीकरण से विभिन्न राज्यों के उल्लंघनकर्ताओं को वाहन पंजीकरण और संबंधित डेटा तक पहुंचने की दंड प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। चालान सीधे वाहन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। एनआईसी ई-चालान वितरण के लिए अपना खुद का एप्लिकेशन लॉन्च करेगा।
- वर्चुअल अदालतों की स्थापना के लिए गुजरात सरकार की पहल का उद्देश्य अदालत में वादियों की उपस्थिति को समाप्त करना है। एक आरोपी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर अपना केस सर्च कर सकता है। जुर्माने का सफल भुगतान करने पर, मामले को निपटान संपन्न होने के रूप में दिखाया जाएगा।

आगे की राह:

यह कदम न केवल चालान दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान करेगा, बल्कि यातायात उल्लंघन दंड प्रक्रिया में शामिल भ्रष्ट प्रथाओं को भी समाप्त करेगा। अन्य राज्य सरकारों को भी गुजरात सरकार के कदम का सक्रिय रूप से पालन करना चाहिए। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा चलाया गया बचाव अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने लीबिया में फंसे 12 भारतीयों को बचाया है। यह बचाव अभियान एनसीएम, विदेश मंत्रालय और ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास के समन्वित प्रयासों से चलाया गया है।

मुद्दा क्या है?

इन फंसे हुए भारतीयों को रोजगार के अवसरों के लिए एक एजेंट द्वारा लुभाया गया था जिससे वे एक नकली नौकरी रैकेट में फंस गए थे। हाल के दिनों में इसी तरह के कई उदाहरण दर्ज किए जा रहे हैं। सितंबर, 2022 में विदेश मंत्रालय ने कुशल युवाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी आईटी नौकरी रैकेट पर परामर्श जारी किया था।

आगे की बड़ी चुनौतियां:

- प्रथम दृष्टया यह सामान्य धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होता है, लेकिन इस मुद्दे पर रेखांकित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। क्योंकि भारत में मानव पूंजी का एक विशाल पूल है जो कुशल और अर्ध-कुशल दोनों प्रकार का है, लेकिन घरेलू बाजार में रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही युवाओं के बीच सोशल मीडिया नेटवर्क की व्यापक और जटिल पहुंच ने उन्हें नकली नौकरी रैकेट के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:

- इस बचाव अभियान में शामिल मुख्य एजेंसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। यह संविधान और संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा के कामकाज की निगरानी करता है।
- एनसीएम में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं।

लीबिया की भौगोलिक स्थिति:

- लीबिया उत्तरी अफ्रीका में माघरेब क्षेत्र (जिसमें लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया तथा मारीटॉनिया देश आते हैं) का एक देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में मिस्र, दक्षिण-पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर-पश्चिम में

ट्यूनीशिया से घिरा हुआ है। तेल राजस्व और छोटी आबादी से समृद्ध आय ने लीबिया को अफ्रीका में उच्चतम नॉमिनल जीडीपी में से एक बना दिया है।

आगे की राह:

चूंकि विदेश मंत्रालय फर्जी नौकरी रैकेट में विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए विभिन्न अभियान चला रहा है, इसलिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों दोनों द्वारा एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता है। साइबर सेल एजेंसियों और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उचित निगरानी से इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है।

5 प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) (संशोधन) विधेयक

चर्चा में क्यों?

पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्मारकों व स्थलों को संरक्षित करने, उत्खनन को विनियमित करने, मूर्तियों तथा नक्काशियों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर), 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में संशोधन हेतु 2017 में विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत सरकार पुनः संसद में प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है।

अधिनियम के बारे में प्रमुख बिंदु:

- **प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण:** यह एक संरक्षित स्मारक के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र को 'निषिद्ध क्षेत्र' के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है। यह प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाता है, भले ही वह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो।
- **पब्लिक वर्क्स की परिभाषा:** यह 'पब्लिक वर्क्स' की परिभाषा पेश करता है, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए गए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। यह बुनियादी ढांचा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी होना चाहिए तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के विशिष्ट उदाहरण पर आधारित होना चाहिए।
- **सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया:** अधिनियम के अनुसार, संबंधित केंद्रीय सरकारी विभाग (जो निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण करना चाहता है) को सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। यदि कोई निर्माण परियोजना 'सार्वजनिक कार्यों' के रूप में योग्य है या नहीं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह प्राधिकरण लिखित कारणों से केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करेगा जिसमें केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा।

संशोधन की आवश्यकता:

- इस अधिनियम में संशोधन करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यह स्मारक के भीतर नए निर्माण पर रोक लगाता है। इससे राष्ट्रीय स्मारकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकास गतिविधियों में बाधा डालने वाले अधिनियम की धारा-20(ए) में संशोधन करना है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई):

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संस्कृति मंत्रालय के तहत, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक शोध और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है।

आगे की राह:

यह सर्वविदित है कि भारत इस वर्ष जी-20 के देशों की मेजबानी कर रहा है, ऐसे में कुछ बैठकें एएसआई के महत्त्वपूर्ण स्थलों पर भी आयोजित की जाएंगी। इसलिए उन स्थलों में से कुछ के आसपास के क्षेत्रों को देखना और उन हाई-प्रोफाइल बैठकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को जोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

6 'हर पेमेंट' डिजिटल मिशन

चर्चा में क्यों:

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रत्येक भारतीय को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के अपने प्रयासों के तहत हर पेमेंट (Har Payment) डिजिटल मिशन शुरू किया है। यह पहल डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करते हुए डिजिटल भुगतान की आसानी और सुविधा को सुदृढ़ करना है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान-सक्षम गांवों में बदलने की पहल शुरू की है। इन गांवों को भुगतान प्रणाली संचालकों द्वारा गोद लिया जाना है।

मिशन हर पेमेंट डिजिटल के बारे में:

- बैंक और भुगतान प्रणाली संचालक 'हर पेमेंट डिजिटल अभियान' को बढ़ावा देंगे और उपलब्ध विभिन्न भुगतान चैनलों को उजागर करेंगे। RBI के क्षेत्रीय कार्यालय इस पहल के हिस्से के रूप में जनभागीदारी गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल भुगतान की स्वीकृति और उपयोग को भी बढ़ावा देंगे।

हर पेमेंट डिजिटल मिशन की आवश्यकता:

➤ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 42% भारतीय डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। 35% डिजिटल भुगतान के बारे में जानते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। 23% भारतीय नागरिक डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में भी नहीं जानते हैं। इस मिशन के माध्यम से उन्हें डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लाभों के बारे में समझाना और उन्हें इससे लाभान्वित होने वाले लोगों के उदाहरण दिखाकर असुरक्षा के मुद्दों को हल किया जाएगा ताकि वह भी डिजिटल भुगतान का उपयोग कर सके।

आगे की राह:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'पेमेंट विजन 2025' दस्तावेज जारी किया गया था, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में तीन गुना वृद्धि करना है। केंद्रीय बैंक डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नकदी के चलन को कम करने पर जोर दे रहा है। विजन दस्तावेज का मुख्य विषय 'ई-भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, हर वक्त है।' इसका समग्र उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प देना है। आरबीआई का हर पेमेंट डिजिटल मिशन भारत ई-भुगतान हासिल करने में मदद करेगा।

7 एच3एन2 वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में H3N2 वायरस के कई मामले दर्ज किए गये हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा (ए) उपप्रकार एच3एन2 देश में मौजूदा समय में सांस (Respiratory) की समस्या का प्रमुख कारण है।

मौसमी इन्फ्लूएंजा के बारे में:

➤ डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मौसमी इन्फ्लूएंजा एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है। मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, टाइप ए, बी, सी और डी।

➤ इन्फ्लुएंजा ए को आगे विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है और उनमें से एक H3N2 है।

➤ H3N2 वायरस एक गैर-मानवीय इन्फ्लूएंजा वायरस है जो सामान्य रूप से सूअरों में फैलता है जिसने मनुष्यों को संक्रमित किया है जिसे 'स्वाइन इन्फ्लूएंजा वायरस' कहा जाता है। जब ये वायरस इंसानों को संक्रमित करते हैं, तो उन्हें 'वैरिएंट वायरस' कहा जाता है। विशिष्ट H3N2 वैरिएंट वायरस का पता 2011 में एवियन, स्वाइन और मानव वायरस तथा 2009 H1N1 महामारी वायरस M जीन के जीन वाले मनुष्यों में लगा था।

H3N2 वायरस के लक्षण:

➤ लोगों में ज्यादातर बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश, खांसी, बहती/बंद नाक और सांस की कुछ तकलीफ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

कौन अधिक जोखिम में हैं?

➤ यह वायरस आमतौर पर 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाता है।

➤ बच्चे और अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली तथा न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों जैसी सह-रुग्णताओं वाले लोगों को अधिक जोखिम होता है।

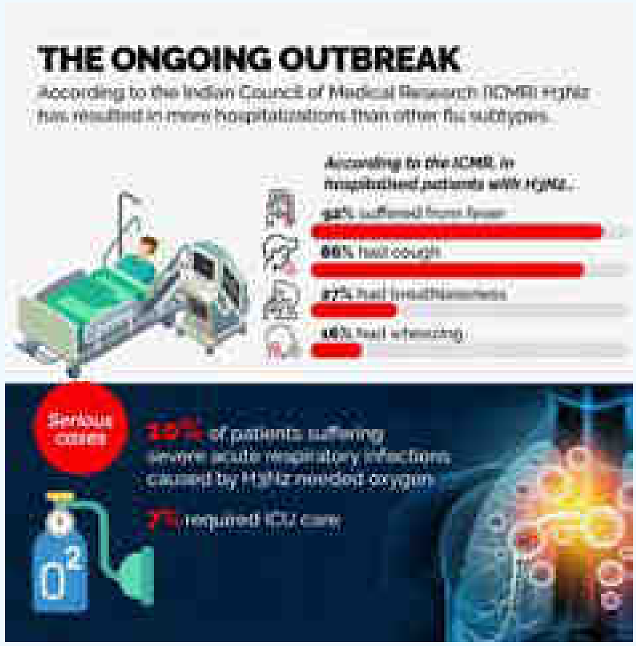

हस्तांतरण:

➤ H3N2 इन्फ्लूएंजा अत्यधिक संक्रामक है और एक संक्रमित व्यक्ति के बात करने, खांसने या छींकने पर उत्पन्न बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।

➤ यह वायरस से दूषित सतह को छूने और फिर किसी के मुंह या नाक को छूने से भी फैल सकता है। फ्लू से जटिलताओं के उच्च जोखिम वाले लोगों में गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बड़े वयस्क और अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति वाले लोग शामिल हैं।

आगे की राह:

उचित आराम करना, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना और बुखार कम करने के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसे ओवर-द-काउंटर दर्द निवारक का उपयोग करना, H3N2 इन्फ्लूएंजा उपचार के सभी भाग हैं। यदि किसी रोगी में गंभीर लक्षण हैं या समस्याओं का उच्च जोखिम है, तो डॉक्टर ओसेल्टामिविर और जनामिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं की भी सिफारिश कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार संदिग्ध और पुष्ट मामलों में, उपचारात्मक लाभों को अधिकतम करने के लिए न्यूरोमिनिडेस अवरोधकों को जल्द से जल्द निर्धारित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. बिस्फेनॉल ए (बीपीए)

हाल ही में तिरुवनंतपुरम (केरल)में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि बिस्फेनॉल ए मनुष्यों और जानवरों में वेक्टर-जनित रोगों के प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से कारण बन सकता है। यह मच्छर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में वेस्ट नाइल वायरस, रिफ्ट वैली बुखार वायरस और एवियन पॉक्स का एक प्रमुख वाहक है जो भोजन, पानी की बोतलों और पेय पदार्थों जैसे को संग्रहित करते हैं। प्लास्टिक, पेंट और अन्य उत्पादों को नरम करने के लिए रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह अंतर्ग्रहण होने पर, हार्मोन के साथ हस्तक्षेप करके अंत:स्रावी तंत्र को बाधित करता है जो भ्रूण, शिशुओं और बच्चों के मस्तिष्क तथा प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रभावित करता है।

2. ऑर्गन ऑन ए चिप

हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए जानवरों के लिए ग्रीन-लाइट कंप्यूटर आधारित और प्रायोगिक विकल्प का प्रयोग किया। इससे पहले, शोधकर्ताओं को मानव नैदानिक परीक्षणों में जाने से पहले रोग के एक पशु मॉडल में दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करना पड़ता था। इस कदम से ऑर्गन चिप्स के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऑर्गन चिप्स छोटे उपकरण होते हैं जिनमें मानव कोशिकाएं होती हैं। इनका उपयोग मानव अंगों में पर्यावरण की नकल करने के लिए किया जाता है, जिसमें रक्त प्रवाह और सांस लेने की गति शामिल है, जो सिंथेटिक वातावरण के रूप में कार्य करता है जिसमें नई दवाओं का परीक्षण किया जाता है। यह ऑर्गन चिप्स के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे सकता है। इससे दवाओं के अनुसंधान एवं विकास की लागत में कमी आ सकती है। यह पशुओं से संदूषण और बीमारी फैलने की संभावना को कम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऑर्गन चिप्स का उपयोग व्यक्तिगत रोगियों के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

3. ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर)

MIT के शोधकर्ताओं ने एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट बनाया है जो उपयोगकर्ताओं को एक बॉक्स के अंदर या ढेर के नीचे छिपी हुई वस्तुओं की पहचान करने के लिए सक्षम बनाता है। हेडसेट (जिसे एक्स-एआर कहा जाता है) कंप्यूटर दृष्टि और वायरलेस धारणा को स्वचालित रूप से एक विशिष्ट वस्तु का पता लगाने के लिए होता है जो दिखाई नहीं देता।

एआर और वीआर: ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) अक्सर स्मार्टफोन पर कैमरे का उपयोग करके लाइव दृश्य में डिजिटल तत्वों को जोड़कर बढ़ाता है। वर्चुअल रियलिटी (वीआर) एक पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव है जो वास्तविक जीवन के वातावरण को नकली वातावरण से बदल देता है।

4. रायसीना डायलॉग

इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी आठवें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आई। रायसीना संवाद भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल, दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समकालीन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए राजनीति, व्यापार, मीडिया तथा नागरिक समाज के नेता नई दिल्ली में एकत्रित होते हैं। संवाद को एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टोरल चर्चा के रूप में संरचित किया जाता है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं।

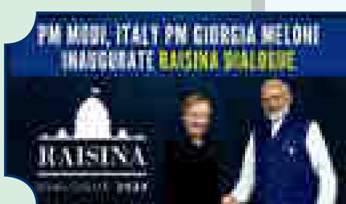

5. आदि गंगा परियोजना

हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने आदि गंगा परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। इस परियोजना के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य नदी को बहाल करना और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करना है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी घाटियों के जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना है।

6. मिशन शक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक योजना के बारे में अधिक जानकारी मांगी है। 'मिशन शक्ति' एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएँ हैं- 'संबल' और 'समर्थ'। 'संबल' उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं 'समर्थ' उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है, जो हिंसा और खतरे से मुक्त वातावरण में स्वतंत्र जीवन जीने के विकल्प का प्रयोग करती है।

7. 'व्हिप' (Whip)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सदन के सदस्य 'व्हिप' से बंधे होते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के विधायकों का कोई वर्ग जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, कहता है कि वह गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहता है, तो विधायक अयोग्य किया जा सकता है। संसदीय बोलचाल में व्हिप सदन में किसी पार्टी के सदस्यों को एक निश्चित आदेश का पालन करने के लिए लिखित आदेश और पार्टी के एक नामित अधिकारी को संदर्भित कर सकता है जो इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है। यह शब्द पार्टी लाइन का पालन करने के लिए सांसदों को 'व्हिपिंग' की पुरानी ब्रिटिश प्रथा से लिया गया है।

8. स्व-अपराध के विरुद्ध अधिकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 4 मार्च, 2023 तक सीबीआई हिरासत में भेजे जाने के बाद आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम द्वारा सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उनसे संपर्क करने को नामंजूर कर दिया, क्योंकि उनके लिए सीआरपीसी की धारा-482 के तहत उच्च न्यायालय जाने का विकल्प उपलब्ध था। अदालत ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया था कि उन्हें स्व-अपराध के विरुद्ध अधिकार था। भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में अनुच्छेद-20(3) कहता है, 'किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।'

9. अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम

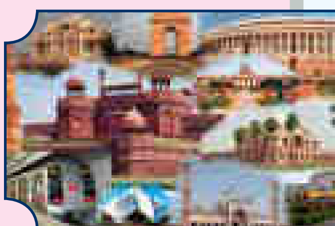

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पुरातत्वविद् ने भारत की 'अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम' की आलोचना की। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम-'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च किया गया था। सरकार इससे भारत भर में चयनित स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की फर्मों तथा व्यक्तियों सहित संस्थाओं को आमंत्रित करती है।

10. 1,300 साल पुराना बौद्ध स्तूप

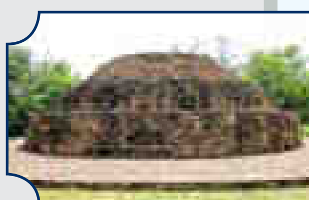

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ओडिशा के जाजपुर जिले में एक खनन स्थल पर 1,300 साल पुराना स्तूप मिला। यह वह स्थान है जहाँ से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। यह पुरातात्विक संपत्ति परभदी में पाई गई जो ललितागिरी के पास स्थित है, एक प्रमुख बौद्ध परिसर है, जिसमें बड़ी संख्या में स्तूप और मठ हैं। यह स्तूप 4.5 मीटर ऊँचा है और प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है।

11. बिम्सटेक

हाल ही में भारत ने बिम्सटेक एनर्जी सेंटर (बीईसी) के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। बिम्सटेक क्षेत्र में मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में बीईसी की विशेष शाखाओं के तहत अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने की सिफारिश की गई। इनमें (1) साइबर सुरक्षा, (2) हरित हाइड्रोजन और (3) ऊर्जा रूपांतरण हैं। बिम्सटेक एक आर्थिक ब्लॉक है जो 6 जून 1997 को बैंकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। बिम्सटेक सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 1.73 बिलियन लोगों का निवास स्थान है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद $3.8 ट्रिलियन है। इसके तहत दोनों नेताओं ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

12. विश्व वन्यजीव दिवस (WWD)

3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (WWD) के रूप में जाना जाता है, जो वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम 'वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी' है। 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन को अपनाने के लिए 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया।

13. हबल अंतरिक्ष सूक्ष्मदर्शी

हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड की विस्मयकारी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है खतरे में पाया गया है। एक अध्ययन से पता चलता है कि हबल द्वारा रिकॉर्ड की गई उन छवियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो उपग्रहों के गुजरने से खराब हो जाती हैं।

हबल स्पेस टेलीस्कॉप:

- हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ा टेलीस्कोप है।
- इसे 24 अप्रैल, 1990 को डिस्कवरी की मदद से लॉन्च किया गया था।
- हबल पृथ्वी से लगभग 535 किलोमीटर (332 मील) ऊपर कक्षा में है।
- हबल के उत्तरवर्ती के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) है।
- हबल आकाश में ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं जैसी वस्तुओं के स्पष्ट चित्र लेता है। हबल ने अब तक दस लाख से अधिक अवलोकन किए हैं।

14. न्यायिक हिरासत

हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-57: इसमें कहा गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि धारा-167 के तहत मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश न हो। इसमें कहा गया है कि अगर 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश तब भी हिरासत में रखा जा सकता है, जब उसके खिलाफ आरोपों पर विश्वास करने के लिए 'सुस्थापित आधार' हों।

सीआरपीसी की धारा-436ए: न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति, जिसने किसी अपराध के लिए दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी सजा काट ली है, यदि उसका मुकदमा लंबित है, तो वह डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी अवधि तक के लिए न्यायिक हिरासत में है और मुकदमा अभी भी अदालत में लंबित (पेंडिंग) है, तो वह डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

15. येलोस्टोन नेशनल पार्क (YNP)

येलोस्टोन नेशनल पार्क अपनी 151वीं वर्षगांठ मना रहा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क को व्यापक रूप से दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना और इडाहो के बीच सीमा क्षेत्र में यह स्थित है। यह 42वीं यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट के साथ स्थापित किया गया था। यह 9,000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें झीलें, घाटियां, नदियां, प्रतिष्ठित भू-तापीय विशेषताएं जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर और पर्वत शृंखलाएं शामिल हैं।

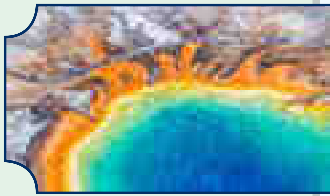

16. संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि मसौदा समझौता

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। इसे 'महासागर के लिए पेरिस समझौते' के रूप में भी जाना जाता है। यह संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (BBNJ) से परे जैव विविधता से संबंधित है और कई वर्षों से चर्चा में है। इस संधि पर समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत बातचीत की जानी थी जो समुद्री संसाध नों के संबंध में देशों के अधिकारों को नियंत्रित करता है।

17. कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी (KoSO)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES), नैनीताल के सौर भौतिकविदों (दोनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत) ने 1904 से अब तक कैप्चर की गई 1.48 लाख सौर छवियों को डिजिटाइज किया है। एक सदी से भी अधिक समय से, कोडाइकनाल सौर वेधशाला (KoSO- Kodaikanal Solar Observatory) सूर्य का अवलोकन कर रही है, सनस्पॉट की छवियों को कैप्चर कर रही है और इसके व्यवहार में परिवर्तन को रिकॉर्ड कर रही है।

कोडाइकनाल सौर वेधशाला के बारे में:

- KoSO, जिसका स्वामित्व और संचालन IIA द्वारा किया जाता है, सूर्य का अध्ययन करने वाली दुनिया की सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक है।
- सौर भौतिकी वेधशाला 1 अप्रैल, 1899 को खुली और बाद में इसका नाम कोडाइकनाल सौर वेधशाला (KoSO) रखा गया।

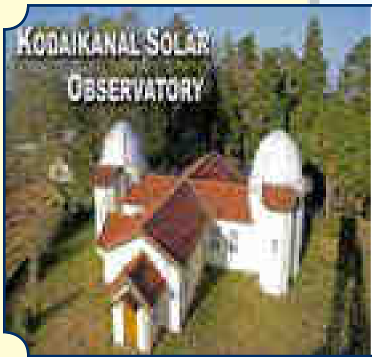

18. हाइपरसोनिक मिसाइलें

यूक्रेन हमले में रूस ने दुर्लभ हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया जिसमे कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति या इससे अधिक की गति से उड़ान भरती है यानी ध्वनि की गति से पाँच गुना गतिशील है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता ही इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है क्योंकि यह बाद में बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है। इस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र (Ballistic Trajectory) का पालन नहीं करती हैं तथा उन्हें इच्छित लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है।

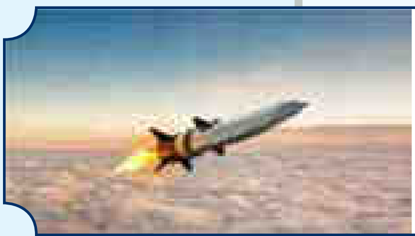

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए शून्य भेदभाव दिवस का विषय है सेव लाइव्ज: डिक्रिमिनलाइज।
2. विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को 'वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी' विषय के साथ मनाया गया।
3. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2023 का थीम है डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी।
4. मनसुख मंडाविया ने सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखित 'इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी' नामक पुस्तक का विमोचन किया।
5. ज्योतिमणि और जी. बालन द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस - गांधीयन एरा का विमोचन किया गया।
6. आईएनएस त्रिकंद ने 05 से 09 मार्च 2023 तक खाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) के समुद्री चरण-I में भाग लिया।
7. भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास FRINJEX-23 तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया जो अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है।
8. मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता।
9. बोला टीनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए।
10. वियतनाम की संसद ने वो वान थुओंग को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना।
11. ईआईयू की ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है।
12. ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी के स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस (IBC) स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बन गई है।
13. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'कैच द रेन-2023' अभियान की शुरूआत की। अभियान का केंद्रीय विचार पेयजल स्रोतों की स्थिरता है।
14. महाराष्ट्र हाईवे पर 'दुनिया का पहला' बांस क्रैश बैरियर लगाया गया।
15. SC ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे कर रहे हैं।
16. मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना।
17. मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाना है।
18. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आगरा, उत्तर प्रदेश में 3-4 मार्च, 2023 तक दो दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया।
19. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया।
20. केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना सोने के गहने और अन्य सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
21. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह ट्रेन लोगों में इस योजना के प्रति जागरूकता का माध्यम बनेगी।
22. पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। एनपीडीआरआर का लक्ष्य 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाना है।
23. अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए 'गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक' कवर जारी किया।
24. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक घोषित किया गया है। इसे क्षेत्र के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक के रूप में भी घोषित किया गया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए बाजार नियामक के दायरे में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था। सितंबर 2021 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।
- 22 फरवरी को, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को एसएसई स्थापित करने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में

- एसएसई मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करेगा।
- यह उद्यमों के लिए उनकी सामाजिक पहलों के लिए वित्त प्राप्त करने, दृश्यता प्राप्त करने, धन जुटाने और उपयोग के बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा।
- खुदरा निवेशक केवल मुख्य बोर्ड के तहत लाभकारी सामाजिक उद्यमों (SE) द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं।
- अन्य सभी मामलों में, केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक SE द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता

- कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (NPO) या फायदे के लिए सामाजिक उद्यम (FPSEs) जो सामाजिक इरादे की प्रधानता स्थापित करता है, उसे एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे SSE में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बना देगा।
- SEBI के ICDR (इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2018 के विनियम 292E के तहत सूचीबद्ध 17 प्रशंसनीय मानदंड, SE के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए संगठनों के लिए पात्रता का आधार बनाते हैं।
- कॉर्पोरेट, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों, पेशेवर या व्यापार संघों, बुनियादी ढांचे और आवास कंपनियों (किफायती आवास को छोड़कर) को SE के रूप में नहीं पहचाने जायेंगे।

प्रकटीकरण जो आवश्यक हैं

- सेबी के नियमों में कहा गया है कि एक सामाजिक उद्यम को एक निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- रिपोर्ट का ऑडिट सोशल ऑडिट फर्म द्वारा किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- सूचीबद्ध एनपीओ, तिमाही आधार पर, विशेष रूप से श्रेणी-वार जुटाए गए धन के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं, जैसे कि उनका उपयोग कैसे किया गया है? जब तक आय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है या उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक जानकारी को रखने की आवश्यकता होती है।

सामाजिक उद्यमों से धन प्राप्त करना

- NPO के लिए यह अनिवार्य है की धन जुटाने की सुविधा के लिए यह SSE में पंजीकृत हो।
- संगठन का एक विशिष्ट कार्यकाल होना चाहिए और केवल एक विशिष्ट परियोजना या गतिविधि के लिए जारी किया जा सकता है जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाना है जैसा कि धन उगाहने वाले दस्तावेज (एसएसई को प्रस्तुत किया जाना है) में उल्लिखित है।
- लाभकारी उद्यमों (एफपीई) को एसएसई के माध्यम से धन जुटाने से पहले सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- SSE के माध्यम से उठाते समय इसे ICDR विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
- एनपीओ एसएसई पर पंजीकरण करना चुन सकता है जिसके माध्यम से अन्य माध्यमों से धन जुटा सकता है। हालांकि, उन्हें इसके बारे में जरूरी खुलासा करना होगा।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

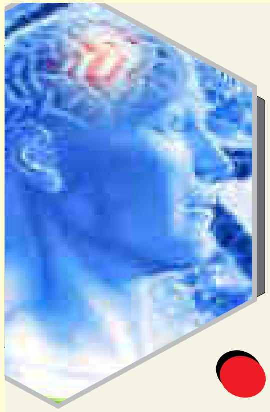

चर्चा में क्यों?

- ‘रमन प्रभाव’ की खोज की घोषणा का सम्मान करने के लिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- इस वर्ष का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह, भारत की जी-20 अध्यक्षता के आलोक में ‘वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान’ पर केंद्रित होगा।

सीवी रमन के बारे में

- रमन का जन्म 1888 में मद्रास प्रेसीडेंसी में त्रिची (वर्तमान तिरुचिरापल्ली) में संस्कृत विद्वानों के परिवार में हुआ था।
- उन्होंने मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की और अपनी एमए की डिग्री के लिए अध्ययन करते हुए 18 साल की उम्र में, उसे फिलोसोफिकल पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यह प्रेसीडेंसी कॉलेज द्वारा प्रकाशित अब तक का पहला शोध पत्र था।
- एक पूर्णकालिक सिविल सेवक, रमन ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस) में शोध शुरू किया।
- 29 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफेसर की नौकरी कर ली।

रमन प्रभाव की खोज

- इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान, भूमध्य सागर से गुजरते समय, रमन समुद्र के गहरे नीले रंग से सबसे अधिक प्रभावित थे।
- नेचर में छपी पहली रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक ‘एक नए प्रकार का माध्यमिक विकिरण’ था, सीवी रमन और सह-लेखक केएस कृष्णन ने लगभग 60 विभिन्न तरल पदार्थों तथा उनके घटक अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया।
- रमन प्रभाव वह खोज थी जिसने भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिलवाया था।

रमन प्रभाव का महत्त्व

- रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आधार बनाता है जिसका उपयोग रसायनज्ञों और भौतिकविदों द्वारा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- लेजरों के आविष्कार और प्रकाश की अधिक मजबूत किरणों को केंद्रित करने की क्षमता के साथ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग में वृद्धि ही हुई है।
- इसका उपयोग पेट्रोकेमिकल और दवा उद्योगों में निर्माण प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए किया जाता है।
- अपराध स्थल पर पकड़ी गई अवैध दवाओं का विश्लेषण करना।
- एक फाइबर-ऑप्टिक जांच का उपयोग करके, एक सुरक्षित दूरी से परमाणु अपशिष्ट सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है।
- इसके अलावा, यह विशिष्ट जैव रासायनिक जानकारी प्रदान कर सकता है जो कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों की शुरुआत का पूर्वाभास दे सकता है।

रमन प्रभाव क्या है?

- रमन प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें जब प्रकाश की धारा किसी तरल से गुजरती है, तो तरल द्वारा बिखरे प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है।
- यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण होता है जो तब होता है जब अणुओं द्वारा प्रकाश किरण को विक्षेपित किया जाता है।
- जब प्रकाश किसी वस्तु के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो यह परावर्तित, अपवर्तित या संचरित हो सकता है। जब प्रकाश बिखरा होता है तो वैज्ञानिक जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से एक यह है कि क्या वह कण जिसके साथ यह इंटरैक्ट करता है इसकी ऊर्जा को बदल सकता है?
- रमन प्रभाव तब होता है जब प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन अवलोकन के तहत अणु या सामग्री के कंपन से प्रभावित होता है, जिससे इसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है।

महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर संभावित 100 में से 74.4 अंक तक गिर गया, क्योंकि भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून उन्हें भारतीय पुरुषों के साथ समानता की गारंटी नहीं देते हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- महिला, व्यवसाय तथा कानून रिपोर्ट 2023, 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों को मापने वाले वार्षिक अध्ययनों की शृंखला में नौवां संस्करण है।
- यह सूचकांक एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र को मापता है।
- यह आठ संकेतकों पर आधारित है जो महिलाओं की करियर की शुरुआत, प्रगति और अंत में कानून के साथ अनुभव पर आधारित है।
- संकेतकों में शामिल हैं: गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, मातृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।

रिपोर्ट के वैश्विक निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक पर 100 के स्कोर का मतलब है कि मापे जा रहे सभी आठ संकेतकों पर पुरुषों के साथ महिलाएं बराबरी पर हैं।
- विश्व स्तर पर, औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 77 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और दुनिया भर में कामकाजी उम्र की लगभग 2.4 बिलियन महिलाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में रहती हैं जो उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।
- 2022 में, कानून के तहत महिलाओं के समान उपचार की दिशा में सुधारों की वैश्विक गति 20 साल के निचले स्तर पर आ गई है।
- सुधार की मौजूदा गति से, हर जगह कानूनी लैंगिक समानता प्राप्त करने में कम से कम 50 साल लगेंगे।
- सूचकांक में शामिल 190 अर्थव्यवस्थाओं में से केवल 14 ने एक पूर्ण 100 स्कोर किया।
- 14 देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं।

भारत के बारे में मुख्य निष्कर्ष

- भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए 63.7 औसत से अधिक स्कोर किया, हालांकि यह स्कोर नेपाल से कम हैं, जिसका उच्चतम स्कोर 80.6 था।
- भारत के लिए, सूचकांक ने मुंबई में लागू कानूनों और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया, जिसे देश के मुख्य व्यापारिक शहर के रूप में देखा जाता है।
- आने-जाने की स्वतंत्रता, काम करने के लिए महिलाओं के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कानूनों और विवाह से संबंधित बाधाओं के मामले में भारत को एक पूर्ण स्कोर प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत निम्न विषयो में पिछड़ गया:
  - महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून।
  - बच्चे पैदा करने के बाद महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून।
  - व्यवसाय शुरू करने और चलाने वाले कानून।
  - संपत्ति और विरासत में लिंगभेद।
  - महिलाओं की पेंशन प्रभावित करने वाले कानून।

अनुशंसाएँ

- भारत को महिलाओं के लिए कानूनी समानता में सुधार के लिए सुधारों पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए सबसे कम स्कोर महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का आंकलन करने वाले संकेतक से आता है।
- वेतन संकेतक में सुधार के लिए, भारत समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक को अनिवार्य करने पर विचार कर सकता है तथा महिलाओं को पुरुषों की तरह रात में काम करने की अनुमति देना और महिलाओं को पुरुषों की तरह औद्योगिक नौकरी में काम करने की अनुमति देने जैसे कदम से वेतन संकेतक में सुधार ला सकता है।

SWAMIH निवेश कोष

चर्चा में क्यों?

स्पेशल विंडो ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड I (SWAMIH) ने अब तक स्ट्रेस्ड, ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (RERA) में पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं, जो किफायती, मध्य-आय आवास श्रेणी में आती हैं, को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 15,530 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

SWAMIH के बारे में

- द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) इन्वेस्टमेंट फंड 'एक सोशल इंपैक्ट फंड है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।'
- यह एक सरकार समर्थित फंड है, जिसे सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के साथ पंजीकृत श्रेणी- II एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण कोष के रूप में स्थापित किया गया है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह फंड देश भर में घर खरीददारों को उनके अटके हुए अपार्टमेंट की डिलीवरी में मदद करने के लिए तथा तनावग्रस्त परियोजनाओं में तरलता डालने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- इस कोष को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है जिसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICAP Ventures Ltd. द्वारा किया जाता है।

SWAMIH से किसे लाभ हो सकता है?

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, SWAMIH फंड के पास सबसे बड़ी घरेलू रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी टीमों में से एक है, जो केवल तनावग्रस्त आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंडिंग और निगरानी पर केंद्रित है। फंड निम्नलिखित विषयों पर विचार करता है:
  - उदीयमान डेवलपर्स।
  - परेशान परियोजनाओं वाले स्थापित डेवलपर्स।
  - अटकी हुई परियोजनाओं के खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स।
  - ग्राहकों की शिकायतें।
  - एनपीए खाते और यहां तक कि उन जहां मुकदमेबाजी के मुद्दे हैं, जिसे संकटग्रस्त परियोजनाओं के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता माना जाता है।

वैकल्पिक निवेश कोष के बारे में

- AIF एक विशेष प्रकार की निवेश व्यवस्था है जो परंपरागत स्टॉक, बॉन्ड और नकदी के अलावा अन्य संपत्तियों में निवेश करने के लिए कई प्रतिभागियों से धन एकत्र करता है। इन संसाधनों में कमोडिटी, रियल एस्टेट, निजी इक्विटी, हेज फंड या अन्य अपरंपरागत उद्यम शामिल हो सकते हैं।
- एआईएफ अक्सर उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को बेचे जाते हैं जिनके पास अधिक जटिल और अतरल संपत्ति में निवेश करने की तथा संसाधन होते हैं।
- भारत में, एआईएफ को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियम (एआईएफ), 2012 के विनियम 2(1)(बी) के तहत परिभाषित किया गया है।
- इनमें सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996, सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999, या कोष प्रबंधन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बोर्ड के किसी भी अन्य नियम के तहत शामिल फंड शामिल नहीं हैं।

अब तक की उपलब्धियां

- फंड ने 20,557 घरों को पूरा किया है और अगले तीन वर्षों में 30 टियर 1 और 2 शहरों में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का लक्ष्य है।
- इसने अब तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 130 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की है।
- फंड ने 26 परियोजनाओं के पूर्ण निर्माण में सहायता की है और अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न किया है।
- रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कई सहायक उद्योगों के विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की तरलता को सफलतापूर्वक अनलॉक किया।

विश्व जल दिवस 2023

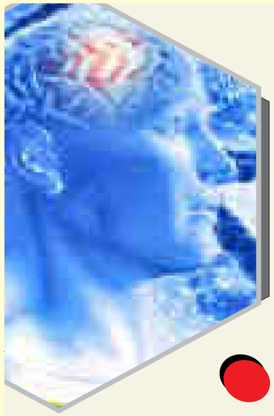

चर्चा में क्यों?

विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को सभी जीवित चीजों के लिए पानी के महत्त्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।

विषय– वर्ष 2023 का विषय 'जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना' है।

इतिहास

- इस दिन को पहली बार औपचारिक रूप से रियो डी जनेरियो, ब्राजील में पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा 21 में प्रस्तावित किया गया था।
- दिसंबर 1992 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था।

संगठन और संबंधित गतिविधियां

- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस का संयोजक है और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के लिए विषय का चयन करता है जो उस वर्ष के फोकस में रुचि साझा करते हैं।
- यूएन-वाटर विश्व जल दिवस पर विश्व जल आकलन कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष निर्मित संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडब्ल्यूडीआर) भी जारी करता है।
- संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन भी विश्व जल दिवस, 22 मार्च 2023 को मनाया गया जिसमें जल कार्यवाही एजेंडा लॉन्च हुआ।

भारत में जल संसाधन के बारे में मुख्य तथ्य

- भारत में पानी की मांग 2015-2025 के बीच 23.2 ट्रिलियन लीटर से बढ़कर 47 ट्रिलियन लीटर होने का अनुमान है।
- इसी अवधि के दौरान, घरेलू मांग 40 प्रतिशत बढ़कर 55 ट्रिलियन लीटर होने की उम्मीद है।
- सिंचाई, भूजल का प्रमुख उपभोक्ता है, जो सालाना 92 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए 14 प्रतिशत अधिक यानी 592 ट्रिलियन लीटर की आवश्यकता होगी।
- भारत का वार्षिक भूजल संसाधन 433 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित किया गया है, जिसमें से 399 बीसीएम विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध माना जाता है।
- नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2019 तक 75 प्रतिशत घरों में पीने का पानी नहीं था और लगभग 84 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में पाइप से पानी की पहुंच भी नहीं था।
- स्वच्छता के साथ-साथ भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य-6 स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता के मुद्दे से संबंधित है। एसडीजी -6 के तहत 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक तथा न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।
- सभी के लिए पर्याप्त, न्यायसंगत स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करना।
- महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए खुले में शौच को समाप्त करना।

जैव कंप्यूटर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (जेएचयू) के शोधकर्ताओं ने 'ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस' नामक अध्ययन के संभावित ग्राउंड-ब्रेकिंग क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्य 'जैव कंप्यूटर' विकसित करना है जहां मस्तिष्क कल्चर वास्तविक सेंसर और इनपुट/आउटपुट डिवाइस के साथ प्रयोगशाला में विकसित किया जाएगा।

ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस क्या है?

'ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस' (OI) मानव मस्तिष्क कोशिकाओं (मस्तिष्क ऑर्गेनोइड्स) और मस्तिष्क-मशीन इंटरफेस प्रौद्योगिकियों की 3डी कल्चर का उपयोग करके जैविक कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए काम कर रहे एक उभरते बहु-विषयक क्षेत्र का वर्णन करता है, जहाँ AI का उद्देश्य कंप्यूटरों को मस्तिष्क जैसा बनाना है। OI अनुसंधान यह पता लगाएगा कि कैसे एक 3D मस्तिष्क कोशिका कल्चर को और अधिक कंप्यूटर जैसा बनाया जा सकता है?

ब्रेन ऑर्गेनाइड्स के बारे में

- परंपरागत रूप से, शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में विकसित होने वाले विभिन्न मानव स्नायविक विकारों की जांच के लिए चूहे के दिमाग का उपयोग किया है।
- मनुष्यों के लिए अधिक प्रासंगिक प्रणालियों को विकसित करने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मस्तिष्क के ऊतकों की 3डी संस्कृतियों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रेन ऑर्गेनॉइड भी कहा जाता है।
- शोधकर्ता अब मानव मस्तिष्क के विकास का अध्ययन करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं।

जैव-कंप्यूटर

- जेएचयू के शोधकर्ताओं ने 'जैव-कंप्यूटर' बनाने के लिए आधुनिक कंप्यूटिंग विधियों के साथ मस्तिष्क के अंगों को संयोजित करने की योजना बनाई है।
- उन्होंने कई इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े गए लचीले ढांचे के अंदर ऑर्गेनॉइड को बढ़ाकर मशीन लर्निंग के साथ ऑर्गेनॉइड को जोड़ने की योजना की घोषणा की है।
- ये संरचनाएं न्यूरॉन्स के फायरिंग पैटर्न को रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगी और संवेदी उत्तेजनाओं की नकल करने के लिए विद्युत उत्तेजना भी प्रदान करेंगी।
- इसके बाद न्यूरॉन्स की प्रतिक्रिया पैटर्न और मानव व्यवहार या जीव विज्ञान पर उनके प्रभाव का मशीन-लर्निंग तकनीकों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा।

ब्रेन ऑर्गेनॉइड के संभावित अनुप्रयोग

- यद्यपि मानव मस्तिष्क पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में धीमा है, उनके पास जटिल जानकारी को संसाधित करने की तीव्र क्षमता है जो OI की विशाल क्षमता को दर्शाता है।
- वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि प्रौद्योगिकी मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग करेगी और मानव अनुभूति, सीखने और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों के जैविक आधार को समझेगी।
- वे स्वस्थ और 'रोगी-व्युत्पन्न' ऑर्गेनोइड्स के बीच मस्तिष्क शरीर रचना, कनेक्शन और सिग्नलिंग की जानकारी की तुलना करके मानव अनुभूति, सीखने तथा स्मृति के जैविक आधार की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।
- वे पार्किंसंस रोग और माइक्रोसेफली जैसे विनाशकारी न्यूरोडेवलपमेंटल, अपक्षयी रोगों के लिए पैथोलॉजी और दवा के विकास को डिकोड करने में भी मदद कर सकते हैं।

आगे की राह

उपचार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धि आदि को बढ़ाने के मामले में ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की भविष्य के लिए बहुत आशाजनक संभावनाएं हैं। फिर भी, यह तकनीक एक दोधारी तलवार जैसी है जिसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए, प्रौद्योगिकी के नैतिक पहलुओं की पहचान करना और उस पर काम करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

मैनहोल से मशीन होल

चर्चा में क्यों?

मैला ढोने या मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को पूरी तरह से हटाने के लिए मैनहोल-टू-मशीन-होल योजना को लागू करने की सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके एक हिस्से के रूप में, सरकार देश में आने वाली हाउसिंग सोसायटियों और वाणिज्यिक परिसरों को अनिवार्य रूप से शुद्ध शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करने और उनके तरल निर्वहन का उपचार करने की योजना बना रही है।

योजना के बारे में

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय मार्च के अंत तक सभी राज्य सरकारों को भवन उपनियमों का यह हिस्सा बनाने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश भेजेगा।
- मंत्रालय सेप्टिक टैंक डिजाइन को भवन उपनियमों में एकीकृत करने और मानक विनिर्देशों के पालन पर भी विचार कर रहा है।
- इसके अलावा यह उचित ट्रैकिंग के लिए सभी सेप्टिक टैंकों और मैनहोलों की जियो-टैगिंग करने तथा मशीनीकृत सफाई वाहनों पर जीएसटी कम करने की योजना बना रहा है।

सक्रिय शुद्ध-शून्य अपशिष्ट क्या है?

- शुद्ध शून्य अपशिष्ट प्राप्त करने का अर्थ है अपशिष्ट या (कीचड़) को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्प्राप्त करना ताकि उन्हें मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित किया जा सके जिससे शून्य ठोस अपशिष्ट को लैंडफिल में भेजा जा सके।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है 'नगर ठोस और तरल अपशिष्ट में परिपत्र अर्थव्यवस्था' के अनुसार यदि उपचारित सीवेज की बिक्री को संस्थागत किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

हाथ से मैला ढोने वालों के लिए NAMASTE योजना

- NAMASTE (मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना) योजना पिछले साल शुरू की गई थी, जिसमें मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए पहले से मौजूद स्वरोजगार योजना (SRMS) शामिल थी।
- यह योजना सीवर क्लीनर को स्वच्छता मशीनरी की खरीद पर पूंजीगत सब्सिडी, श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए वजीफे की राशि और स्वच्छता उपकरणों पर सीमित ब्याज दरों के साथ ऋण सब्सिडी प्रदान करती है।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस योजना पर सरकार द्वारा अगले चार वर्षों में ₹360 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है।

मैनहोल-टू-मशीन होल योजना

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 400 लोगों की मौत हो चुकी है।
- वित्त मंत्री ने 2023-24 के अपने बजट भाषण में हाल ही में घोषणा की कि सभी शहरों और कस्बों को मैनहोल से मशीन-होल मोड में सीवर तथा सेप्टिक टैंक के 100% परिवर्तन के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

भारत में सीवेज उपचार

- भारत वर्तमान में शहरी अपशिष्ट जल का प्रति दिन 72,368 मिलियन लीटर उत्पन्न करता है, जिसमें से केवल 28% का उपचार किया जाता है, जिसका अर्थ है कि 72% अनुपचारित अपशिष्ट जल नदियों, झीलों या भूजल में प्रवेश कर जाता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आवास और वाणिज्यिक परिसरों के लिए अनिवार्य शून्य शुद्ध अपशिष्ट खंड के साथ मिलकर एक यंत्रीकृत सीवेज प्रणाली बनाना महत्त्वपूर्ण हैं।
- संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 6.3 का उद्देश्य 'अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करना और विश्व स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः उपयोग में काफी वृद्धि करना है।'
- सरकार मशीनीकृत सफाई उपकरणों के लिए भारतीय मानकों की समीक्षा करने, आवासीय और वाणिज्यिक स्लज निकालने के लिए अलग-अलग टैरिफ दरों पर विचार करने की योजना बना रही है।
- गैस का पता लगाने के लिए यांत्रिक कुदाल के साथ-साथ सेंसर स्टिक जैसे कम लागत वाले तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक मेक इन इंडिया स्टार्ट-अप पर भी विचार किया जा रहा है।

आर्थिक विकास के लिए सरकार की पहलें

- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के पास अगस्त 2022 में, 2,000 करोड़ रुपये का एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष की स्थापना की गई जिसके तहत मेगा फूड पार्क (MFP) के साथ-साथ MFPs में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश के लिए किफायती ऋण प्रदान किया जाएगा।
- दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) आधार पर दो मेगा कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल विकसित करने की योजना की घोषणा की।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को मंजूरी दी।
- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) एक ऐसा बैंक है जो गैर-आश्रित अवसंरचना वित्तपोषण प्रदान करेगा जिसे अगले तीन वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
- 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को संघनित, संयोजन और युक्तिसंगत बनाकर, सरकार ने चार श्रम संहिताएँ अधिसूचित की हैं: मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020।
- नई घरेलू कंपनियों को भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 15% की रियायती कर दर को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है।
- सरकार ने इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) की शुरुआत की, जो एक GIS-आधारित पोर्टल है। यह सभी औद्योगिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित सूचनाओं का एक-स्टॉप रिपोजिटरी- कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचा, प्राकृतिक संसाधन, भू-भाग, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, गतिविधि की रेखा और संपर्क विवरण रखेगा।
- भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI को स्वचालित मार्ग से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 100% कर दिया।
- सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों में संशोधन किया है, जिससे बीमा कंपनी एलआईसी में स्वचालित मार्ग से 20% तक एफडीआई की अनुमति मिल गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वह स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति देगा, जो पिछले 49% से अधिक है।
- सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा में 74% वृद्धि की अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में संशोधन किया।
- सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दी थी।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धन जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार में 'मान्यता प्राप्त' निवेशकों का विचार पेश किया।

भारत का आर्थिक परिद्रश्य

निम्न-मध्यम आय वाली विकासशील/उभरती अर्थव्यवस्था

जनसंख्या:
- 1,417,173,173 (दूसरा स्थान; 2022 अनुमान)

सकल घरेलू उत्पाद:
- $3.469 ट्रिलियन (नॉमिनल; 2022 अनुमानित)
- $11.665 ट्रिलियन (पीपीपी; 2022 अनुमानित)

जीडीपी रैंक:
- पांचवां (नॉमिनल; 2022)
- तीसरा (पीपीपी; 2022)

प्रति व्यक्ति जी डी पी:
- $2,466 (नॉमिनल; 2022 अनुमान)
- $8,293 (पीपीपी; 2022 अनुमान)

जीडीपी प्रति व्यक्ति रैंक:
- 142वां (नॉमिनल; 2022)
- 125वां (पीपीपी; 2022)

सेक्टर के हिसाब से जीडीपी:
- कृषि: 18.8%
- उद्योग: 28.2%
- सेवाएं: 53%

घटक द्वारा जीडीपी:
- निजी अंतिम खपत: 60.1%
- सरकारी अंतिम खपत: 10.7%
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण: 29.2%
- वस्तु और सेवाओं का निर्यात: 22.7%
- वस्तु और सेवाओं का आयात: 27.4%
- अन्य स्रोत: 4.7%
- (वित्तीय वर्ष 2022-23)
- **मुद्रास्फीति (सीपीआई)**- 6.44%(फरवरी 2023)
- **आधार उधार दर**- 4.50% (11 नवंबर 2022)

गरीबी रेखा से नीचे की आबादी:
- अत्यधिक गरीबी में 3% (2022 अनुमान)
- $2.15/दिन से कम पर 10.01% (2019 अनुमान)

मानव विकास सूचकांक:
- भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है।

भ्रष्टाचार की अनुभूति की सूची:
- भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है।

श्रम बल:
- 48.7% रोजगार दर (2020)

व्यवसाय के अनुसार श्रम बल:
- कृषि: 42.60%
- उद्योग: 25.12%
- सेवाएँ: 32.28%
- **बेरोजगारी**- 7.14% (जनवरी 2023)
- **सकल बचत**- सकल घरेलू उत्पाद का 29.345%

- केंद्रीय बजट 2021-22 में, वित्त विधेयक ने एफपीआई को REITs और InvITs जैसे उभरते निवेश वाहनों के ऋण वित्तपोषण में भाग लेने की अनुमति देने के लिए संशोधन किए। इस कदम का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के लिए फंडिंग बढ़ाना है।
- IFSC प्राधिकरण ने स्थायी वित्त हब के विकास की दिशा में दृष्टिकोण की सिफारिश करने और उसी के लिए रोड मैप प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रुपी, एक व्यक्ति और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया। ई-रुपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है जो लाभार्थी के सेल फोन पर भेजा जाता है। इस एकमुश्त भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के उपयोग के बिना सेवा प्रदाता पर वाउचर को भुना सकेंगे।
- संसद ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के निजीकरण को अनुमति देना है।
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के विकास का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह 17 राज्यों को जोड़ने वाले 11 औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का एक हिस्सा है।
- भारत, अमेरिका, इजराइल तथा यूएई ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच स्थापित किया।
- भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी।
- कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने और तीन वर्षों में सात कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (मित्रा) योजना शुरू की गई।

(2022)

परचेजिंग मैनेजर इंडेक्सः

- 55.3 विनिर्माण (फरवरी 2023)
- 59.4 सेवाएं (फरवरी 2023)

निर्यात- $421.894 बिलियन (FY2021-22)

निर्यात वस्तुएंः

- निर्मित वस्तु 70.8%
- ईंधन और खनन उत्पाद 17.3%
- कृषि उत्पाद 11.5%
- अन्य 0.4%

मुख्य निर्यात भागीदारः

- संयुक्त राज्य अमेरिका
- संयुक्त अरब अमीरात
- चीन
- बांग्लादेश
- नीदरलैंड

आयात - $612.608 बिलियन (FY2021-22)

आयात वस्तुएंः

- कृषि उत्पाद 5.7%
- ईंधन और खनन उत्पाद 36.5%
- निर्माता 49.4%
- अन्य 8.3% (2019)

मुख्य आयात भागीदारः

- चीन
- संयुक्त अरब अमीरात
- सऊदी अरब
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- इराक

सकल बाह्य ऋणः

- $617.1 बिलियन (2022)

विदेशी मुद्रा भंडारः

- $571.948 बिलियन (पांचवां)
- (17 फरवरी 2023 तक)

बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश

सप्तऋषि- केंद्रीय बजट 2023-24 में सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है जो एक दूसरे के पूरक होंगी और अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करने वाले 'सप्तऋषि' के रूप में कार्य करेंगी। जो निम्न हैं:

1. समावेशी विकास।
2. अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना।
3. बुनियादी ढांचा और निवेश।
4. क्षमता को निखारना।
5. हरित विकास।
6. युवा शक्ति।
7. वित्तीय क्षेत्र।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित योजनाएं और पहल

1. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाः

- इसे ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और अंतरसंचालित पब्लिक गुड के तौर पर बनाया जाएगा।
- यह फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान, कृषि इनपुट, ऋण, बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान में सहायक, बाजार की जानकारी, कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास तथा स्टार्ट-अप के लिए समर्थन हेतु किसानों को सक्षम बनायेगा।

2. आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रमः

- इसे 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की

उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जाएगा।

- वर्तमान में, भारत दुनिया में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया का 10% से अधिक फल उत्पादन भारत में होता है।
- भारत में बागवानी क्षेत्र लगभग 320 मिलियन टन उत्पादों का उत्पादन के साथ सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में लगभग 33% का योगदान देता है।

3. कृषि त्वरक निधि:

- इसे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नवीन और किफायती समाधान लाना है।
- यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर देगा।

4. श्री अन्ना:

- बजट 2023-24 में भारत को 'श्री अन्ना' (बाजरा) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है।
- भारत दुनिया में 'श्री अन्ना' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो और चीना जैसे कई प्रकार के 'श्री अन्ना' (मोटे अनाज) शामिल हैं।
- बाजरा के उच्च पोषण लाभ हैं जो कम लागत लागत के साथ शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं।

5. कृषि ऋण एवं सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान:

- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- सरकार ने पीएम मत्स्य संपदा योजना नामक एक नई उप-योजना शुरू की है, जो मछुआरों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने, मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करने तथा बाजार का विस्तार करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश का प्रावधान करती है।
- 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीज) का कम्प्यूटरीकरण और पीएसीज के लिए मॉडल उपनियम तैयार करना ताकि वे बहुउद्देशीय पीएसीज बन सकें।
- सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित पहल

1. व्यय:

- स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र पर व्यय क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और 2.9% तक बढ़ा दिया गया है।

2. सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन:

- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।
- यह मिशन जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा।
- यह एक दीर्घकालीन एकल जीन विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं (आरबीसी) हीमोग्लोबिन की असामान्य कोडिंग के कारण सिकल/ वर्धमान आकार की हो जाती हैं।
- इससे आरबीसी समय से पहले मर जाते हैं जिससे आरबीसी की कमी या एनीमिया हो जाता है।

3. नर्सिंग कॉलेज:

- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

4. शिक्षक प्रशिक्षण:

- नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यचर्या संचालन, सतत व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से इसकी फिर से कल्पना की जाएगी।
- जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को इस उद्देश्य के लिए जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

5. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:

- यह भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा ᵖ बच्चों और किशोरों के लिए डिवाइस एग्नॉस्टिक एक्सेसिबिलिटी होगी।
- पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने तथा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास और अन्य स्रोतों को इन वास्तविक पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं व अंग्रेजी में गैर-पाठ्यचर्या संबंधी शीर्षक प्रदान करने और भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. भारत श्री:

- 'भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन' डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, जो पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण करेगा।

हरित विकास से संबंधित योजनाएं और पहल

1. पीएम-प्रणाम:

- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम-प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

2. मिष्टी योजना:

- वनीकरण में भारत की सफलता के आधार पर, 'मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम', जिसे मिष्टी के नाम से भी जाना जाता है, को समुद्र तट के किनारे और साल्ट पैन भूमि

पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए चलाया जाएगा।

- इसे मनरेगा और कैम्पा फंड के साथ ही अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- दक्षिण एशिया में वैश्विक स्तर के मैंग्रोव के कुछ सबसे व्यापक क्षेत्र उपस्थित हैं।
- भारत में दक्षिण एशिया की मैंग्रोव आबादी का लगभग 3% हिस्सा पाया जाता है।
- भारत में मैंग्रोव के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।

3. गोवर्धन योजनाः

- यह घोषणा की गई है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन (गैल्वेनैजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन) योजना के तहत 500 नए 'कचरे से धन' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- इनमें 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्र और 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल हैं।
- उचित समय में, प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% सीबीजी अधिदेश पेश किया जाएगा तथा बायो-मास के संग्रह और जैव-खाद के वितरण के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4. अमृत धरोहरः

- यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अगले तीन वर्षों में लागू किया जाएगा।

5. भारतीय प्राकृतिक कृषि जैव-इनपुट संसाधन केंद्रः

- यह अगले 3 वर्षों में किसानों को प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो-उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।

6. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशनः

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक देश बनाना है।
- इसका लक्ष्य कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) प्रति वर्ष की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है, साथ ही 2030 तक भारत में लगभग 125 जीडब्लू (गीगावाट) की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना है।

7. अन्य प्रावधानः

- लाइफ अभियान के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने की पहल।
- 4,000 एमडब्लूएच की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा।
- लद्दाख से 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा।
- केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी। पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में राज्यों को भी सहायता दी जाएगी।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पहल

1. पीवीटीजी विकास मिशनः

- इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा।
- यह पीवीटीजी परिवारों तथा आवासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी व स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयः

- अगले तीन वर्षों में, केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
- एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय नवोदय और केन्द्रीय स्कूलों के साथ स्थापित किए गए थे जिनका उद्देश्य देश भर में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था।

3. एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्रामः

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम) की सफलता पर, सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम) लॉन्च किया है, जो आरम्भ में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 ब्लॉकों को कवर करेगा।
- यह एक विकास पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न विकास मानकों पर पीछे चल रहे क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।

4. पीएम आवास योजनाः

- बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना है।
- योजना के दो बुनियादी घटक हैं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा

ध्येयIAS most trusted since 2003 परफेक्ट 7

कार्यान्वित किया जाता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

5. ऊपरी भद्रा परियोजना:

- स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह कर्नाटक के मध्य क्षेत्र में, तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।

अवसंरचना और निवेश से जुड़ी पहल

1. पूंजीगत व्यय:

- पूंजी निवेश परिव्यय में 33.4% की वृद्धि कर इसे 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।

2. शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ):

- इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी के इस्तेमाल के जरिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरडीआईएफ) की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
- इस फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक एजेंसियां टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करेंगी।
- इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाएगा।

3. परिवहन:

- रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए एक सौ महत्त्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।

4. राज्य सरकारों की सहायता:

- बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और पूरक नीतिगत कार्यवाहियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के महत्त्वपूर्ण परिव्यय के साथ राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखा जाएगा।
- राज्यों के लिए जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति है।

5. यूनिटी मॉल:

- भारत के सभी राज्यों के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और हस्तशिल्प के प्रचार तथा बिक्री के लिए इसकी स्थापना की जाएगी।

क्षमता और युवा शक्ति का दोहन करना

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:

- 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत कर दिया गया है।
- विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जनविश्वास विधेयक पेश किया है।

2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र:

- 'ए-आई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- उद्योग जगत की प्रमुख कंपनियां कृषि, स्वास्थ्य, संधारणीय नगर, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करने में भागीदार बनेंगी।

3. 5जी लैब्स:

- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई शृंखला का सृजन किया जा सके।
- प्रयोगशालाएं स्मार्ट क्लासरूम, सटीक कृषि, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों को कवर करेंगी।

4. नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और एंटिटी डिजिलॉकर:

- डेटा गवर्नेंस पॉलिसी स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार तथा अनुसंधान की सुविधा के लिए अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम बनाएगी।
- विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश्यकता हो, दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने तथा साझा करने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एंटिटी डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी।

5. पीएम कौशल विकास योजना 4.0:

- यह अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण के साथ कौशल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।
- यह योजना उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी।
- युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

6. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना:

- यह अगले तीन वर्षों में डीबीटी के माध्यम से 47 लाख युवाओं

को छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करेगी।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पहल

1. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री:

➢ इसे वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में स्थापित किया जाएगा।

➢ यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।

2. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर:

➢ कंपनी अधिनियम के तहत दायर विभिन्न प्रपत्रों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा।

3 महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र:

➢ इसे मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए एकमुश्त छोटी बचत योजना के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

➢ यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।

4. अन्य प्रावधान:

➢ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।

➢ साथ ही, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रस्ताव

1. व्यक्तिगत आय कर:

➢ नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

➢ स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गयी है।

➢ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये और पेंशनभोगियों के लिए 15,000 रुपये की मानक कटौती की गयी है।

➢ 2 करोड़ से ऊपर की आय के लिए उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है।

2. अप्रत्यक्ष कर:

➢ जीएसटी-प्रदत्त संपीड़ित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की गयी है।

➢ टीवी पैनल के ओपन सेल, चिमनी हीट कॉइल, मोबाइल फोन के कुछ हिस्से, एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार, क्रूड ग्लिसरीन, झींगा फीड के घरेलू निर्माण के लिए इनपुट और प्रयोगशाला में बने हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में कमी की गयी है।

➢ सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुओं, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी तथा मिश्रित रबड़ पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गयी है।

➢ निर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में वृद्धि की गयी है।

मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक नजर में

➢ भारत 2023-24 में 6.0 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर सकता है, जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास के प्रक्षेपवक्र पर निर्भर करेगा।

➢ वित्तीय वर्ष 24 में वास्तविक रूप से 6.5% की बेसलाइन जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है।

➢ वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि करने की आशा है।

➢ हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.8% जबकि डब्लूपीआई वित्त वर्ष 23 में 11.5% पर है।

➢ जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.6 प्रतिशत से अधिक रही है।

➢ सकल गैर-निष्पादित अनुपात (जीएनपीए) सात साल के निचले स्तर 5% पर है।

➢ वित्त वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र ने मजबूत वृद्धि (बुनियादी कीमतों पर जीवीए का 9.1%) दर हासिल की है।

➢ सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 में उच्चतम रहा है।

➢ भारत दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा निर्यातक है।

➢ दिसम्बर 2022 तक 563 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और कम बाह्य ऋण अनुपात के मामले में भारत बेहतर स्थिति में है।

- जीडीपी अनुपात में ऋण में मामूली वृद्धि और पिछले 2 वर्षों में राजस्व में निरंतर उछाल आया है।

बजट अनुमान 2023-24

कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) = 27.2 लाख करोड़ रुपये

कुल खर्च = 45 लाख करोड़ रुपए

शुद्ध कर प्राप्तियां = 23.3 लाख करोड़ रुपये

राजकोषीय घाटा = सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%

राजस्व घाटा = सकल घरेलू उत्पाद का 2.9%

प्राथमिक घाटा = सकल घरेलू उत्पाद का 2.3%

प्रभावी राजस्व घाटा = सकल घरेलू उत्पाद का 1.7%

नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते

- भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए दो भारतीय बैंकों (यूको बैंक और इंडसइंड बैंक) में नौ विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने को मंजूरी दी। Sberbank और VTB Bank-रूस के शीर्ष सबसे बड़े बैंक RBI के अनुमोदन से यह सुविधा प्राप्त करने वाले पहले विदेशी बैंक हैं।
- एक नोस्ट्रो अकाउंट को एक बैंक द्वारा जमा किए गए देश की मुद्रा में एक विदेशी बैंक के पास जमा राशि का रिकॉर्ड कहा जाता है। एक वोस्ट्रो खाता वह होता है जिसे एक संवाददाता बैंक द्वारा दूसरे बैंक की ओर से प्रबंधित किया जाता है। यूएस में भारतीय बैंक द्वारा खोला गया खाता भारतीय बैंक के लिए नोस्ट्रो खाता होगा, जबकि अमेरिकी बैंक के लिए खाता वोस्ट्रो खाता माना जाएगा।
- दोनों के बीच अंतर यह है कि इसे दो अलग-अलग बैंकों यानी जमाकर्ता और धारक के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है।

एफसीआरए अधिनियम

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में स्वतंत्र रूप से संचालित कुछ घरेलू और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जो एफसीआरए अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड थे।

एफसीआरए अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

- अधिनियम के तहत विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को पंजीकृत होने, विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने और उस धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है।
- अधिनियम चुनाव के लिए उम्मीदवारों, पत्रकारों अखबारों, मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

लाइसेंस प्राप्त करने का आधार व प्रक्रिया:

- गैर सरकारी संगठन जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- पंजीकरण उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिनके पास कुछ सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हैं।
- एनजीओ द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो आवश्यक जांच करता है।
- आवेदक काल्पनिक या गुमनाम नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को धार्मिक आस्था से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने का दोषी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक पर साम्प्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो।
- आवेदक धन की हेराफेरी का दोषी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को देशद्रोह के प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए।

एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान:

- सरकार किसी भी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, अगर यह पाया जाता है कि यह अधिनियम का उल्लंघन करता है। पंजीकरण को कई कारणों से रद्द किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में लाइसेंस को रद्द करना जनहित में आवश्यक है। एक बार किसी एनजीओ का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद, वह तीन साल के लिए फिर से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता है। सरकार के सभी आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

ई-चालान

- 10 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जल्द ही ई-चालान जारी करने की आवश्यकता होगी।
- ई-चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान में जीएसटी पंजीकृत व्यवसायों की एक विशिष्ट श्रेणी शामिल है जो सत्यापन के लिए सरकार को अपने व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) के मध्य हुए लेनदेन का चालान और क्रेडिट-डेबिट नोट जमा करते हैं।
- ई-चालान में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा हस्ताक्षरित एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) और क्यूआर कोड का विवरण होता है।

व्यापार घाटा

- व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के बीच का अंतर, फरवरी 2023 में 17.43 बिलियन डॉलर था। फरवरी 2023 में भारत का निर्यात 8.8 प्रतिशत घटकर 33.88 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 37.15 बिलियन डॉलर था।
- वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में संचयी व्यापार घाटा एक साल पहले के 42.1 अरब डॉलर से दोगुना होकर 100 अरब डॉलर से अधिक होकर पिछले साल जुलाई से तीन गुना बढ़ गया।
- व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन (बीओटी) निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। जब आयात पर खर्च किया गया धन किसी देश में निर्यात से अर्जित धन से अधिक हो जाता है, तो

व्यापार घाटा होता है।

भुगतान संतुलन (बीओपी):

- किसी देश के बीओपी को एक विशिष्ट अवधि के दौरान, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान शेष विश्व के साथ देश के सभी आर्थिक लेनदेन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- BoP खातों को तैयार करने के लिए, एक देश और बाकी दुनिया के बीच आर्थिक लेनदेन को चालू खाता, पूंजी खाता, त्रुटियों और चूक के तहत समूहीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

चालू खाता:

- यह दृश्यमान (व्यापारिक वस्तुएं) और अदृश्य (सेवाएं, स्थानान्तरण तथा आय) के निर्यात-आयात को दर्शाता है।

पूंजी खाता:

- यह एक देश के लिए पूंजीगत व्यय और आय दिखाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजी खाते का एक हिस्सा हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार:

- विदेशी मुद्रा भंडार के चार घटक विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति हैं।
- कुल मिलाकर भुगतान संतुलन खाता अधिशेष या घाटा हो सकता है। अगर घाटा हो तो फॉरेन एक्सचेंज (फॉरेक्स) खाते से पैसा लेकर उसकी पूर्ति की जा सकती है। यदि विदेशी मुद्रा खाते में भंडार कम हो रहा है तो इस परिदृश्य को भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है।

जुड़वां घाटे की समस्या:

- चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा स्थिति को एक साथ जुड़वाँ घाटे के रूप में जाना जाता है तथा दोनों अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, अर्थात एक उच्च राजकोषीय घाटा उच्च सीएडी की ओर जाता है।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी:

- इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार उच्च रहता है और फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है।

मौद्रिक नीति के उपकरण

- **रेपो दर:** वह ब्याज दर, जिस पर रिजर्व बैंक सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक (Collateral) पर सभी एलएएफ प्रतिभागियों को तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत तरलता प्रदान करता है।
- **स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर:** वह दर, जिस पर रिजर्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से ओवरनाइट आधार पर गैर-जमानती जमाराशियां स्वीकार करता है। तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता साधन भी है। एसडीएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा गया है। अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत के साथ, एसडीएफ दर ने एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में नियत रिवर्स रेपो दर का स्थान लिया।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर:** वह दंडात्मक दर, जिस पर बैंक एक पूर्वनिर्धारित सीमा (2 प्रतिशत) तक अपने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग कर रिजर्व बैंक से ओवरनाइट आधार पर उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटकों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। एमएसएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है।
- **तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ):** एलएएफ रिजर्व बैंक के परिचालन को दर्शाता है जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में/से तरलता को इंजेक्ट/अवशोषित करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ-साथ टर्म रेपो/रिवर्स रेपो (नियत और साथ ही परिवर्तनीय दर), एसडीएफ और एमएसएफ शामिल हैं। एलएएफ के अलावा, तरलता प्रबंधन की लिखतों में एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शामिल हैं।
- **एलएएफ कॉरिडोर:** एलएएफ कॉरिडोर में ऊपरी सीमा (सीलिंग) के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और निचली सीमा (फ्लोर) के रूप में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर है, जिसमें कॉरिडोर के बीच में नीतिगत रेपो दर है।
- **मुख्य तरलता प्रबंधन साधन:** परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय मीयादी(Term) रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी परिचालन के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखने की अवधि के साथ मेल खाए। यह फ्रिक्शनल तरलता संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए मुख्य तरलता प्रबंधन साधन है।
- **फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन्स:** आरक्षित निधि को बनाए रखने की अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित तरलता परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्य तरलता परिचालन को फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों, ओवरनाइट या दीर्घ परिपक्वता काल द्वारा समर्थित होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक, यदि आवश्यक हो तो 14 दिनों से अधिक की दीर्घावधि परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी करता है।
- **रिवर्स रेपो दर:** वह ब्याज दर, जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। एसडीएफ की शुरुआत के बाद, नियत दर रिवर्स रेपो परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आरबीआई के विवेक पर होगा।
- **बैंक दर:** वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य

वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार है। बैंक दर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है जो बैंकों द्वारा उनकी आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात) को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में उन पर लगाई जाती है। बैंक दर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा-49 के तहत प्रकाशित की जाती है। इस दर को एमएसएफ दर के अनुरूप किया गया है और, जब एमएसएफ दर नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन के साथ बदलती है तो वह स्वचालित रूप से बदल जाती है।

- **आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर):** वह औसत दैनिक शेष जो बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में सूचित किया जाता है।
- **सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर):** प्रत्येक बैंक भारत में एसेट (Assets) को बनाए रखेगा, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि रिजर्व बैंक, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी एसेट्स को बनाए रखा जाएगा जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है जो आमतौर पर भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण में होता है।
- **खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ):** इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बाजार में डिजिटल रुपये की शुरुआत की।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में:

- CBDC कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदा है। यह फिएट (Fiat) करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ विनिमेय है। ब्लॉक चेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट करेंसी या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
- हालांकि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी। यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं हैं।

वैश्विक परिदृश्य:

- बहामास देश भर में सीबीडीसी सैंड डॉलर लॉन्च करने वाला पहला देश है।
- चीन अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा ई-सीएनवाई संचालित करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

विंडफॉल टैक्स

- विंडफॉल टैक्स को कभी-कभी अभूतपूर्व घटनाओं से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ऊर्जा कीमतों में वृद्धि।
- युनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में एक अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ के रूप में परिभाषित करता है।
- सरकारें आम तौर पर इस तरह के मुनाफे पर टैक्स की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एक बार का टैक्स लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।

व्यक्तियों पर विंडफॉल टैक्स:

- विंडफॉल टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जा सकता है जो उपहार, विरासत, गेम शो, जुआ या लॉटरी जीत के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण राशि प्राप्त करके अचानक समृद्ध हो जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)

- एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है जो नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है।
- ई-बीजी पेपर-आधारित समय लेने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो अक्सर बैंक से भौतिक पिकअप, लाभार्थी को कूरियर की डिलीवरी, मुद्रांकन और सत्यापन की आवश्यकता के कारण पूरा होने में 3 से 5 दिन लगते हैं।
- E-BG लाभार्थी को NeSL पोर्टल पर तुरंत बैंक गारंटी देखने में सक्षम बनाते हुए दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाता है।
- एपीआई आधारित डिजिटल वर्कफ्लो के जरिए एनईएसएल पोर्टल पर ई-बीजी जारी किया जाता है।
- समग्र बैंक गारंटी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है, जो बैंक गारंटी के लिए प्रमुख आवेदक हैं।
- ई-बीजी को एनईएसएल, सीवीसी-सीबीआई समिति और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के परामर्श से विकसित किया गया था।

बैंक गारंटी का अर्थ:

- बैंक गारंटी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान जोखिम उठाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से किया गया वादा है।
- बैंक और उसके ग्राहकों के बीच एक संविदात्मक दायित्व पर बैंक गारंटी दी जाती है। तीसरे पक्ष को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की गारंटियों का व्यापार और व्यक्तिगत लेनदेन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यह गारंटी एक कंपनी को उन चीजों को खरीदने में मदद करती है जो वह आमतौर पर नहीं कर पाती, इस प्रकार व्यवसायों को बढ़ने

और उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

बैंक गारंटी के उपयोग:

- जब बड़ी कंपनियां छोटे विक्रेताओं से खरीददारी करती हैं, तो उन्हें आम तौर पर विक्रेताओं को इस तरह के व्यावसायिक अवसर प्रदान करने से पहले, बैंकों से गारंटी प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- इसे मुख्य रूप से क्रेडिट आधार पर माल की खरीद और बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जहां विक्रेता को खरीददार द्वारा डिफॉल्ट के मामले में बैंक से भुगतान का आश्वासन दिया जाता है।
- यह व्यक्तियों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करने में मदद करता है, जो बदले में उन्हें ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और व्यावसायिक गतिविधियों में भी सहायता करता है।

लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC):

- एलओसी एक वित्तीय दस्तावेज है जो आवेदक द्वारा आवश्यक कुछ सेवाओं के पूरा होने पर लाभार्थी को भुगतान करने के लिए बैंक पर दायित्व डालता है। एलओसी बैंक द्वारा तब जारी किया जाता है जब खरीददार अपने बैंक से कुछ वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति पर विक्रेता को भुगतान करने का अनुरोध करता है।

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल):

- NeSL भारत की पहली सूचना उपयोगिता है जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तत्वावधान में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के साथ पंजीकृत है। कंपनी प्रमुख बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा स्थापित की गई है। एनईएसएल की प्राथमिक भूमिका किसी भी ऋण/दावे से संबंधित जानकारी वाले कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में कार्य करना है।

राष्ट्रीय रसद नीति

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया। नीति के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) को एक एकीकृत पोर्टल के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें वास्तविक समय के आधार पर माल के स्थान के बारे में जानकारी काफी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

नीति का विजन:

- नीति का विजन त्वरित और समावेशी विकास के लिए देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय रसद (Logistics) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- नीति 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के बराबर होने के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का प्रयास करती है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का प्रयास करती है, और एक कुशल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाती है।
- इस नीति को एक व्यापक रसद कार्य योजना (सीएलएपी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। CLAP के तहत प्रस्तावित हस्तक्षेपों को आठ प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-
- भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और बेंचमार्किंग सेवा गुणवत्ता मानक।
- रसद मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण।
- राज्य सहयोग।
- एक्जिम (निर्यात-आयात) रसद।
- सेवा सुधार ढांचा।
- कुशल रसद के लिए क्षेत्रीय योजना।
- लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास की सुविधा।

रसद लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गयी पहलें:

- **कृषि उड़ान-** 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से देश के उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित रसद सुनिश्चित करना है।
- **भारतमाला-** 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना जिसका उद्देश्य भारत के रसद बुनियादी ढांचे को बदलना है।
- **सागरमाला-** मार्च 2015 में शुरू की गई, यह परियोजना बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देने, बंदरगाहों से जल्दी, कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से वस्तुओं का परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा का निर्माण करना।
- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन-** देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2020-2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ (यूएस $1.5 ट्रिलियन) के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश के साथ लॉन्च किया गया।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान-** विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया।
- **ई-संचित-** पूरी खेप (Consignment) निकासी प्रक्रिया को पेपरलेस और फेसलेस बनाता है।
- **ई-वे बिल सिस्टम-** 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया जो उद्योग को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जैसे कि इंट्रा-और इंटर-स्टेट वस्तुओं की तेज और अधिक निर्बाध आवाजाही।
- **FASTag-** टोल शुल्क की स्वत: कटौती को सक्षम बनाता है जो आपको किसी भी प्रकार के नकद लेनदेन की प्रतीक्षा किए बिना गुजरने की अनुमति देता है।
- **GST-** 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च किया गया। वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है तथा उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान

- चीनी उत्पादन में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है।
- भारत वर्तमान में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ-साथ

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

- भारत दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है।

चीनी उद्योग:

- चीनी उद्योग लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कृषि-आधारित उद्योग है।

भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य:

- उत्तर प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. कर्नाटक।

भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य:

- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश

भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण:

- भारत में उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।
- उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित राज्य सलाहकार मूल्य, केंद्र सरकार के उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक होता है।
- 05 अक्टूबर, 2012 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रंगराजन समिति द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की गई थी।
- वर्तमान में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार पूर्व अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष बेन एस. बर्नानके और दो अन्य शिक्षाविदों डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डायबविग को बैंकों और वित्तीय संकटों पर उनके शोध के लिए दिया गया था।

शोध के बारे में:

- बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविग को बैंकों, बैंक विनियमन, बैंकिंग संकट और वित्तीय संकटों को कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए? ऐसे विषयों में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

बेन बर्नानके का योगदान:

- उन्होंने 1930 के दशक की महामंदी, आधुनिक इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का विश्लेषण किया।
- उन्होंने साबित किया कि बैंक रन के संकट के कारण होने वाली आर्थिक मंदी कैसे लंबी चली?
- ऐतिहासिक स्रोतों और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हुए, बर्नानके के विश्लेषण से पता चला कि जीडीपी में गिरावट के लिए कौन से कारक महत्त्वपूर्ण थे? उन्होंने उन कारकों को पाया जो सीधे विफल बैंकों से जुड़े थे, मंदी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे।

डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डाइबविग का योगदान:

- उन्होंने सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए जो बताते हैं कि बैंक क्यों मौजूद हैं? समाज में उनकी भूमिका उन्हें उनके आसन्न पतन के बारे में अफवाहों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा के रूप में बैंक की भेद्यता का समाधान प्रस्तुत किया। जब जमाकर्ताओं को पता चलता है कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो जैसे ही बैंक चलाने के बारे में अफवाहें शुरू होती हैं, उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि वे सरकार पर भरोसा करते हैं।

भारत में कार्ड टोकनाइजेशन

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो गए हैं। इनमें कार्ड का टोकनाइजेशन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की लिखित अनुमति और ब्याज गणना पर अधिक स्पष्टता शामिल है।
- आरबीआई ने सभी व्यापारियों को 30 सितंबर, 2022 तक ग्राहकों के डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड डेटा को हटाने और ऑनलाइन लेनदेन के लिए टोकन के साथ इसे बदलने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन करने में विफल होने पर व्यावसायिक प्रतिबंधों सहित दंडात्मक कार्यवाही को आमंत्रित किया जा सकता है।

कार्ड के टोकनाइजेशन के बारे में:

- ऑनलाइन लेनदेन के दौरान डेबिट और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे 16 अंकों का कार्ड नंबर, नाम, समाप्ति तिथि और सीवीवी की आवश्यकता होती है। ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य में लेनदेन को आसानी से पूरा करने के लिए कार्ड डेटा को बचाने का विकल्प भी प्रदान करते हैं। इस डेटा को कार्ड ऑन फाइल के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, यह संवेदनशील विवरण को साइबर-हमले द्वारा समझौता किए जाने के जोखिम में डालता है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आरबीआई कार्ड टोकनाइजेशन को अपनाया है।
- टोकनाइजेशन का अर्थ वास्तविक कार्ड विवरण को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलना है जिसे टोकन कहा जाता है। कार्ड धारक टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐप पर एक अनुरोध शुरू करके कार्ड का टोकन प्राप्त कर सकता है। टोकन अनुरोधकर्ता कार्ड नेटवर्क को अनुरोध अग्रेषित करेगा, जो कार्ड जारीकर्ता की सहमति से कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के अनुरूप टोकन जारी करेगा।

टोकनाइजेशन की सुविधा:

- इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- संपर्क रहित कार्ड लेनदेन, क्यूआर कोड और ऐप के माध्यम से भुगतान जैसे सभी उपयोग के मामलों के लिए मोबाइल फोन तथा टैबलेट के माध्यम से टोकन की अनुमति दी गई है।

- कार्ड का टोकनाइजेशन उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है।
- ग्राहकों के पास किसी विशेष उपयोग के मामले में अपने कार्ड को पंजीकृत / डी-रजिस्टर करने का विकल्प होता है, यानी संपर्क रहित, क्यूआर कोड आधारित, इन-ऐप भुगतान आदि।
- एक टोकन अनुरोध के लिए पंजीकरण केवल प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के माध्यम से स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ किया जाता है।

प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि

- कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर सहित सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 24 प्रतिशत बढ़कर 8.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- इसमें व्यक्तिगत आयकर में 32.3 प्रतिशत (प्रतिभूति लेनदेन कर सहित) की वृद्धि और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कॉर्पोरेट कर राजस्व में 16.73 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

प्रत्यक्ष कर:

- प्रत्यक्ष कर का भुगतान उस व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जो कर लगाने वाली इकाई को कर का भुगतान करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है।
- एक व्यक्तिगत करदाता, उदाहरण के लिए, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या संपत्ति पर कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष करों का भुगतान करता है।
- प्रत्यक्ष कर एक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं जो बताता है कि जिनके पास अधिक संसाधन हैं या अधिक आय अर्जित करते हैं उन्हें अधिक कर का बोझ उठाना चाहिए।

कराधान में होने वाली तीव्रवृद्धि (Tax buoyancy):

- कर उछाल सरकारी कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच इस संबंध की व्याख्या करता है।
- यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
- जब कोई कर उत्प्लावक (Buoyant) होता है, तो कर की दर बढ़ाए बिना उसका राजस्व बढ़ जाता है।
- सरकारी कर राजस्व आय और आर्थिक विकास के बीच एक मजबूत संबंध है।
- साधारण तथ्य यह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती है, सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है।

कर लोच (Tax elasticity):

- यह कर की दर में बदलाव के जवाब में कर राजस्व में बदलाव को संदर्भित करता है।
- उदाहरण के लिए, यदि सरकार कॉर्पोरेट आय कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर देती है, तो कर राजस्व में परिवर्तन कैसे कर लोच को दर्शाता है?

भारत का पण्य (Merchandise) निर्यात

- अप्रैल-सितंबर 2022-23 में भारत का व्यापारिक निर्यात अप्रैल-सितंबर 2021-22 में 198.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 15.54% की वृद्धि के साथ 229.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अप्रैल-सितंबर 2022-23 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषणों का निर्यात 158.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-सितंबर 2021-22 की तुलना में 5.53% अधिक है।
- सितंबर 2022 में व्यापार घाटा 26.72 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो अगस्त 2022 में 28.68 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटे में सुधार है।
- रुपये के लिहाज से शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात (सितंबर 2021- सितंबर 2022):
  1. इंजीनियरिंग सामान।
  2. पेट्रोलियम उत्पाद।
  3. रत्न और आभूषण।
  4. कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन।
  5. दवा और फार्मास्यूटिकल्स।
  6. इलेक्ट्रॉनिक सामान।
  7. सभी वस्त्रों का आरएमजी।
  8. सूती धागे, फैब, मेडीअप, हथकरघा उत्पाद।
  9. चावल।
  10. प्लास्टिक और लिनोलियम (Linoleum)

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:

- निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात को सक्षम करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट (आरओडीटीईपी) योजना को निर्यात के लिए 01.01.2021 से लागू किया गया है।
- मार्च 2024 तक परिधान और मेड-अप निर्यात के लिए राज्य तथा केंद्रीय लेवी और करों (RoSCTL) योजना की छूट का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
- निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन, विपणन सहायता (टीएमए) योजना कृषि उत्पादों के माल ढुलाई, विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक और निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है।
- निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के उपयोग को बढ़ाने हेतु मूल प्रमाण पत्र (CoO) के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- अप्रैल 2022 में, भारत तथा यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने पर सहमति व्यक्त की तथा 2023 तक एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई।
- अप्रैल 2022 तक, भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें

भारत-यूएई व्यापक भागीदारी समझौता (सीईपीए), भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) जैसे प्रमुख व्यापार समझौते शामिल हैं।

SIDBI-D&B SPeX, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने SIDBI-D-B सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स (SIDBI-D&B SPeX) लॉन्च किया है। सूचकांक को आने वाले वर्षों में अपनी व्यावसायिक रणनीति में एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) ढांचे को अपनाने की दिशा में व्यवसायों को प्रेरित करने के लिए नीति निर्माताओं और समर्थकों के लिए एक मात्रात्मक माप के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचकांक की मुख्य विशेषता:

- यह विभिन्न व्यावसायिक मापदंडों पर व्यवसायों की भावनाओं को सम्मिलित करता है, जिसका ईएसजी ढांचे को अपनाने पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से विश्लेषण करता है।
- इंडेक्स को बाद में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय धारणाओं या आकांक्षाओं के साथ-साथ अपने ईएसजी में सुधार के लिए व्यवसायों की तैयारियों को शामिल करके विस्तारित किया जाएगा।
- सर्वेक्षण में पिछली तिमाही के साथ-साथ आगामी तिमाही के दृष्टिकोण के बारे में विचार शामिल होंगे। यह 6 महीने की अवधि में बदलती भावनाओं का आंकलन करने में सक्षम बनाता है।
- सर्वेक्षण एमएसएमई के डीएंडबी/सिडबी डेटाबेस से प्रत्येक तिमाही में 250 से अधिक एमएसएमई की भावनाओं और जागरूकता को कवर करेगा।
- यह एमएसएमई के पर्यावरण प्रथाओं पर विनियमों तथा सरकारी नीतियों की भूमिका और परिणामों का आकलन करने में मदद करेगा जो इस तरह के अभ्यास क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता में बाधा डाल रहे हैं।
- इसमें समुदाय, विविधता, समान अवसर और प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक पहलुओं की भूमिका और प्रभाव को भी शामिल किया जाएगा।
- यह एमएसएमई क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर डेटा भी एकत्र करेगा।
- यह मूल्य शृंखला में स्थिर प्रथाओं के कार्यान्वयन का विश्लेषण करेगा और विभिन्न संगठनों में आंतरिक चालकों के प्रभाव का आंकलन करेगा।
- सूचकांक निवेशकों के अनुभव में सुधार करेगा, सभी हितधारकों के लिए मूल्य प्रदान करने वाले स्थायी व्यवसायों और व्यावसायिक प्रथाओं के लिए बेंचमार्क बनाएगा।
- इसका अंतिम उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों को स्थायी पूंजी तथा निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

- एआईआईबी की सातवीं वार्षिक बैठक की मेजबानी एआईआईबी ने वस्तुत: 26-27 अक्टूबर, 2022 को की थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने घोषणा की कि इसकी आठवीं वार्षिक बैठक शर्म अल-शेख (मिस्र) में 25-26 सितंबर, 2023 को आयोजित की जाएगी।

थीम:

- एआईआईबी की 2022 की वार्षिक बैठक का विषय था 'कनेक्टेड वर्ल्ड की ओर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर', जिसका उद्देश्य रिकवरी, ग्रोथ और कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्त्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करना है।

एआईआईबी के बारे में:

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जनवरी 2016 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। बैंक में वर्तमान में 106 सदस्य हैं। 25 दिसंबर 2015 को समझौते के लागू होने के बाद बैंक ने परिचालन शुरू किया, और 10 सदस्य राज्यों से प्राधिकृत पूंजी स्टॉक की प्रारंभिक सदस्यता के 50% की कुल संख्या रखने वाले अनुसमर्थन प्राप्त हुए। बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है।

शासन निकाय:

- बैंक की शासन संरचना शीर्ष-स्तरीय और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से बनी है। बोर्ड में बैंक के प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए 1 गवर्नर होता है और सैद्धांतिक रूप से वर्ष में एक बार मिलता है। निदेशक मंडल, 12 गवर्नर्स से बना है, प्रत्येक एक या एक से अधिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसे सौंपे गए दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें से नौ सदस्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं और तीन सदस्य क्षेत्र के बाहर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधि नियम, 1999 विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों को निर्धारित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार के संचालन में अधिकृत डीलरों से खरीद कर विदेशी मुद्रा भंडार जमा करता है। एक बार जब वैश्विक ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रुपये की अस्थिरता के खिलाफ एक कुशन के रूप में कार्य करता है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में चार श्रेणियां शामिल हैं:

- » विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक है।
- » सोना।
- » विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)
- » आरक्षित किश्त (Tranche) की स्थिति

- एफसीए में बदलाव मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा

की खरीद और बिक्री में बदलाव, विदेशी मुद्रा भंडार की तैनाती से आय, केंद्र सरकार से बाहरी सहायता प्राप्तियों तथा संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण है।

भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क

- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी है जिसे पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जुटाया जाएगा।

ग्रीन बॉन्ड:

- ग्रीन बांड वित्तीय साधन हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवनों में निवेश के लिए धन उत्पन्न करते हैं।
- ये कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- नियमित बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड में पूंजी की अपेक्षाकृत कम लागत होती है।
- भारत में पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया था।

भारत का बढ़ता क्रेडिट इकोसिस्टम

- RBI के आंकड़ों के अनुसार, गैर-खाद्य बैंक ऋण ने सितंबर 2022 में 16.9% की वृद्धि दर्ज की। FY22 के अंत में, भारत में कुल क्रेडिट बाजार 174.3 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें 11.1% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई थी। खुदरा ऋण और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्ड का बढ़ता उपयोग इस वृद्धि को चलाने वाले मुख्य कारक हैं।

विभिन्न प्रकार की क्रेडिट प्रणाली:

क्रेडिट कार्ड:

- भारत परंपरागत रूप से हमेशा एक डेबिट कार्ड बाजार रहा है। पिछले दस वर्षों में, क्रेडिट कार्ड जारी करने में वृद्धि ने जबरदस्त उछाल दिखाया है और क्रेडिट कार्ड अब व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
- बोर्डिंग प्रक्रियाओं पर सरलीकृत नवाचार, अद्वितीय कार्ड उत्पाद, व्यक्तिगत ऑफर और पुरस्कार, बेहतर मोबाइल ऐप मौजूदा ग्राहकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुए हैं जिसने कई नए लोगों को आकर्षित किया है।
- वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 22 के बीच 19.8% के सीएजीआर से बढ़ते हुए, पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड जारी करने में काफी वृद्धि हुई है।
- FY21 और FY22 के कोविड-19 प्रतिबंधित वर्षों के दौरान भी, क्रेडिट कार्ड जारी करने में क्रमशः 7.46% और 18.66% की दर से वृद्धि हुई।

अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल):

- ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के उद्भव और फिनटेक कंपनियों के तेजी से विकास के कारण बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) भारत में एक तेजी से बढ़ता हुआ उधार प्रौद्योगिकी क्षेत्र है।
- पिछले कुछ वर्षों में, बीएनपीएल सीधे भुगतान के तरीके से कहीं अधिक बढ़ गया है। मुफ्त ईएमआई प्रदान करके, यह अनिवार्य रूप से उधारकर्ताओं के वित्तीय तनाव को कम करता है।
- बीएनपीएल विशेष रूप से जेनजेड (GenZ) उपभोक्ताओं, युवा मिलेनियल्स और पहली बार कर्ज लेने वालों के बीच लोकप्रिय रहा है, जिन्हें आमतौर पर पारंपरिक बैंकों द्वारा अनदेखा या कम करके आंका जाता है।

बीएनपीएल की कुछ विशेषताएं हैं:

- औसत लेनदेन सीमा 1,500-25,000 रुपये के बीच है।
- चुकौती चक्र 15-45 दिनों के बीच होता है।
- नियमित क्रेडिट कार्डों के विपरीत, बीएनपीएल उन लोगों के लिए कम लागत, अल्पकालिक वित्तपोषण का एकमात्र रूप है, जिनके पास पहले कभी क्रेडिट नहीं था।

उपभोक्ता टिकाऊ ऋण:

- बढ़ती शहरी आबादी, बढ़ती उपभोग आय और कम ब्याज वाले ऋण की उपलब्धता के कारण, क्रेडिट ईएमआई, जिसे उपभोक्ता टिकाऊ ऋण के रूप में भी जाना जाता है, औपचारिक ऋण की एक अन्य श्रेणी है जो तीव्र गति से बढ़ रही है।
- उपभोक्ता टिकाऊ ऋणों का मूल्य 21% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

उपभोक्ता टिकाऊ ऋण की मुख्य विशेषताएं:

- अधिकांश ऋणदाता तत्काल स्वीकृति और न्यूनतम दस्तावेज आवश्यकताओं की पेशकश करते हैं, जबकि केवाईसी प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है।
- कुछ मामलों में कम प्रोसेसिंग लागत, उचित ब्याज दर और नो-कॉस्ट ईएमआई उपलब्ध हैं।
- अधिकांश ऋणदाता को डाउन पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होती है।
- ऋण अवधि 3-60 महीने तक होती है।

जीएसटी मुआवजा

- केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून, 2022 की अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मुआवजा उपकर कोष से 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी किया।

मुआवजा उपकर के बारे में:

- राज्यों को 2022 को समाप्त होने वाले पहले पांच वर्षों के लिए 14% वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे किसी भी राजस्व की कमी के लिए मुआवजे की गारंटी दी जाती है। केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाता है। मुआवजा उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।

- विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करने वाले और जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर, सभी करदाता केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा उपकर जमा करने और भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

वस्तु एवं सेवा कर:

- GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
- जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को कम कर दिया है।
- यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम खपत बिंदु पर लगाया जाता है।
- इसने दोहरे कराधान, करों के प्रपाती प्रभाव (Cascading effect) करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है, और एक आम राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया है।
- GST जो एक व्यापारी वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिए भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू कर के खिलाफ सेट किया जा सकता है।
- जीएसटी कैस्केडिंग प्रभाव या कर पर कर से बचाता है जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक

- अक्टूबर 2021 के सूचकांक की तुलना में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर 2022 में 0.1 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा है।

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI) क्या है?

- यह चयनित आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल है।
- रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के बाद सबसे अधिक भार है। उर्वरक क्षेत्र का भारांक सबसे कम है।
- आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के वजन का 40.27 प्रतिशत शामिल है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी):

- आईआईपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- यह सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- आधार वर्ष: 2011-12

आठ प्रमुख उद्योग:

1. कोयला- (भारांक: 10.33 %)
2. कच्चा तेल- (भारांक: 8.98%)
3. प्राकृतिक गैस- (भारांक: 6.88 %)
4. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद- (भारांक: 28.04 %)
5. उर्वरक- (भारांक: 2.63 %)
6. स्टील- (भारांक: 17.92 %)
7. सीमेंट- (भारांक: 5.3 %)
8. बिजली- (भारांक: 19.85 %)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीएस)

- सरकार ने आरआरबी के लिए वित्तीय और परिचालन सुधारों की समीक्षा की है। सुधार का उद्देश्य आरआरबी को वित्तीय रूप से टिकाऊ, अधिक डिजीटल और उनके क्रेडिट आधार को बढ़ाना है, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए।

आरआरबी के बारे में:

- इसका गठन ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए आरआरबी अधिनियम 1976 (नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप (1975) द्वारा अनुशंसित) के तहत किया गया था।
- **स्वामित्व:** केंद्र सरकार (50%), संबंधित राज्य सरकार (15%) तथा प्रायोजक बैंक (35%)
- यह वाणिज्यिक बैंक के समान स्तर पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (75%) का पालन करता है।
- आरआरबी को कम से कम 9% (वाणिज्यिक बैंकों के बराबर) का सीआरएआर (पूंजी-जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात) बनाए रखना है।

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SIFS)

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण और व्यावसायीकरण के लिए इनक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप (DPIIT द्वारा चुने गए) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में इस योजना की शुरुआत की।
- **योग्यता:** डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्टार्टअप, आवेदन के समय 2 साल से अधिक समय पहले शामिल नहीं हुआ था। किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख की मौद्रिक सहायता।

'ब्लू बॉन्ड'

- सेबी ने स्थायी वित्त के लिए ब्लू बॉन्ड का प्रस्ताव दिया है।

ब्लू बांड के बारे में:

- यह स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का समर्थन करने के लिए एक ऋण साधन होगा अर्थात आर्थिक विकास के लिए महासागर संसाधनों का उपयोग समुद्री संसाधनों का सतत दोहन, मछली पकड़ना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

इक्वलाइजेशन लेवी

- इक्वलाइजेशन लेवी एक प्रत्यक्ष कर (6%) है, जिसे 2016 में भारत में विदेशी फर्मों (जैसे Google, और फेसबुक) पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था, जो अब भारत में स्थायी प्रतिष्ठान हैं, जिससे लाभ होता है। वित्त अधिनियम 2020 में इसकी फिर से पुष्टि की गई और 2% (डिजिटल सेवा कर) की एक नई लेवी द्वारा अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (जैसे अमेजॅन) को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

बेरोजगारी

- बेरोजगारी दर कुल श्रम बल का वह प्रतिशत है जो बेरोजगार हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं।
- **एलएफपीआर:** श्रम बल भागीदारी दर कार्य-आयु जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में श्रम बल में व्यक्तियों की संख्या है।
- श्रम शक्ति नियोजित व्यक्तियों की संख्या और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का योग है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना

- भारत सरकार ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना शुरू की है।
- इस योजना के तहत पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूंजीगत निवेश संपत्ति प्राप्त करने पर खर्च किया गया धन है जबकि राजस्व व्यय वेतन और पेंशन जैसे दैनिक परिचालन व्यय को इंगित करता है।

पीई/वीसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए समिति

- वित्त मंत्रालय ने उद्यम पूंजी (वीसी) और निजी इक्विटी (पीई) द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए पूर्व सेबी प्रमुख एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
- निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, जिससे सबसे बड़े स्टार्ट-अप और ग्रोथ इकोसिस्टम में से एक को सुविधा मिली।
- निजी इक्विटी एक वैकल्पिक निवेश वर्ग है जो निजी कंपनियों में निवेश या अधिग्रहण करता है जो सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- वेंचर कैपिटल (VC) निजी इक्विटी का एक रूप है और एक प्रकार का वित्तपोषण है जो निवेशक स्टार्टअप कंपनियों तथा छोटे व्यवसायों को प्रदान करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें दीर्घकालिक विकास क्षमता है।

एक राष्ट्र एक लोकपाल

- इसे 2021 में बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सेवा की कमियों को दूर करने के लिए एक एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लॉन्च किया गया था। यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनायेगा।

ईज रिफॉर्म्स

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रदर्शन (PSB) की वित्त मंत्रालय द्वारा EASE Next सुधारों (वर्तमान में Ease 5.0) (जून 2022 में लॉन्च) के तहत समीक्षा की गई है।
- **नोडल एजेंसी:** इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA)

ईज रिफॉर्म्स के बारे में:

- EASE (एनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग के लिए PSB के लिए एक सुधार एजेंडा है।
- सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया।
- **ईज 1.0:** एनपीए का समाधान
- **ईज 2.0:** जिम्मेदार बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और डिजिटलाइजेशन
- **ईज 3.0:** डायल-ए-लोन, क्रेडिट/क्लिक, पीएसबीलोन59 मिनट. कॉम
- **ईज 4.0:** 24X7 बैंकिंग, नॉर्थ-ईस्ट, बैड बैंकों पर फोकस

महारत्न कंपनी की स्थिति

- बिजली क्षेत्र पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।
- भारत में पीएसयू को भी उनके विशेष गैर-वित्तीय उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) की धारा 8 के तहत पंजीकृत हैं।

पात्रता मापदंड:

- नवरत्न का दर्जा होना चाहिए।
- सिक्योरिटीज ए के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ।
- 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार।
- 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड रुपये की औसत वार्षिक निवल संपत्ति।
- वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

निवेश के लिए लाभ:

- महारत्न कंपनी 1,000 करोड़- 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। किसी परियोजना में अपने निवल मूल्य के 15% तक के निवेश पर निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. *'मिशन अमृत सरोवर'* के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के प्रत्येक जिले में 80 जल निकायों को बनाने की योजना है।
2. इस मिशन के तहत 1 लाख जल निकाय स्वीकृत हैं।
3. इस मिशन का तकनीकी भागीदार भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान है।
4. इस मिशन की शुरुआत गृहमंत्री द्वारा की गयी थी।
5. यह मिशन 15 अगस्त, 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2, 3 और 5 (b) 3 और 5
(c) 3, 4 और 5 (d) 1, 4 और 5

2. 'खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जनरल फूड्स कॉरपोरेशन द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी।
2. इसकी पात्रता प्रजाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. 'अटल इनोवेशन मिशन' के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	पहल		उद्देश्य
1.	अटल इनक्यूबेशन सेंटर	:	स्टार्टअप को बढ़ावा देना
2.	अटल कम्युनिटी इनोवेशन	:	समुदाय केन्द्रित नवाचार को बढ़ावा देना
3.	अटल न्यू इंडिया चैलेंज	:	उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले जलवायुविक परिवर्तनों का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है।
2. भारत वर्ष 2015 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक सदस्य देश है।
3. विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के आधार पर वर्ष 2050 तक आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पूरी तरह पिघल जायेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

5. *हाइपरसोनिक तकनीक* के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह पांचवी पीढ़ी की मिसाइल तकनीक है।
2. हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना भारत की प्राथमिकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. 'सैगेटेरियस A' क्या है?

(a) एक नवीन परमाणु रिएक्टर
(b) एक नवीन आकाश गंगा
(c) एक नवीन ब्लैक होल
(d) एक नवीन रोबोटिक मशीन

7. एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के उपयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में।
2. एनीमिया के इलाज में।
3. प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. 'थैलेसीमिया रोग' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लाल रक्त कणिकाओं के संकेंद्रण में कमी हो जाती है।
2. हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है।
3. जीन में अधिक उत्परिवर्तन होने लगता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. 'हाइपरलूप प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रेल मंत्रालय IIT कानपुर में हाइपरलूप तकनीकी का उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा।
2. हाइपरलूप एक परिवहन तकनीक है।
3. 'आविष्कार हाइपरलूप' IIT दिल्ली की एक टीम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. मंकीपॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक जीवाणु जनित जूनोटिक रोग है।
2. इसमें सार्स-कोव-2 (SARS-Cov-2) की तुलना में म्यूटेशन की स्थिति कम होती है।
3. इसके खिलाफ कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है।
4. यौन संपर्क के माध्यम से इसका मानव से मानव में संचरण संभव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

हाइड्रोजन के प्रकार		उत्पादन के स्रोत
1. हरा हाइड्रोजन	:	अक्षय ऊर्जा और पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके उत्पादित। कोई Co_2 उत्सर्जन नहीं।
2. फिरोजी हाइड्रोजन	:	मीथेन के थर्मल विभाजन का उपयोग करके उत्पादित। ठोस रूप में Co_2 हटाना
3. नीला हाइड्रोजन	:	जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित और वातावरण में Co_2 उत्सर्जित होती है।
4. काला हाइड्रोजन	:	जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित और Co_2 को संग्रहित किया जाता है।

उपर्युक्त दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चार युग्म

12. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित ''डार्क वेब'' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डार्क वेब, डीप वेब का एक हिस्सा है जहां उच्च स्तर की गुमनामी प्रदान की जाती है।
2. इसे केवल टीओआर और 12पी (ToR और 12P) जैसी विशिष्ट साइटों के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है।
3. भारत में डार्क वेब एक्सेस करना गैरकानूनी है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

13. ''आर्टेमिस समझौते'' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दिशा-निर्देशों के सेट हैं जो मानवता के लाभ के लिए अन्वेषण, विज्ञान और वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं।
2. यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है।
3. भारत और न्यूजीलैंड हाल ही में इसके हस्ताक्षरकर्ता बने।
4. यह अंतरराष्ट्रीय कानून का कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 4 (d) केवल 3 और 4

14. इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह लंबी दूरी के शहरी परिवहन के लिए फायदेमंद है।
2. ये कहीं भी उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं।
3. इनके शून्य कार्बन प्रिंट होते है और हेलीकाप्टरों के विपरीत ये शोर मुक्त होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

15. ''एजोक्सैन्थेलेट कोरल'' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये कोरल के वे समूह हैं जिनमें जोक्सैनथैले होते हैं जो एककोशिकीय, भूरे-शैवाल होते हैं।
2. उनके पोषण का मुख्य स्रोत सूर्य की ऊर्जा है।
3. ये केवल उथले जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

16. ''भारत में असमानता रिपोर्ट की स्थिति'' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है।
2. यह केवल स्वास्थ्य, आय वितरण, श्रम बाजार की गतिशीलता, शिक्षा और घरेलू विशेषताओं में असमानता को मापती है।
3. यह सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है।
4. इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से 2019-20 के बीच सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में कमी आई है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3 और 4

17. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रिपोर्टर्स विदआउट बार्डर्स द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
2. नॉर्डिक देश सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से हैं।
3. भारत की स्थिति 2016 से लगातार गिरती जा रही है।
4. 2022 में भारत की रैंक 150वीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

18. ''निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल'' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
2. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसके कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी है।
3. यह निर्माण श्रमिकों को भारत और विदेशों में भी काम के अवसर प्रदान करती है।
4. इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को ''कौशल बीमा'' भी प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

19. लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे अमेरिका और भारत द्वारा सितंबर 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया था।
2. यह कम कार्बन उद्योग परिवर्तन के लिए हितधारकों के नेतृत्व वाले मार्गों का सह-उत्पादन करने के लिए सरकारों और उद्योगों का समर्थन करता है।
3. इसका लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लिए गए विदेशी ऋण पर देय ब्याज को सम्मिलित नहीं किया जाता।
2. हरित जीडीपी का सिद्धांत किसी देश के गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को प्रदर्शित करता है।
3. जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में मूल्य व्यवहार की एक सीमित मापन प्रणाली है क्योंकि इसके अंतर्गत देश में उत्पादित वस्तुएँ तो सम्मिलित हैं परंतु सेवाएं नहीं।

निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें:

(a) केवल एक कथन सत्य है
(b) केवल दो कथन सत्य हैं
(c) तीनों कथन सत्य हैं
(d) कोई भी कथन सत्य नही है

21. भारत की राजकोषीय नीति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:

1. राजकोषीय नीति में लोकवित्त तथा कराधान सम्मिलित होता है।
2. भारत में राजकोषीय घाटे की निरंतरता का मुख्य कारण यह है कि भारत पाश्चात्य देशो की तुलना में अधिक कृषि सब्सिडी प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा की जाती है।
2. जीएसटी परिषद द्वारा की गई अनुशंसाएं राज्यों तथा केंद्र पर बाध्यकारी होती हैं।
3. परिषद में निर्णय सभी सदस्यों की संख्या के तीन - चौथाई बहुमत पर आधारित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

23. प्राय: समाचारो में रहे 'रीस्किलिंग रेवलुशन इनिशिएटिव' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:

1. इस पहल को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आरम्भ किया गया है।
2. इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के भविष्य को तकनीकी परिवर्तन से बचाकर चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के लिए नवीन कौशल प्रदान कर अर्थव्यवस्थाओं की मदद करना है।
3. यह पहल केवल 40-59 आयु वर्ग के श्रमिकों में कौशल विकास करेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 (d) केवल 2 और 3

24. प्राय: चर्चा में रहे 'ओपन मार्केट ऑपरेशन' से आप क्या समझते हैं?

(a) जब कोई भी देश अपनी बंद अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार के लिए खोलें।
(b) देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री।
(c) जब अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके निजी क्षेत्रको के लिए खोल दिया जाए।
(d) अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्रक जिनमें 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

25. प्राय: समाचारो में रहे शब्द 'सलामी स्लाइसिंग' से तात्पर्य है:

(a) पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे-छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर

धीरे-धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा कर लेना।
(b) परमाणु युद्ध न करने का वादा
(c) किसी देश द्वारा अचानक आक्रमण कर किसी अन्य देश के बड़े भाग पर अधिकार जमाना
(d) किसी देश पर युद्ध रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबन्ध

26. हाल ही में वन संरक्षण नियम 1980 में परिवर्तन किया गया है। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नवीन परिवर्तन के अनुसार निजी पक्षकार वृक्षारोपण कर सकते हैं तथा इस भूमि को कंपनियों को बेच सकते हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्र में वन भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए ग्राम सभा के शासी निकाय की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. इस सम्मेलन का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है।
2. इस सम्मेलन में 2030 तक कम से कम 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की रक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. इस सम्मेलन का शीर्षक ''अवर ओशियन अवर फ्यूचर : कॉल फॉर एक्शन'' है।

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें:
(a) केवल एक कथन असत्य है
(b) केवल दो कथन असत्य हैं
(c) तीनो कथन सत्य हैं
(d) तीनो कथन असत्य हैं

28. हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. भारतीय निर्यात तथा भारत के वैश्विक व्यापार में वृद्धि होगी।
2. भारत जल्द ही विदेशी व्यापार के मामले में चीन को पीछे छोड़ने में सफल होगा।
3. यह अर्थव्यवस्था के डालराइजेशन को रोकेगा।

उपर्युक्त में से कौन से इस कदम के संभावित प्रभाव हो सकते हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. हाल ही में रेड पांडा के पुनर्वशन के कारण चर्चा में रहा सिंगलिला नेशनल पार्क अवस्थित है:
(a) असम में (b) पश्चिम बंगाल में
(c) अरुणांचल प्रदेश में(d) सिक्किम में

30. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है जो भविष्य के वर्षों के लिए करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य निर्धारण की पद्धति निर्धारित करता है।
2. इस कार्य पद्धति को एक निश्चित अवधि के लिए लागू किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. पंचवर्षीय योजनाओं (FYPs) के बाद की अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलाव महसूस किये गये?
1. 1901-1947 के बीच जहाँ भारत की राष्ट्रीय आय 1.2 प्रतिशत वर्ष की दर से बढ़ रही थी, वहीं यह 2016-17 में 11.6 प्रतिशत तक हो गयी।
2. ये योजनाएँ समानता के आधार पर शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने में सफल रहीं।
3. इन योजनाओं की एक बड़ी चुनौती यह रही कि ये पूंजी निर्माण की दर को नहीं बढ़ा पाई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संस्कृत का भारत की भाषाओं और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
2. भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा 'हिन्दी', खड़ी बोली का एक संस्कृतनिष्ठ स्वरूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. निम्नलिखित त्योहारों पर विचार कीजिए:
1. ओणम् 2. होली
3. लोहड़ी 4. उगाड़ी

उपर्युक्त में से कौन सा/ से भारत का/ के शस्योत्सव है/ हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

34. ऋग्वैदिक आर्यो के भौतिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. घोड़े, रथ और लोहे के हथियार भारत में आर्यो की सफलता के मुख्य कारण थे।
2. ऋग्वैदिक आर्यों को बोवाई, कटाई और दावनी का ज्ञान था।

3. ऋग्वैदिक आर्यो को विभिन्न ऋतुओं की जानकारी थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

35. राजा खारवेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राजा खारवेल के शासन में कलिंग राज्य अधिक शक्तिशाली हुआ था।
2. खारवेल कट्टर जैन था।
3. खारवेल सैनिक विजयों में विश्वास नहीं रखता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

36. नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मृदभांड खुरदरे तथा बहुत ही चमकीले होते थे।
2. इसका उपयोग धनवान लोग भोजनपात्र के रूप में करते थे।
3. इस मृद्भाण्ड के साथ आम तौर से लोहे के उपकरण भी पाये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. उत्तर वैदिक काल में 'सभाओं' का स्थान 'परिषद' नाम की एक छोटी सी 'समिति' ने ले लिया।
2. परिषद् में केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही सदस्य होते थे।
3. शाक्यों, लिच्छवियों आदि के छोटे-छोटे गणतांत्रिक राज्यों में सभाओं का प्रचलन अपेक्षाकृत बाद तक जारी रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

38. सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सातवाहन शासक ब्राह्मण थे।
2. वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत-से वैष्णव देवताओं के उपासक थे।
3. सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

39. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए :

1. फालवाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना
2. राजतंत्र का गठन
3. सामाजिक वर्गों का पनपना
4. धातु के सिक्के का प्रयोग
5. लेखन-कला का प्रचलन
6. लिखित साहित्य का आरम्भ

उपर्युक्त में से कौन-कौन सी घटनाएँ प्रागैतिहासिक युग के पश्चात् ऐतिहासिक युग के आरम्भ की सूचना देती हैं?

(a) केवल 1, 5 और 6 (b) केवल 4, 5 और 6
(c) केवल 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चोल राज्य में असैनिक और सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर, वेल्लालर या धनी किसान रखे जाते थे।
2. शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था।
3. अरसर वर्ग के लोगों का वेल्लालरों से वैवाहिक संबंध होता था।
4. वेल्लालर चौथी जाति में आते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं/है?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2, 3 और 4

41. मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. लोहा बनाने के तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई।
2. कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में प्रगति हुई।
3. मथुरा 'शाटक' नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गोर गजनवी साम्राज्य और सल्जूक साम्राज्य के बीच की पर्वतीय श्रृंखलाओं में अवस्थित एक छोटा सा वियुक्त क्षेत्र था।
2. 11वीं सदी तक यह क्षेत्र छोटे-छोटे मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ एक गैर-मुस्लिम प्रदेश बना रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

43. राजपूत राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था के कारण राजपूत राजाओं को

अपनी सेना में नियुक्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं मिल पाते थे।

2. राजपूत सेनाओं में केवल राजपूत जाति के लोग ही होते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

44. ''उसकी नीति द्रुत विस्तार के बजाए सतत समेकन एवं सुदृढ़ीकरण की थी। उसने लखनौती के खिलजी मलिकों के विरूद्ध तभी कूच किया जब उसने उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी।''

उपर्युक्त परिच्छेद में गुलामवंश के किस शासक की चर्चा की गयी है?

(a) कुतुबुद्दीन ऐबक (b) मुईज़्जुद्दीन
(c) इल्तुतमिश (d) बलबन

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मध्यकालीन भारत में, बलबन ने सुदृढ़, केंद्रीकृत शासन का युग दिल्ली में आरंभ किया।
2. बलबन ने समस्त अधिकार सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया।
3. बलबन ने राजत्व के ईरानी सिद्धांत को नकार दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

46. मंगोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मंगोलों ने तीन बार दिल्ली को जीतने का प्रयास किया।
2. अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मंगोलों के दिल्ली को जीतने के दो शुरूआती प्रयास असफल रहे।
3. अपने तीसरे प्रयास में मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक नायक को पराजित कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आरंभिक तुर्क सुल्तान, राज्य के उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर उच्च कुल में जन्मे तुर्कों के एकाधिकार में विश्वास करते थे।
2. खिलजियों के सत्ता में आने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम शासक वर्ग के सामाजिक आधार में अभिवृद्धि के रूप में प्रकट हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह एक रूढ़िवादी सुल्तान था।
2. संगीत में उसकी गहरी रूचि थी।
3. उसने संगीत पर अनेक दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का तुर्की भाषा में अनुवाद करवाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

49. ''यद्यपि वह सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था, किंतु सूफी संतों का बहुत आदर करता था तथा अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया व अन्य कई सूफी संतों की दरगाहों पर भव्य मकबरे बनवाये।''

उपर्युक्त परिच्छेद में दिल्ली सल्तनत के किस शासक की चर्चा की गयी है?

(a) अलाउद्दीन खिलजी (b) मुहम्मद बिन तुगलक
(c) फिरोजशाह तुगलक (d) इब्राहिम लोदी

50. ''एक स्वास्थ्य अवधारणा'' जो कभी-कभी समाचारों में देखी जाती है, निम्नलिखित में से किस से संबंधित है?

(a) गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए रणनीतियाँ
(b) सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए
(c) मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच अंतर्संबध
(d) पशु स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना

उत्तर

1.	(b)	14.	(b)	27.	(c)	40.	(d)
2.	(d)	15.	(d)	28.	(c)	41.	(d)
3.	(d)	16.	(b)	29.	(b)	42.	(c)
4.	(b)	17.	(d)	30.	(c)	43.	(d)
5.	(d)	18.	(d)	31.	(a)	44.	(c)
6.	(c)	19.	(c)	32.	(c)	45.	(b)
7.	(d)	20.	(a)	33.	(c)	46.	(c)
8.	(d)	21.	(a)	34.	(c)	47.	(c)
9.	(b)	22.	(d)	35.	(b)	48.	(c)
10.	(c)	23.	(c)	36.	(c)	49.	(b)
11.	(b)	24.	(b)	37.	(c)	50.	(c)
12.	(b)	25.	(a)	38.	(d)		
13.	(d)	26.	(a)	39.	(d)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. CRISPR-Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CRISPR-Cas9 तकनीक आसानी से डीएनए अनुक्रमों को बदलने और जीन फंक्शन को संशोधित करने की अनुमति दे सकती है।
2. इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया, एक आनुवंशिक रक्त विकार को ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
3. जीन एडिटिंग सिस्टम जीवों में स्वाभाविक रूप से होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2 B- 2 और 3 केवल
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

2. निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 'वुमन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता' (WINS) अवाड्र्स 2023 की घोषणा की है?

A- नीति आयोग
B- राष्ट्रपति कार्यालय
C- प्रधानमंत्री कार्यालय
D- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

उत्तर: D

3. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा जारी किया जाता है?

A- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
B- विश्व आर्थिक मंच
C- विश्व व्यापार संगठन
D- विश्व बैंक

उत्तर: D

4. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

वायरस संक्रमित कर सकते हैं:

1. जीवाणु
2. कवक
3. पौधे

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A- केवल 1 और 2 B- 3 केवल
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

5. टेट्रासाइक्लिन, कभी-कभी समाचारों में रहा, क्या है?

A- सुपरकंडक्टर B- डीकंपोजर
C- सुपर प्लास्टिक D- एंटीबायोटिक

उत्तर- D

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन (SET) रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अपनाने वाले भारतीय राज्यों की सूची में कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पर हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 B- 2 केवल
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

7. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एफसीआरए को 1976 में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों और राजनीतिक संघों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।
2. एफसीआरए भारत में सक्रिय सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है।
3. पंजीकरण शुरू में पांच साल के लिए वैध है और अगर वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं तो इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2 B- 2 और 3 केवल
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3

उत्तर: C

8. हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी एक त्रैमासिक रिपोर्ट है।
2. इसकी गणना सभी मिलियन प्लस शहरों के लिए की जाती है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 B- 2 केवल
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

9. कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 12% का सीआरएआर अनिवार्य किया है।
2. FY22 के लिए CRAR स्वस्थ बना हुआ है।
3. यह न केवल क्रेडिट जोखिम बल्कि बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए भी खाता है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A- केवल 1 और 2 B- 2 और 3 केवल
C- केवल 1 और 3 D- उपरोक्त सभी

उत्तर: B

10. बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर स्वच्छ प्लान्ट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

A- जैव-ऊर्जा फसलें
B- ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट
C- बागवानी फसलें
D- जैव उर्वरक पौधे

उत्तर: C

11. बजट 2023-24 में प्रावधान के अनुसार यूनिटी मॉल के प्रचार व बिक्री से जुड़ा है

A- कम लागत वाली गुणवत्ता वाले बागवानी बीज।
B- फोर्टिफाइड चावल के दाने।
C- दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए कम लागत वाले सहायक उपकरण
D- ओडीओपी, जीआई उत्पाद और हस्तशिल्प।

उत्तर: D

12. बजट 2023-24 में की गई कल्पना के अनुसार पीएम-प्रणाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

A- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना।
B- बुजुर्ग आबादी में उद्यमशीलता और आत्मविश्वास का विकास करना।
C- भारत में ऐतिहासिक तीर्थाटन को बढ़ावा देना।
D- शिलालेखों, पांडुलिपियों और अन्य प्राचीन ग्रंथों के केंद्रीय भंडार का विकास करना।

उत्तर: A

13. हाल ही में, बोर्थेकेरा नामक औषधीय पौधे में किन रोगों को ठीक करने के लिए क्षमता पाई गई है?

A- हृदय रोग
B- मस्तिस्क रोग
C- यकृत सम्बन्धी रोग
D- त्वचा सम्बन्धी रोग

उत्तर: A

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला निश्चित रूप से एक प्रतिगामी कदम होगा।
2. एनडीए सरकार ने 2003 में ओपीएस को बंद करने का फैसला लिया और यह एक अप्रैल 2004 से प्रभावी हो गया।

उपर्युक्त कथनों में से सही कथन नहीं है/हैं ?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों
D- न तो 1 न तो 2

उत्तर: C

15. भारत इटली संबंधों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इटली ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने का फैसला किया है।
2. दोनों देशों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बारे में भी बात की जो पिछले साल 15 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

उपर्युक्त कथनों में से सही कथन हैं ?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों
D- न तो 1 न तो 2

उत्तर: C

16. प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रतिबंध को लागू किया जा सकता है?

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता।
2. राज्य की सुरक्षा।
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
4. सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता।

निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें:

A- केवल 1 और 4
B- केवल 1,2, और 3
C- केवल 2 और 3
D- 1,2,3 और 4

उत्तर: D

17. हाल ही में चर्चा में रहा, स्क्रब टाइफस क्या है?

A- नेटवर्क आधारित नई तकनीक
B- एक बीमारी
C- समुद्री शैवाल
D- एक एंड्राइड एप्लीकेशन

उत्तर: B

1. डेंगू की रोकथाम के लिए निर्मित टीकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.डेंगवैक्सिया, पहला और एकमात्र अनुमोदित डेंगू टीका एक डीएनए आधारित टीका है।
2. एक डेंगू सीरोटाइप से संक्रमित व्यक्ति जीवन भर के लिए अन्य सभी सीरोटाइप के खिलाफ भी सुरक्षित रहता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A- कथन 1 सही है।
B- कथन 2 सही है।
C- सभी कथन सही हैं।
D- कोई भी कथन सही नहीं है।

उत्तर: D

18. भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में कौन से कथन सही है/हैं-

1. विश्व बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन का ऋण देगा।
2. ऋण केवल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

A- कथन 1 सही है।
B- कथन 2 सही है।
C- सभी कथन सही हैं।
D- कोई भी कथन सही नहीं है।

उत्तर: A

व्यक्तित्व

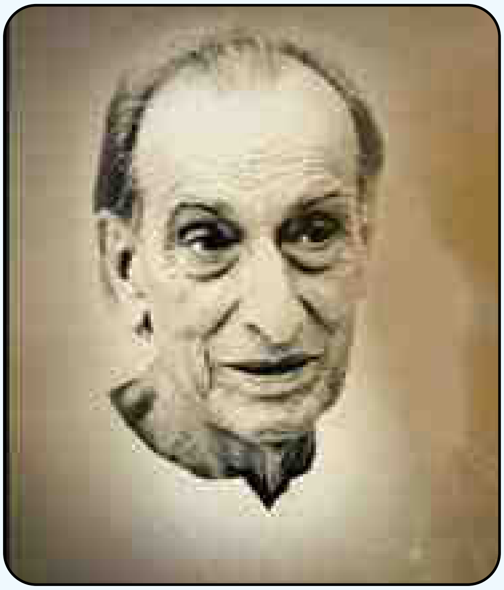

आचार्य जे. बी. कृपलानी

भारत की आजादी की लड़ाई में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कुछ लोगों ने गांधी जी के अहिंसा का मार्ग अपनाया तो कुछ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह क्रांतिकारी तरीकों से विरोध करते थे। गांधीजी के अहिंसक रास्ते को अपनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में आचार्य जे. बी. कृपलानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि कुछ मुद्दों पर यह गांधीजी से अलग राय भी रखते थे।

आचार्य जे. बी. कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् थे। इनका पूरा नाम जीवतराम भगवानदास कृपलानी था। इनका जन्म 11 नवम्बर, 1888 को सिंध के हैदराबाद (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले 1912 से 1927 तक इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इस दौरान इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और गुजरात विद्यापीठ में भी पढ़ाने का काम किया था। शिक्षण कार्य के दौरान ही इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और शिक्षक होने के नाते इसी दौरान इन्हें 'आचार्य' उपनाम प्राप्त हुआ। गांधीजी से प्रभावित होकर धीरे-धीरे इनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की तरफ होने लगा। वे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा रहे थे। गौरतलब है कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधीजी के निकट सहयोगी के रूप में काम किया था।

गांधी जी के आश्रम में ही आचार्य जे.बी. कृपलानी की मुलाकात सुचेता से हुई और 1936 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। यही सुचेता कृपलानी आगे चलकर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं।

साल 1934-46 के दौरान आचार्य कृपलानी कांग्रेस के महासचिव रहे। साल 1946-47 में ये कांग्रेस के 57वें अध्यक्ष बने, लेकिन नीतिगत मतभेद होने के कारण नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया। साल 1950 में ये एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1950 में ही आचार्य जे.बी. ने 'विजिल' पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। गौरतलब है कि इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार (1946-1947) और भारत की संविधान सभा में भी योगदान दिया था।

आजादी के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और एक 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी' की स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए उन्होंने एक दूसरी नयी पार्टी बनाई जिसका नाम 'प्रजा समाजवादी पार्टी' रखा गया। इस पार्टी से वे चार बार लोकसभा सदस्य रहे और इसी दौरान भारत-चीन युद्ध के बाद इन्होंने पहली बार 1963 में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वे नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक थे, जब 1971 के लोकसभा चुनाव में वे हार गए तो उन्होंने राजनीति छोड़ अध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण की ओर रुख कर लिया। कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधियों में शामिल थे। गौरतलब है कि इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 मार्च, 1982 को साबरमती आश्रम में आचार्य कृपलानी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद साल 2004 में 'माई टाइम्स' (My Times) के शीर्षक से इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust
Success is Our Tradition
4500+ Selections in IAS & PCS

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

GENERAL STUDIES
Foundation Course

for

UP & Other State PCS Exam

हिन्दी माध्यम

- 750+ घंटे की सारगर्भित क्लॉस प्रोग्राम।
- प्रारम्भिक सह मुख्य परीक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज़।
- 15 प्रारम्भिक एवं 15 मुख्य परीक्षा का टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर माड्यूल।
- फैकल्टी के साथ नियमित डाउट क्लीयरिंग से संबंधित सत्र।

Admissions Open
For first 500 Students fee Rs. 35,000 only

SP MARG, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ
8853467068, 7459911157

Visit Website

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744